Action Plan : Prevention and Management of Heat Wave in District Gautambuddha nagar.

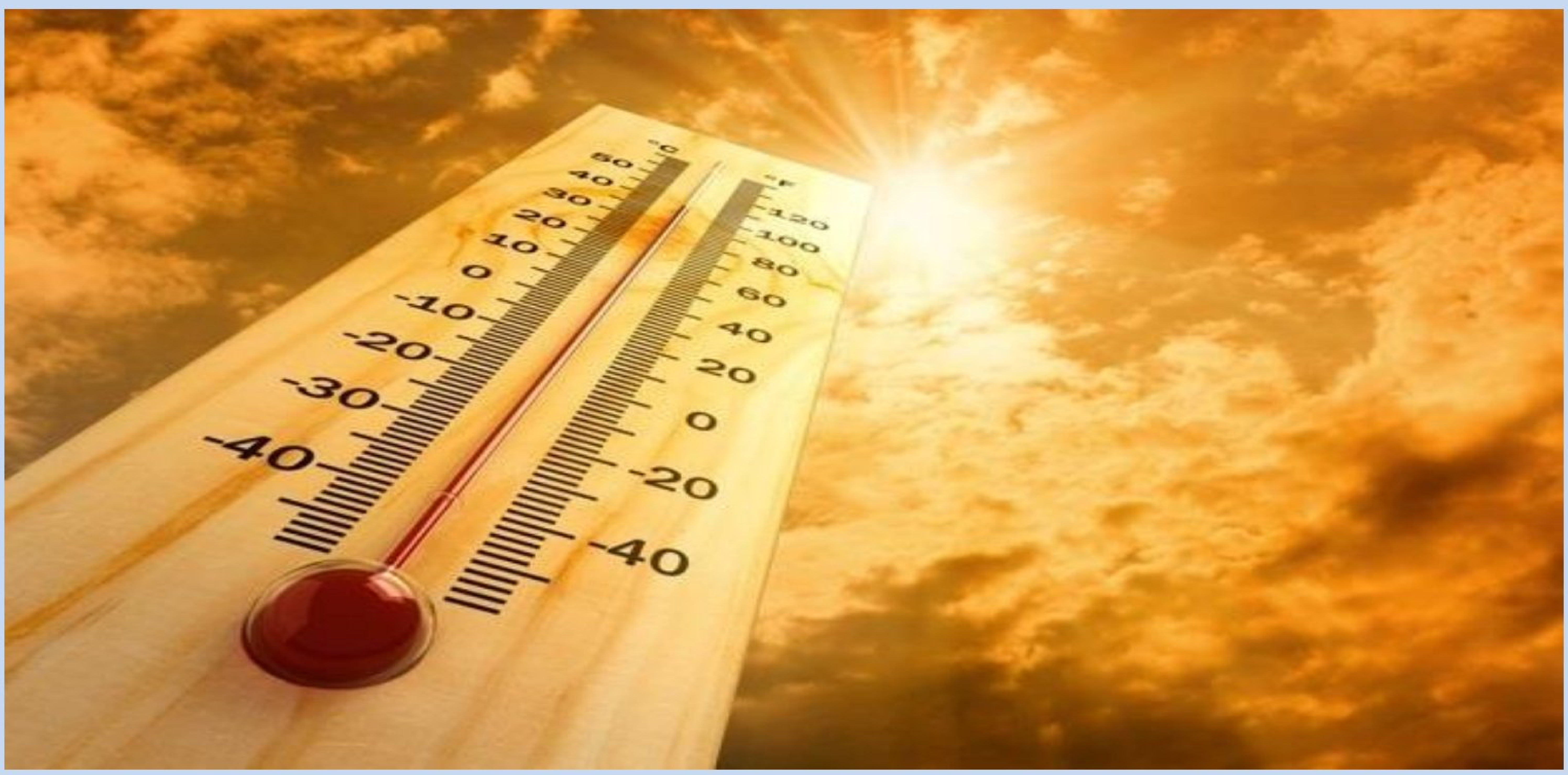

(ओमकार चतुर्वेदी)
जिला आपदा विशेषज्ञ,
गौतमबुद्धनगर।

(अतुल कुमार)
अपर जिलाधिकारी(वि/रा),
गौतमबुद्धनगर।

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

Scanned with OKEN Scanner

संदेश

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गौतमबद्धनगर द्वारा वर्ष 2025 में लू प्रबन्धन के लिये विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापितकर कार्य योजना तैयार की गयी है। जैसे कि हम जानते है कि पृथ्वी का तापमान पिछले कुछ दशकों से बढता जा रहा है। भारत का औसत तापमान वर्ष 1982–2023 के मध्य मई मे 3.07 डिग्री और जुन मे 0.37 डिग्री सेल्सियस तापमान बढा है। तापमान बढने का असर हमारे जलवायु परिवर्तन पर स्पष्ट दिखाई दिया है। वर्ष 2024 मे जनपद का तापमान लगभग 46 डिग्री

1982			2023			Difference* (1982-2023)		
April	May	June	April	May	June	April	May	June
41.44	41.98	44.24	41.26	45.05	44.61	-0.18	3.07	0.37

सेल्सियस तक रही है लगभग पिछले 31 वर्षो में अधिक तापमान वाले गर्म दिन व अधिक ठण्डी रातों की संख्या में बढोतरी हुई है जोकि चिन्ता का विषय है। तापमान बढ़ने से पिछले कुछ वर्षो में गर्मी की लहरें घातक रूप से विनाशकारी बन गयी हैं। हमें गर्मी से सम्बन्धित उभरते खतरों से निपटने के लिये, पिछले अनुभवों से सबक लेते हुये अपने तन्त्र को लगातार उन्नत करने की आवश्यकता है। मुझे यकीन है कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गौतमबद्धनगर द्वारा तैयार लू प्रबन्धन कार्य योजना जनपद गौतमबद्धनगरकी अल्पकालिक राहत और प्रतिक्रिया उपायों के साथ–साथ दीर्घकालिक लू जोखिम को कम करने की रणनीतियों को निर्धारित करती है।

मुझे आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि यह कार्ययोजना जनमानस में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ आपातकालीन स्थिति में सभी सम्बन्धित विभागों के मध्य बेहतर सामजंस्य स्थापित करेगी तथा भविष्य में लू प्रकोप को नियंत्रण करने में प्रभावी सिद्व होगा।

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
गौतमबुद्वनगर ।

Scanned with OKEN Scanner

हीटवेव का चित्रण।

Framework for preparation of District Level Heat Action plan-2025

पृष्ठ भूमि एवं वस्तु स्थिति(Background and current situation)–

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 77.73 प्रतिशत ग्रामीण एवं 22.27 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या निवास करती है। प्रदेश की अधिकांश जनता का जीवन–यापन अधिक तापमान, वर्षा, बाढ़, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि, वज्रपात आदि मौसम की विभीषिकाओं से प्रभावित होता है। जनपद में ग्रीष्म ऋतु का अधिक प्रभाव रहता है। 21वीं सदी की शुरूआत के बाद से एशिया में तापमान और बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान के औसत में वैश्विक वृद्धि और अधिक होगी, हीट वेव दुनिया भर में मृत्यु और रूग्णता का एक महत्वपूर्ण कारण है, तथा जलवायु परिवर्तन से उष्मा तरंगों की तीव्रता के कारण गर्मी की घटनाओं के प्रभाव में वृद्धि होने की संभावना है। वर्तमान मेंवैश्विक तापमान में वृद्धि जारी है।इस बढ़ते तापमान को मनुष्य द्वारा महसूस भी किया जा रहा है।

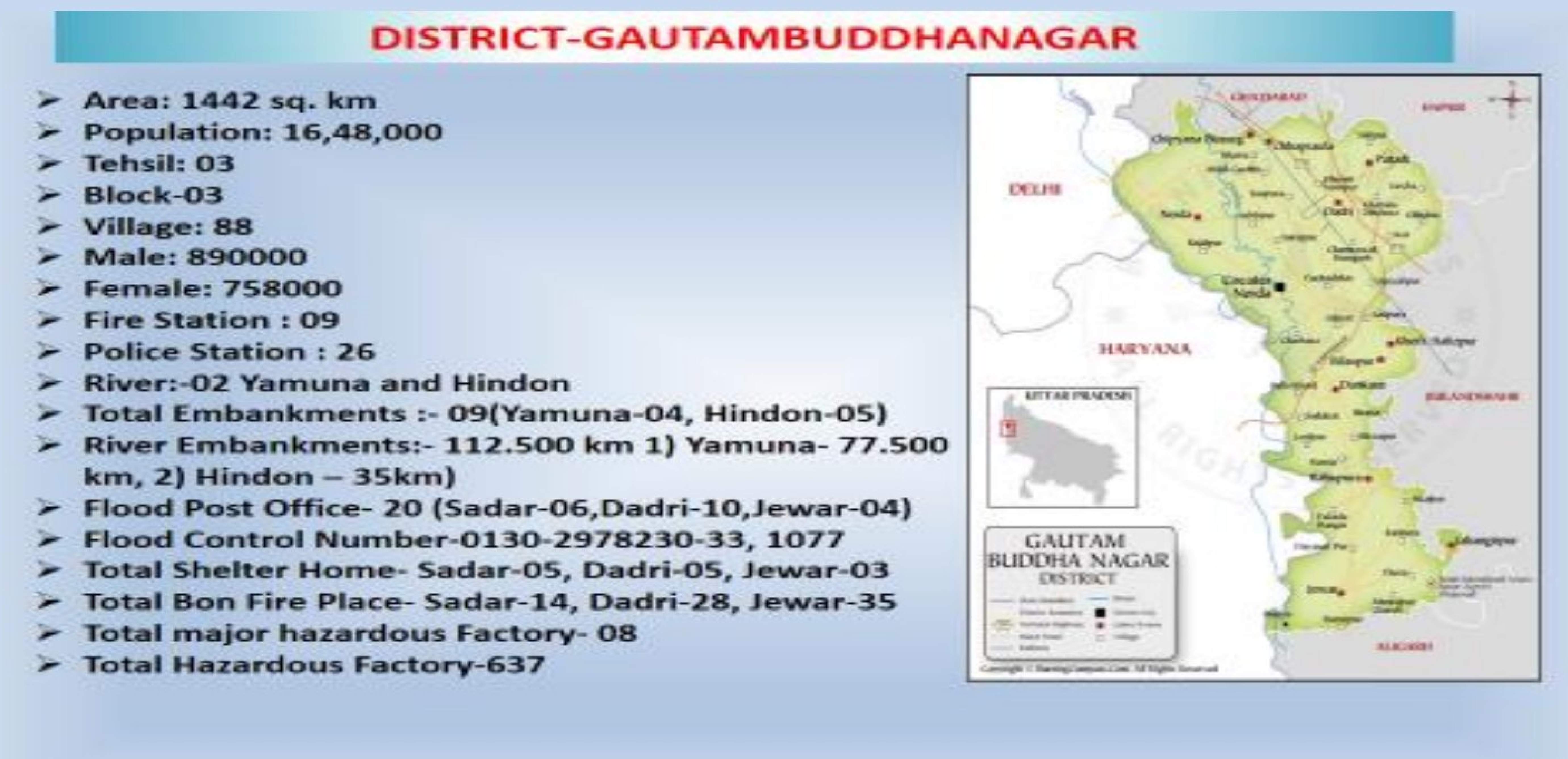

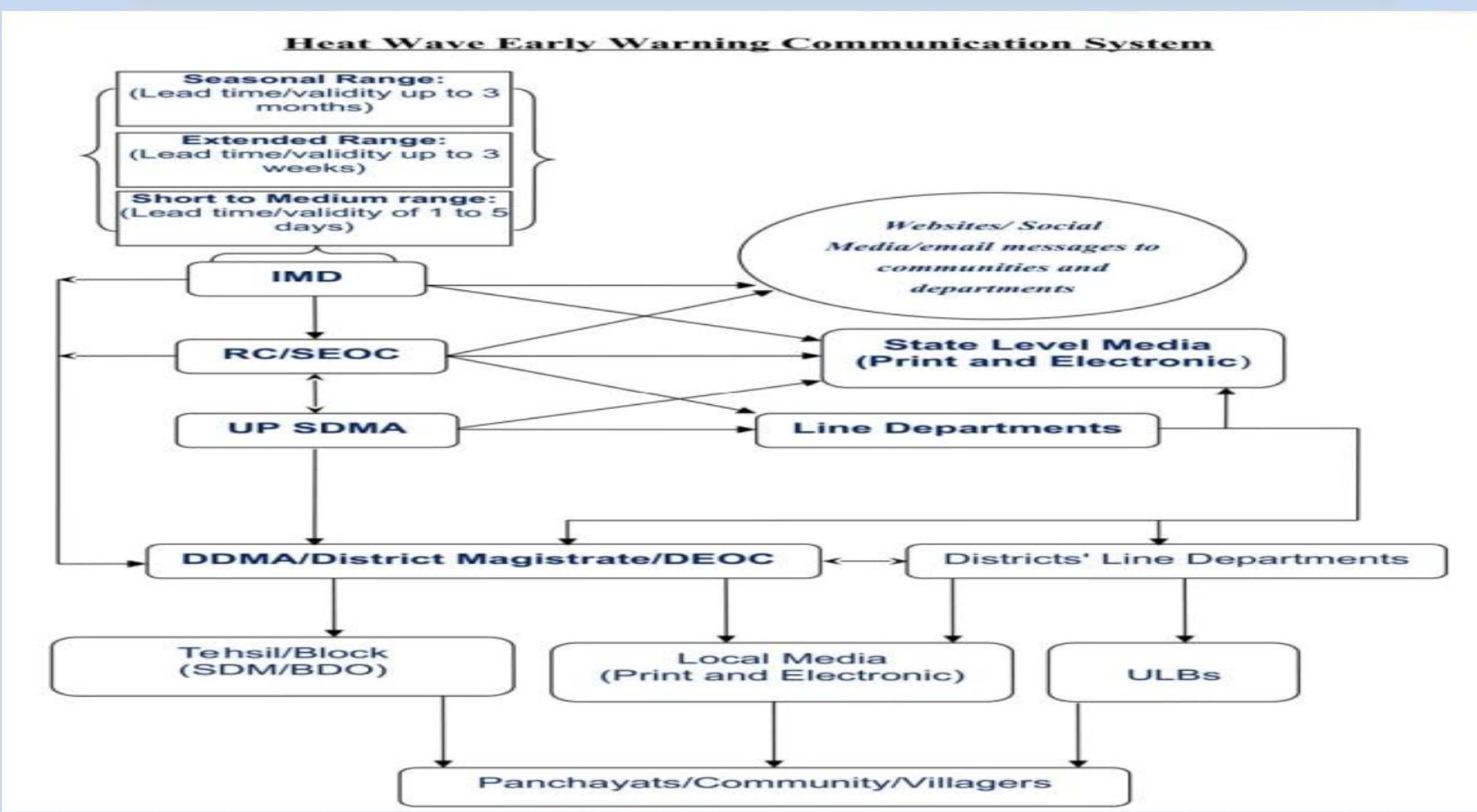

Heat Threshold for GautamBuddha Nagar

District	Heat Threshold		
	Yellow Alert	Orange Alert	Red Alert
GAUTAM BUDH NAGAR	39.96	42.40	44.69

2.5.1 Heat Threshold (Yellow Alert)

In Uttar Pradesh, Banda, Jalaun and Agra are among the top districts experiencing the highest yellow alert temperatures, indicative of elevated heat levels. These districts, along with Prayagraj, Kaushambi and Hamirpur, face significant heat challenges, impacting daily life and agricultural activities. With Kanpur Nagar, Etawah and Firozabad also on the list, it underscores the widespread nature of heat vulnerability in the region. The yellow alert signifies a cautionary phase, urging residents and authorities to take preventive measures against heat-related illnesses and agricultural stress. Given Uttar Pradesh's diverse landscape and population density, understanding heat thresholds in these districts is crucial for effective heat wave management and adaptation strategies.

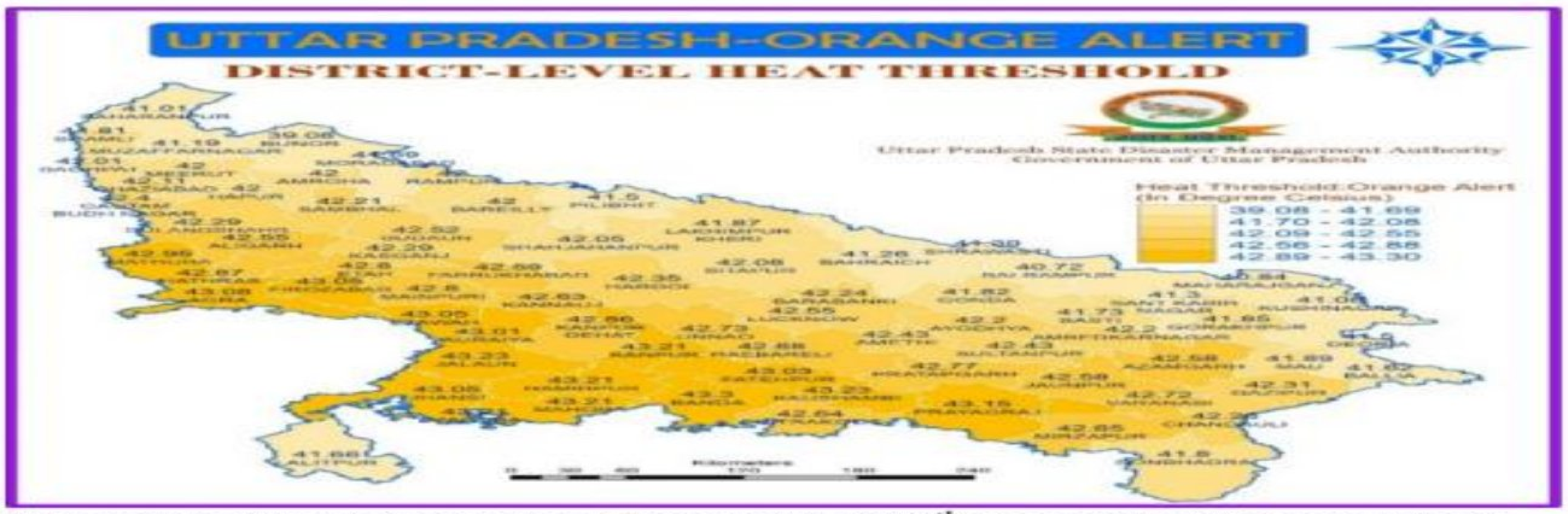

Figure11: District wise heat threshold at 88th percentile (Orange Alert).

2.5.2 Heat Threshold (Orange Alert)

Districts like Banda, Jalaun and Kaushambi top the list with the highest orange alert temperatures, indicating heightened heat levels that pose significant risks to public health and agricultural activities. With Hamirpur, Kanpur Nagar, Mahoba, Prayagraj and Agra also experiencing extreme heat, it underscores the widespread vulnerability to heat waves across the state. The orange alert serves as a critical warning, urging residents and authorities to

take immediate action to protect themselves from heat-related illnesses and mitigate the impact on crops and livestock. Additionally, districts like Etawah, Firozabad, Jhansi and Fathepur facing high orange alert temperatures highlight the urgent need for proactive heat wave management and adaptation strategies.

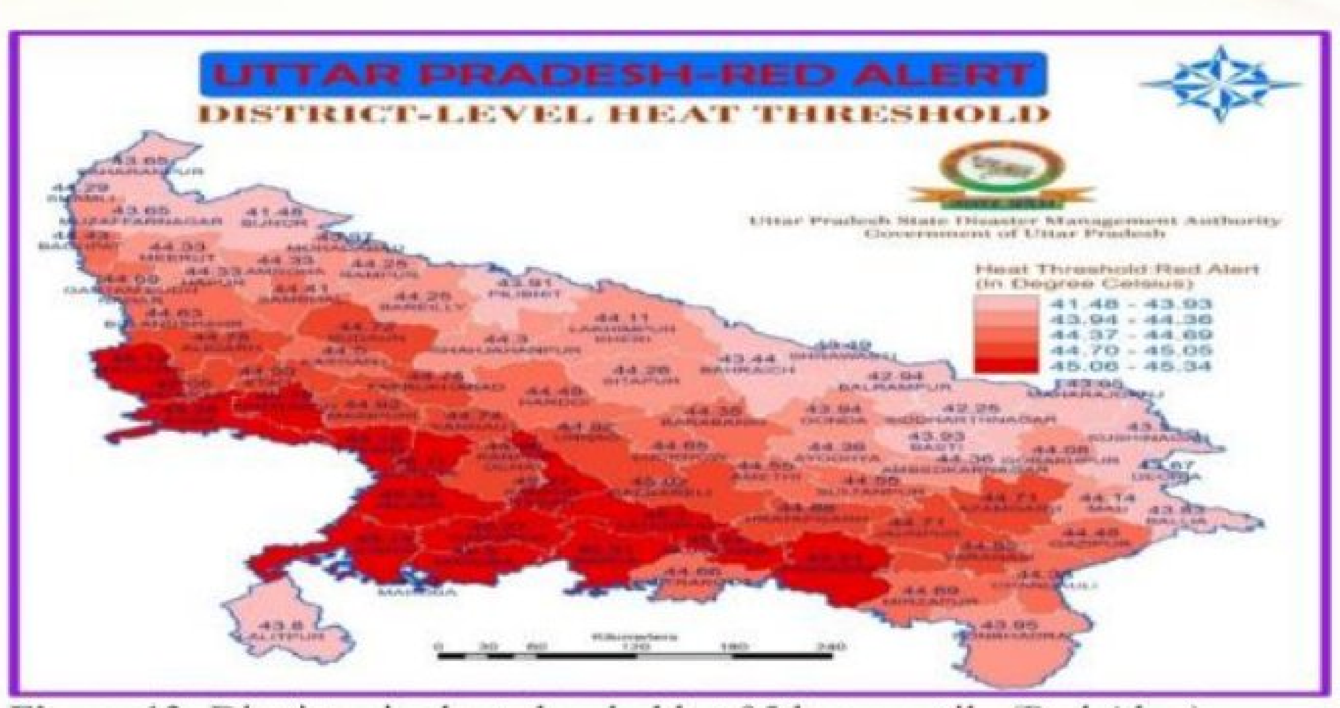

Figure 12: District wise heat threshold at 95th percentile (Red Alert).

2.5.3 Heat Threshold (Red Alert)

Several districts experienced exceptionally high-temperature threshold, warranting red alert classifications to signify the severity of the heat waves. Banda, Jalaun and Mahoba lead the list with temperatures soaring as high as 45.31°C, 45.34°C and 45.30°C, respectively. These extreme temperatures pose significant health risks and necessitate immediate interventions to protect vulnerable populations from heat-related illnesses. Districts like Agra, Hamirpur, Kanpur Nagar and Kaushambi are also grappling with intense heat. Besides there are another seven districts with temperatures hovering above 45°C. The red alert underscores the urgency for local authorities to implement heat wave management strategies, including the establishment of cooling centers, distribution of emergency supplies and dissemination of public health advisories. Additionally, efforts to mitigate the impact on agriculture, such as promoting water conservation and heat-resistant crop varieties, are crucial to safeguarding livelihoods in these districts. Collaborative action is essential to ensure the well-being and safety of communities amid these extreme heat conditions in Uttar Pradesh.

The establishment of heat thresholds for yellow, orange and red alerts in Uttar Pradesh represents a significant step towards enhancing the state's resilience to extreme heat events. Through rigorous data collection, statistical analysis and collaboration with experts, we have developed scientifically grounded criteria to define heat thresholds tailored to the specific climatic conditions of each district. This initiative provides vital information for early warning systems, allowing authorities to issue timely alerts and implement targeted measures to mitigate the adverse effects of heat waves on public health, agriculture, water resources and infrastructure. By proactively addressing heat-related risks, Uttar Pradesh can better protect its population and minimise economic losses and foster climate resilience.

Scanned with OKEN Scanner

2.8 Colour Code Signals for HeatWave Alert and Suggested Actions (NDMA, 2019)

Colour Code	Alert	Warning	Impact	Suggested Actions
Green (No Action)	Normal Day	Maximum temperatures are near normal	Comfortable No cautionary action required temperature	Normal Activity
Yellow Alert (Be updated)	Heat Alert	Heatwave conditions at Isolated pockets persists for 2 days	Moderate temperature. Heat is tolerable for general public but moderate health concern for vulnerable people e.g. infants, elderly, people with chronic diseases	(a) Avoid heat exposure. (b) Wear lightweight, light-colored, loose, cotton clothes. (c) Cover your head
Orange Alert (Be prepared)	Severe Heat Alert for the day	i) Severe heat wave condition persists for 2 days (ii) Through not severe, but heat wave persists for 4 days or more	High temperature. Increased likelihood of heat illness symptoms in vulnerable and prolonged exposed people	(a) Avoid heat exposure- keep cool. Avoid dehydration (b) Wear lightweight, light-colored, loose, cotton clothes (c) Cover your head (d) Drink sufficient water- even if not thirsty (e) Use ORS, homemade drinks like lassi, torani (rice water), lemon water, buttermilk, etc. to keep yourself hydrated (f) Avoid alcohol, tea, coffee and carbonated soft drinks, which dehydrates the body (g) Take bath in cold water frequently.
Red Alert (Take urgent action as per Uttar Pradesh State Heat Action Plan)	Extreme Heat Alert for the day	i) Severe heat wave persists for more than 2 days. (ii) Total number of heat/severe heat wave days exceeding 6 days.	Very high likelihood of developing heat illness and heat stroke in all ages	Along with suggested action for orange alert, extreme care needed for vulnerable people. First-aid and immediate hospitalization of heat exhaustion and heat stroke cases

Yellow alert	Hot day advisory	41.1- 43-degree C
Orange alert	Heat alert day	43.1- 44.9-degree C
Red alert	Extreme heat alert day	≥ 45-degree C

ABBREVIATIONS

IMD	India Meteorological Department
IEC	Information Education Communication
DM	Disaster Management
THI	Temperature–Humidity Index
AIR	All India Radio
NDMA	National Disaster Management Authority
NDRF	National Disaster Response Fund
SDRF	State Disaster Response Fund
SEOC	State Emergency Operation Centre
DEOC	District Emergency Operation Centre
ULBs	Urban Local Bodies
PHC	Primary Health Centre
CHC	Community Health Centre
UHC	Urban Health Centre
ORS	Oral Rehydration Solutions
ICDS	Integrated Child Development Services
ANM	Auxiliary Nurse and Midwife
SDM	Sub Divisional Magistrate
BDO	Block Development Officer
UPSRTC	Uttar Pradesh State Road Transport Corporation
UP SDMA	Uttar Pradesh State Disaster Management Authority
DDMA	District Disaster Management Authority

Scanned with OKEN Scanner

➢ **परिचय(Introduction)–**

जनपद गौतमबुद्धनगर की स्थापना 9 जुन 1997 को बुलन्दशहर एवं गाजियाबाद जिलों के कुछ ग्रामीण व अर्द्धशहरी क्षेत्रों को काटकर की गयी थी। आज इसमें नोएडा व ग्रेटर नाएडा जैसे व्यावसायिक उप महानगर शामिल हो चुके है। दादरी विधान सभा क्षेत्र भी इसी जिले का एक हिस्सा बन चुका है। वह दादरी जहॉ की जनता ने 1857 के प्रथम स्वात़न्त्रय समर मे काफी योगदान दिया था दादरी के राव उमराव सिंह समेत आसपास के 84 लोंगां ने स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुलंदशहर से लेकर लाल कुंआ तक के बीच के हिस्से में कागंतिकारियों ने अंग्रेजी शासन कीनाक में दाम कर दिया था। जिस पर अंग्रेजो ने राव उमराव सिंह समेत क्षेत्र के 84 क्रांतिकाकारियों को बुलदशहर के काला आम पर फांसी लगाई थी। जिससे चलते आज भी बुलंदशहर का काला आम चार्चितहै।वहीं अग्रेजी हकूमत ने क्रांतिकारियों के परिवार के संपति को छीन लिया गया था। उनके मकानों को तोड दिया गया था। शहीदो की याद में आज भी दादरी तहसील परिसर में स्थित आज भी शहीद स्तंभ मौजूद है। जिस पर 84 क्रातिकारियों के नाम अंकित वंहा दादरी के मैन तिराहे पर उमर राव सिंह की प्रतिमा स्थित है। हर साल उनकी याद में 15 अगस्त और 26 जनवरी को विभिन्न समाजसेवी संगठनों और प्रमुख लोगो के द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किए जाते हैं दादरी में स्वन्तत्रता सेनानी राव उमरराव सिंह की मूर्ति आज भी देखी जा सकती है।ऐतिहासिक दृष्टि से यहॉ का दानकौर, बिसरख ,रामपुर जागीर व नलगढ गॉव कई स्मृतियॉ संजोये हुए है। दानकोर में द्रोणाचार्य तथा बिसरख में रावण के पिता विश्रेश्रवा ऋषि का प्राचीन मन्दिर आज भी स्थित है। ग्रेटर नोएडा स्थित रामपुर जागीर गॉव में स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान सन 1919 में मैनपुरी षडयन्त्र करके फरार हुए सुप्रसिद्व कान्तिकारी राम प्रसाद बिस्मिल भूमिगत होकर कुछ समय के लिये रहे थे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के किनारे स्थित नलगढ गॉव में भगत सिंह ने भूमिगत रहते हुए कई बम – परीक्षण किये थे। वहॉ आज भी एक बहुत बडा पत्थर सूरक्षित रखा हुआ है।4143512 जनसंख्या वाला जनपद है। वर्श 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद गौतमबुद्धनगरके अन्तर्गत **28.8 प्रतिषत नगरीय एवं 71.2 प्रतिषत ग्रामीण** जनसंख्या एनिवास करती है। जनपद की अधिकांष जनता का जीवन यापन अधिक तापमान, कवर्शा, सूखा, तूफान, ओलावृश्टि आदि मौसम की विभीशिकाओं से प्रभावित होता है। ग्रीश्म ऋतु मे जनपद का तापमान 35 डिग्री से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है।

जिला प्रोफाइल(District profile)

गौतमबुद्धनगर का भौगोलिक क्षेत्रफल 1442 वर्ग कि०मी० है। **गौतम बुद्ध नगर का अक्षांश और देशांतर क्रमशः** 28.35898000 और 77.55076000 है। जनपद गौतमबुद्धनगर का सृजन

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक–06.05.1997 को हुआ था, जो कि जनपद गाजियाबाद से तहसील दादरी का आंशिक भाग तथा जनपद बुलन्दशहर से तहसील जेवर व सिकन्द्राबाद के आंशिक भाग को शामिल कर बनाया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और यह पश्चिमी उ0प्र0 में स्थित है। यह जनपद दो मुख्य नदियों गंगा (हिण्डन) तथा यमुना के मध्य में है। जनपद के उत्तर में गाजियाबाद और दिल्ली की सीमा दक्षिण में अलीगढ, पूरब में बुलन्दशहर तथा पश्चिमी सीमा हरियाणा राज्य से मिलती है। इसकी परिधि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अनतर्गत होने के कारण जनपद में विकास कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। जनपद में नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना प्राधिकरण क्षेत्र विश्व व्यापी औधोगिक केन्द्र है। नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा एवं यमुना प्राधिकरण के औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा बहुत बडे स्तर पर उद्योगों को लगाया गया है। जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत 03 तहसील क्रमशः दादरी, सदर एवं जेवर, 03 विकास खण्ड क्रमशः जेवर, दादरी, कासना, 01 नगर पालिका दादरी एवं 05 नगर पंचायत, दनकौर, बिलासपुर, जेवर, रबूपुरा, जहॉगीरपुर, है। कृषि मण्डी समितियां–4(नोएडा, दादरी, दनकौर, जेवर)। इस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 1442 वर्ग किमी0 है तथा जनसंख्या (जनगणना–2011) के अनुसार **1648115** जिसमें ग्रामीण जनसंख्या–**673806,** नगरीय जनसंख्या–**974309,** पुरुषों की जनसंख्या–**890873,** महिलाओं की जनसंख्या–**757242** है। ग्राम पंचायत–88 एवं राजस्व ग्राम–120(आबाद राजस्व ग्राम–108, गैर आबाद राजस्व ग्राम–12)। जनपद में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के संवेदनशील समुदाय कार्यरत है, जोकि हीट वेव/हीट स्ट्रोक से सीधे प्रभावित होते है।

जनता का जीवन यापन अधिक तापमान, वर्षा, बाढ, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि आदि मौसम की विभीषिकाओं से प्रभावित होता है। ग्रीष्म ऋतु में गौतमबुद्धनगर का तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री या ऊपर तक पहुंच जाता है।

हीटवेव (लू) की परिभाषा एवं मौसम विभाग द्वारा परिभाषित संबंधित मानदण्ड–
Definition of Heatwave and related criteria defined by Meteorological Department

किसी स्थान के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में सामान्य से बहुत अधिक वृद्धि होने पर लू (हीट–वेव) का प्रकोप माना जाता है। प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ ही लू(हीट स्ट्रोक) का प्रसार प्रारम्भ हो जाता है तथा इसका अत्यधिक प्रभाव माह जून से अगस्त के मध्य होता है। जनता को लू से बचने की स्वास्थ्य शिक्षा प्रचार प्रसार कर रोगियों को त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराकर मृतकों की संख्या तथा रोग की जटिलता में प्रभावी कमी लायी ला सकती है।उपर्युक्त व्यवस्थाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु जिले से ग्राम स्तर तक समन्वय, प्रभावी सूचना एवं संचार तंत्र सामग्री आपूर्ति तथा जनजागरण की निम्नलिखित, व्यवहारिक, व्यापक तथा प्रभावी योजना के अनुसार कार्यवाही करके लू(हीट स्ट्रोक) के प्रभाव पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

भारत में ग्रीष्म लहर के प्रभावः–

आर्थिक प्रभावः– ग्रीष्म लहर की लगातार घटनाएँ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

1–उदाहरण के लिये, कार्य दिवसों के नुकसान के कारण गरीब और सीमांत किसानों की आजीविका नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।

2–ग्रीष्म लहर का दिहाड़ी मजदूरों की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

Scanned with OKEN Scanner

कृषि क्षेत्र पर प्रभावः— हीटवेव का प्रभाव मानव जीवन के अतिरिक्त फसलों पर भी गहराई से पाया जाता है जो मात्रा व गुणवत्ता के मामले में उत्पादन को प्रभावित करता है। हीटवेव का प्रभाव मुख्य रूप से फसलों में रबी एवं जायद की फसलों के साथ ही फूलों लतीय वर्ग की साग—सब्जियों फलों आदि के अतिरिक्त नये वृक्षारोपण पर अधिक पड़ता है। इसके अतिरिक्त जायद के जिन फसलों जैसे खीरा, तरबूज, खरबूज एवं करैला, सोयाबीन, मूँग एवं उर्द में अधिक गर्मी एवं लू सहन करने की क्षमता होती है, ऐसे फसलों की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

3—कॉर्नेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि बढ़ते ग्रीष्म तनाव (heat stress) के कारण वर्ष 2021 तक भारत के शुष्क और अर्द्ध—शुष्क डेयरी फार्मिंग में दुग्ध उत्पादन में 25 प्रतिशत (वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में) की कमी आ सकती है।

बिजली के उपयोग पर प्रभावः— ग्रीष्म लहर स्वाभाविक रूप से पावर लोड को प्रभावित करती है।

जैसे—वर्ष 2024 में उत्तर भारत में अप्रैल माह में औसत दैनिक शीर्ष मांग वर्ष 2021 की तुलना में 13प्रतिशत अधिक थी, जबकि मई में यह 30 प्रतिशत अधिक थी।

मानव मृत्युः— ग्रीष्म लहरों के कारण मानव मृत्यु की स्थिति भी बनती है क्योंकि असह्य चरम तापमान, जनजागरूकता कार्यक्रमों की कमी और अपर्याप्त दीर्घकालिक शमन उपायों के कारण स्थिति गंभीर बनती जा रही है।

1—टाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट और शिकागो विश्वविद्यालय की वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2100 तक जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली अत्यधिक गर्मी से प्रति वर्ष 1.5 मिलियन से अधिक लोग मृत्यु के शिकार होंगे।

2—बढ़ती गर्मी से मधुमेह, परिसंचरण एवं श्वसन संबंधी रोगों के साथ—साथ मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों में भी वृद्धि होगी।

खाद्य असुरक्षाः— ग्रीष्म लहर और सूखे की घटनाओं के मेल से फसल उत्पादन का नुकसान हो रहा है और वृक्ष सूख रहे हैं।

1—गर्मी के कारण श्रम उत्पादकता की हानि से खाद्य उत्पादन में आने वाली अप्रत्याशित कमी स्वास्थ्य और खाद्य उत्पादन के जोखिमों को और गंभीर कर देगी।

2—ये परस्पर प्रभाव विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों खाद्य कीमतों में वृद्धि करेंगे, घरेलू आय को कम कर देंगे और कुपोषण एवं जलवायु संबंधी मौतों को बढ़ावा देंगे।

श्रमिकों पर प्रभावः— वर्ष 2030 में कृषि और निर्माण जैसे क्षेत्रों से संलग्न श्रमिक गंभीर रूप से प्रभावित होंगे क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिये इन क्षेत्रों पर निर्भर है।

कमजोर वर्गों पर विशेष प्रभावः— जलवायु विज्ञान समुदाय ने वृहत साक्ष्यों के साथ दावा किया है कि ग्रीनहाउस गैसों और एरोसोल के उत्सर्जन में वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय कटौती नहीं की जाएगी तो ग्रीष्म लहर जैसी चरम घटनाओं के भविष्य में और अधिक तीव्र, आवर्ती और दीर्घावधिक होने की ही संभावना है।

Scanned with OKEN Scanner

यह याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि भारत में ग्रीष्म लहर की घटनाओं (जैसी स्थिति अभी है) में हजारों कमजोर और गरीब लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है, जबकि जलवायु संकट में उन्होंने सबसे कम योगदान किया है।

भारतीय मौसम विभाग द्वारा लू (हीट–वेव) के लिए परिभाषित निम्न मापदंड दिए है।

- लू (हीट–वेव) को तब तक नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि एक स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों के लिए 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पंहुच जाता है।
- जब किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम या बराबर होता है तो लू (हीट–वेव) सामान्य से 5 डिग्री से 6 डिग्री के बीच हो जाता है। सीवियर लू (हीट–वेव) सामान्य तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान है।
- जब किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो लू (हीट–वेव) सामान्य से 4 डिग्री होता है तो 6 डिग्री से गंभीर हीट वेव प्रस्थान सामान्य से 6 या अधिक होता है। सामान्य तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस या अधिक तापमान होता है।
- तापमान जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री या सामान्य तापमान से अधिक रहता है तो उष्मा की तंरगें या हीटवेव घोषित की जानी चाहिए। उच्च दैनिक चरम तापमान और लंबें समय तक, अधिक तीव्र गर्मी की लहरें जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व स्तर पर लगातार बढ़ रही हैं। भारत भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महसूस कर रहा है जो गर्मी की लहरों के बढ़े हुए उदाहरणों के रूप में जो प्रत्येक गुजरते साल के साथ प्रकृति में अधिक तीव्र होते हैं और मानव स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं। जिससे गर्मी की लहर हताहतों की संख्या बढ़ जाती है।
- उच्च दैनिक चरण तापमान और लंबे समय तक, अधिक तीव्र गर्मी की लहरें जलवायु परिवर्तन के कारण विष्व स्तर पर लगातार बढ़ रही हैं। भारत भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महसूस कर रहा है जो गर्मी की लहरों के बढ़े हुए उदारहरण के रूप में है जो प्रत्येक गुजरते साल के साथ प्रकृति में अधिक तीव्र होते हैं, और मानव स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं जिससे गर्मी की लहर हताहतों की संख्या बढ़ जाती है।लू (हीट–वेव)घोषित करने के लिए उपरोक्त मानदंडो में से कम लगातार 2 दिनो के लिए बना रहना होगा। यह दूसरे दिन लू (हीट–वेव) की स्थिति घोषित किया जाएगा।

विभिन्न क्षेत्रों पर हीटवेव (लू) का प्रभाव(Impact of heatwave on different sector)-

- **स्वास्थ्य पर प्रभाव**–हमारे शरीर की ताप नियमन प्रणाली हमारे शरीर के मुख्य तापमान 36 डिग्री से0 को बनाये रखती है। शरीर के तापमान के इससे अधिक कर्म होने पर पसीने के वाष्पीकरण के द्वारा शरीर ठण्डा रहाता है। जब शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तथा शरीर निर्जलीकृत होता जाता है तो यह स्वास्थ्यस के लिए अत्यन्त घातक स्थिति होती है। इससे बचेन के लिए ठण्डे व छायादार स्थान क पर रहना, शारीरिक परिश्रम से बचना तरल पदार्थो का लगातार सेवन करते रहना लाभदायक होता है।

- **लू (हीट–वेव) के स्वास्थ्य प्रभावों में आमतौर पर निर्जलीकरण, हीट क्रैम्प, हीट थकावट और/यह हीट स्ट्रोक शामिल होते है। संकेत और लक्षण इस प्रकार होता है–:**

1 **हीट क्रैम्प्स–** ईडरना (सूजन) और सिंकैप (बेहोशी) आमतौर पर बुखार के साथ 39 डिग्री से नीचे।

2 **हीट थकावट**–थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिरदर्द, मतली, उल्टी, मांसपेशियों में ऐठन और पसीना।

3 **हीट स्ट्रोक**–शरीर का तापमान 40 डिग्री यानी 104 डिग्री फेरन्हीट या इससे अधिक यह एक सम्भावित घातक स्थिति है।

4 उच्च तापमान से शरीर के आन्तरिक अंगो विशेष रूप से मस्तिष्क को नुकसान पहुचने से शरीर में उच्च रक्तचाप उत्पन्न करता है।

5 मुनष्य के हृद्वय के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

6 जो लोग एक या दो घंटे से अधिक समय तक 40 डिग्री सेल्सियस (104 डिग्री)या अधिक तापमान अथवा गर्म हवाओं में रहते है तो इनके मस्ष्तिक में क्षति होने की सम्भावना प्रबल हो जाती है।

The level of heat discomfort is determined by a combination of meteorological (temp, RH,wind, direct sunshine), social/cultural (clothing, occupation, accommodation) and physiological (health, fitness, age, level of acclimatization) factors. There will be no harm to the human body if the environmental temperature remains at 37°C. Whenever the environmental temperature increases above 37° C, the human body starts gaining heat from the atmosphere. If humidity is high, a person can suffer from heat stress disorders even with the temperature at 37°C or 38°C as high humidity does not permit loss of heat from human body through perspiration. To calculate the effect of humidity, Heat Index Values are used in some regions. The Heat Index is a measure of how hot it really feels when relative humidity is factored in with the actual air temperature. Heat index chart used by the National Weather Service of the USA given below shows thatif the air temperature is 34°C and the relative humidity is 75 per cent, the heat index how hot it feels is 49°C. The same effect is reached at just 31°C when the relative humidity is 100 percent (*Figure 4*).

Temperature/ Humidity Index

Relative Humidity %	Temperature °C																
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
40	27	28	29	30	31	32	34	35	37	39	41	43	46	48	51	54	57
45	27	28	29	30	32	33	35	37	39	41	43	46	49	51	54	57	
50	27	28	30	31	33	35	36	38	41	43	46	49	52	55	58		
55	28	29	30	32	34	36	38	40	43	46	48	52	54	58			
60	28	29	31	33	35	37	40	42	45	48	51	55	59				
65	28	30	32	34	36	39	41	44	48	51	55	59					
70	29	31	33	35	38	40	43	47	50	54	58						
75	29	31	34	36	39	42	46	49	53	58							
80	30	32	35	38	41	44	48	52	57								
85	30	33	36	39	43	47	51	55									
90	31	34	37	41	45	49	54										
95	31	35	38	42	47	51	57										
100	32	36	40	44	49	56											

Caution | Extreme Caution | Danger | Extreme Danger

Source: Calculated °F to °C from NOAA's National Weather Service

Figure-4: Temperature Humidity Index

Scanned with OKEN Scanner

- **कृषि प्रभाव–**

लू (हीट–वेव) फसल उत्पादन कीमात्रा और गुणवत्ता दोनों को अत्यधिक प्रभावित करती है जिससे फसलों का अत्यधिक नुकसान होता है। रवी तथा जायद की फसेलें हीटवेव से अधिक प्रभावित होती है।

- **आजीविका प्रभाव–**

लू (हीट–वेव) की स्थिति अत्यधिक लम्बे समय तक बने रहने से असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को दिन के समय हीट से बचने के लिए घर के अन्दर रहना पड़ता है जिससे उनके कार्य व उनकी आजीविका प्रभावित होती है।

जनहीट वेव के प्रभाव के आंकलन हेतुः–

हीटवेव का वित्तीय प्राविधान

➢ **हीटवेव और आपदा प्रबन्धन**

उ0प्र0 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 2(छ) में यह उल्लेख है कि आपदा का तात्पर्य राज्य के किसी भाग में प्रकृति या अन्यथा घटित होने वाली ऐसी वास्तविक आसन्न घटना, संकट, आपदा, घोर विपत्ति, अनर्थ, दुर्भाग्य, अभाग्य या विनास से है जिससे स्थावर और जंगम दोनो सम्पत्ति की व्यापक क्षति व नुकसान या मानव जीवन की व्यापक हानि का मानवों की क्षति या बीमारी या पर्यावरण की क्षति या उसका ह्रास से है, जो अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करते हुए सामना करना, प्रभावित जनसमुदाय की क्षमता से परे हो और जनसमुदाय की सामान्य कार्यप्रणाली को विच्छिन्न करता हो। गर्मी लहर को भारत सरकार द्वारा अभी तक एक आपदा के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। नेशनल/स्टेट डिजॉस्टर रेस्पांस फण्ड के मानदंडो के अन्तर्गत राहत के लिए आपदाओं की सूची में लू/हीटवेव को अधिसूचित नहीं किया गया है। राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या–303/1–11–2016–4(जी)/16 दिनांक 27.06.2016 द्वारा लू–प्रकोप/हीटवेव को राज्य आपदा घोषित किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हीटवेव को राज्य के विशिष्ट आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिससे अब लू–प्रकोप/हीटवेव एस0डी0आर0एफ0 से राहत के लिए कवर किया गया है। सभी सम्बन्धित विभाग गर्मी लहर की स्थिति को कम करने के लिए आवश्यक एहतियाती उपाय कर सकते हैं।

हीटवेव राहत के लिए नियमों का प्राविधान :–

लू–प्रकोप से प्रभावित व्यक्तियों हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) से राहत सहायता हेतु मानक एवं दरें।

राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) से राहत सहायता हेतु मानक एवं दरें।

हीटवेव प्रबन्धन के लिए भूमिका एवं उत्तरदायित्व :–

हीटवेव प्रबन्धन के लिए जनपद में निम्नलिखित अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है:–

Scanned with OKEN Scanner

क्र0	अधिकारी का नाम	नमित पद नाम
1	जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।	अध्यक्ष
2	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गौतमबुद्धनगर।	मुख्य कार्यापालक अधिकारी
3	प्रभागीय निदेशक, सामा0 वानि0 वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर।	सदस्य
4	मुख्य चिकित्साधिकारी गौतमबुद्धनगर।	सदस्य
5	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर।	सदस्य
6	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी गौतमबुद्धनगर।	सदस्य
7	अधिशाषी अभियंता जल निगम, गौतमबुद्धनगर।	सदस्य
8	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।	सदस्य
9	जिला कृषि अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।	सदस्य
10	जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।	सदस्य
11	जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।	सदस्य
12	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।	सदस्य
13	पर्यटक अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।	सदस्य
14	जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।	सदस्य
15	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, गौतमबुद्धनगर।	सदस्य

राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता देने की मदों की संशोधित सूची।

मद	संशोधित दर	पुरानी दर
मृतकों के परिवारों को देय अनुग्रह सहायता	रू0 4.00 लाख	रू0 4.00 लाख
किसी अंग अथवा ऑखों के बेकार हो जाने पर अनुग्रह सहायता	रू0 74000/– अपंगता 40% और 60% के बीच रू0 2.50 लाख अपंगता 60% से अधिक।	रू0 59100/– अपंगता 40% और 60% के बीच रू0 2.00 लाख अपंगता 60% से अधिक।
अस्पताल में भर्ती होने पर	रू0 16000/–एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए। रू0 5400/– एक सप्ताह से कम अवधि के लिए। नोट :–आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार प्राप्त न हो।	रू0 12700/–एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए। रू0 4300/–एक सप्ताह से कम अवधि के लिए।
कपड़े और बर्तन/घरेलू सामान के पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त होने पर	रू0 2500/– कपड़ों की हानि। रू0 2500/– बर्तनों/घरेलू सामान की हानि।	रू0 1800/– कपड़ों की हानि। रू0 2000/– बर्तनों/घरेलू सामान की हानि।
आजीविका प्रभावित होने पर	परिवार के दो वयस्क सदस्यों को मनरेगा द्वारा निर्धारित दर रू0 213/– प्रतिदिन अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की औसत दर जो कम हो के अनुसार। 30 दिन, 60 दिन व 90 दिन	रू0 60/– प्रति वयस्क, रू0 45/– प्रति अवयस्क। 30 दिन, 60 दिन व 90 दिन
कृषि भूमि से गाद निकालना	रू0 18000/–प्रति हेक्टेयर। प्रति किसान न्यूनतम रू0 2200/–	रू0 12200/–प्रति हेक्टेयर।
भू–स्खलन, हिमस्खलन, नदियों के मार्ग बदलने से हुई हानि	रू0 47000/– प्रति हेक्टेयर। प्रति किसान न्यूनतम रू0 5000/–	रू0 37500/– प्रति हेक्टेयर।
कृषि, बागवानी, वार्षिक फसलों के लिए।	रू0 8500/– प्रति हेक्टेयर, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में। प्रति किसान न्यूनतम रू0 1000/– रू0 17000/–प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रों में। प्रति किसान न्यूनतम रू0 2000/–	रू0 6800/– प्रति हेक्टेयर, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में। रू0 13500/–प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रों में। प्रति किसान न्यूनतम रू0 1000/–
बारहमासी फसलें	रू0 22500/– प्रति हेक्टेयर। प्रति किसान न्यूनतम रू0 2500/–	रू0 18000/– प्रति हेक्टेयर। प्रति किसान न्यूनतम रू0 2000/–
रेशमकीट पालन/उत्पादन	रू0 6000/– प्रति हेक्टेयर ऐरी, मलबरी, टसर के लिए। रू0 7500/– प्रति हेक्टेयर मूँगा के लिए।	रू0 4800/– प्रति हेक्टेयर ऐरी, मलबरी, टसर के लिए। रू0 6000/– प्रति हेक्टेयर मूँगा के लिए।
इनपुट सब्सिडी, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि	रू0 8500/– प्रति हेक्टेयर वर्षा सिंचित क्षेत्रों में। रू0 17000/– प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रों में। रू0 22500/– प्रति हेक्टेयर बहुवर्षीय फसलों के लिए।	रू0 6800/– प्रति हेक्टेयर वर्षा सिंचित क्षेत्रों में। रू0 13500/– प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रों में। रू0 18000/– प्रति हेक्टेयर बहुवर्षीय फसलों के लिए।
दुधारू, गैर दुधारू पशुओं की भरपाई हेतु।	दुधारू पशु– रू0 37500/– भैंस/गाय/ऊँट/याक/मिथुन आदि के लिए। रू0 4000/– भेड़/बकरी/सूअर के लिए। गैर दुधारू पशु– रू0 32000/– ऊँट/घोड़ा/बैल आदि। रू0 20000/– बछड़ा/गधा/टट्टू/खच्चर/हेफर आदि। मुर्गी पालन– रू0 100/–प्रति पक्षी अधिकतम रू0 10000/–	दुधारू पशु– रू0 30000/– भैंस/गाय/ऊँट/याक/मिथुन आदि के लिए। रू0 3000/– भेड़/बकरी/सूअर के लिए। गैर दुधारू पशु– रू0 25000/– ऊँट/घोड़ा/बैल आदि। रू0 16000/– बछड़ा/गधा/टट्टू/खच्चर/हेफर आदि। मुर्गी पालन– रू0 50/–प्रति पक्षी अधिकतम रू0 5000/–
पशु कैम्पों में चारा/फीड कन्सन्ट्रेट का प्रावधान। **व्याख्या**– मौजूदा गौशालायें, जिन्हें पशु शिविर के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।	रू0 80/–प्रतिदिन बड़े पशु रू0 45/–प्रतिदिन छोटे पशु	रू0 70/–प्रतिदिन बड़े पशु रू0 35/–प्रतिदिन छोटे पशु
मत्स्य पालन	रू0 6000/–आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नावों के लिए। रू0 3000/–आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जालों के लिए। रू0 15000/–पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त नावों के लिए। रू0 4000/–पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त जालों के लिए।	रू0 4100/–आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नावों के लिए। रू0 2100/–आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जालों के लिए। रू0 9600/–पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त नावों के लिए। रू0 2600/–पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त जालों के लिए।
मछली के चारें हेतु इनपुट सब्सिडी	रू0 10000/–प्रति हेक्टेयर	रू0 8200/–प्रति हेक्टेयर
हस्तशिल्प/हथकरघा क्षतिग्रस्त कार्यत्मक औजारों को बदलने हेतु	रू0 5000/–प्रति शिल्पकार	रू0 4100/–प्रति शिल्पकार
कच्चे माल/तैयार माल की हानि	रू0 5000/–प्रति शिल्पकार	रू0 4100/–प्रति शिल्पकार
पूर्णतया क्षतिग्रस्त घर	रू0 120000/–प्रति पक्का घर मैदानी इलाकों में। रू0 130000/–प्रति कच्चा घर पहाड़ी क्षेत्रों में।	रू0 95100/–प्रति पक्का घर मैदानी इलाकों में। रू0 101900/–प्रति घर पहाड़ी क्षेत्रों में।
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान जहॉ क्षति कम से कम 15% हो।	रू0 6500/–प्रति पक्का घर। रू0 4000/–प्रति कच्चा घर।	रू0 5200/–प्रति पक्का घर। रू0 3200/–प्रति कच्चा घर।
क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ियां	रू0 8000/–प्रति झोपड़ी।	रू0 4100/–प्रति झोपड़ी।
पशुओं का बाड़ा	रू0 3000/–प्रति शेड।	रू0 2100/–प्रति शेड।
राज्य राजमार्गो/प्रमुख जिला सड़कों की मरम्मत	सामान्य क्षेत्रों में – रू0 100000/–प्रति कि0मी0।	सामान्य क्षेत्रों में – रू0 100000/–प्रति कि0मी0।
ग्रामीण सड़कों/पुलिया वाली गॉव की सड़कों की मरम्मत	रू0 60000/–प्रति कि0मी0।	रू0 60000/–प्रति कि0मी0।
आरसीसी पुलिया/पुल की मरम्मत	रू0 60000/–प्रति कि0मी0।	
पेयजल	रू0 200000/–	रू0 150000/–
लघु सिंचाई	रू0 200000/–	रू0 150000/–
बिजली तत्काल बहाली हेतु	रू0 5000/–प्रति पोल रू0 50000/–कि0मी0 लाईन मरम्मत। रू0 100000/–ट्रान्सफार्मर।	रू0 4000/–प्रति पोल रू0 50000/कि0मी0 लाईन मरम्मत। रू0 100000/–ट्रान्सफार्मर।
पंचायत के स्वामित्व वाली सामुदायिक सम्पत्ति की मरम्मत	रू0 250000/–	रू0 200000/–

Scanned with OKEN Scanner

प्रथम चरण – फरवरी से मार्च – हीटवेव के प्रथम चरण फरवरी से मार्च के मध्य सभी सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करने के लिए बैठक का आयोजन करके सभी के मध्य जनता को जागरूक कराने, प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने, हेल्थ केयर की समुचित व्यवस्था किये जाने के साथ मानव संस्थान उपलब्ध कराने का कार्य प्राथमिकता से किया गया है।

द्वितीय चरण – अप्रैल से जून – जनपद में हीटवेव का प्रभाव द्वितीय चरण में दिखाई पड़ता है। इस कारण सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिये गये हैं कि जनपद के समस्त क्षेत्रों में जहाँ हीटवेव का प्रभाव अधिक पड़ने की सम्भावना हो वहाँ के आम जन मानस को हाई एलर्ट कर दिया जाय तथा हीटवेव से घटित होने वाली घटनाओं पर सतर्क दृष्टि रखते हुए नियमित मानीटरिंग किया जाय। जनता तथा मीडिया द्वारा प्राप्त सूचनओं पर त्वरित कार्यवाही करते हुए राहत एवं बचाव कार्य प्राथमिकता के आधार पर करायें।

इसके लिए जनपद स्तर पर गठित टीमों के अतिरिक्त तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टीम का गठन कर निम्न कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया हैः–

1. हीटवेव से बचाव एवं सुरक्षा हेतु सम्बन्धित विभागों का उत्तरदायित्व निर्धारित करना।
2. इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम का गठन करना।
3. सूचना एकत्र करना तथा उस पर प्रभावि कार्यवाही करना।
4. सुरक्षा के उपायों का प्रचार–प्रसार टी0वी0, रेडियो, दैनिक समाचार पत्रों आदि के माध्यम से कराया जाय।
5. मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी एलर्ट, चेतावनी की सूचना सम्बन्धित को भेजकर अनुपालन कराना।
6. जिला इमरजेंसी सेन्टर द्वारा जारी निर्देशों का समय से पालन करना।
7. शासनादेशानुसार अनुमन्य राहत सहायता तथा बचाव कार्य तत्काल कराते हुए सूचना का प्रेषण कराया जाय।
8. विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से उपलब्ध कराया जाना।
9. स्वास्थ्य चिकित्सा हेतु सभी पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 को तत्काल क्रियाशील करते हुए दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था कराया जाय।
10. इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा 108/104 की सहायता हेतु सम्बन्धित को कड़े निर्देश दे दिया जाय।
11. शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, पंचायती विभाग, विद्युत विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कॉलेज, मालशापों, धार्मिक स्थलों, अस्थायी शेल्टरों आदि स्थलों पर पेयजल, विजली की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाय।
12. ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत पेयजल, शेल्टर व छाया की व्यवस्था किया जाय।
13. पशु पक्षियों के पानी पीने हेतु तालाबों, जलाशयों में ग्राम पंचायतो द्वारा निजी हैण्डपम्पो एवं राजकीय नलकूपों से पानी भराया जाय।
14. बच्चों को हीटवेव/लू से बचाने हेतु विद्यालय मार्निंग टाइम में खोला जाय।
15. फायर विभाग द्वारा हीटवेव की अवधि में अपने उपकरणों को चालू हालात में रखा जाय तथा बिना अनुमति के अवकाश पर न जायें।

तृतीय चरण –जुलाई से अक्टूबर

हीटवेव का प्रभाव द्वितीय चरण समाप्त होने के पश्चात कभी–कभी अवर्षण की स्थिति में माह जुलाई तक बढ़ने की सम्भावना होती है परन्तु जनपद में अभी तक ऐसी कोइ स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है परन्तु जलवायु एवं मौसम परिवर्तन के कारण भी हीटवेट से प्रभावित हेल्थ सेन्टरों के संचालन के प्लान पर कार्य किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

लू/गर्मी से सम्बन्धित बीमारियों से निपटना

हीटवेव बीमारी की पहचान एवं रोकथाम

हीटवेव की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार होने के साथ शरीर में दाने निकल आना जैसे मिजिल्स, चिकेनपॉक्स एवं एलर्जी के साथ हीट स्ट्रोक होना है, जिसका उपचार तत्काल किया जाना चाहिए।

क्र0	सम्भावित बीमारी का नाम	डपचार	विवरण
1	हीट स्ट्रोक	ओ0आर0एस0 पाउडर नार्मल सलाईन/डी0एन0एस0	जिला चिकित्सालय में औषधियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
2	बुखार (तेज बुखार होने के साथ शरीर में दाने जैसे मिजिल्स, चिकेनपॉक्स एवं एलर्जी हो सकती है।)	एन्टीबॉयोटिक, एन्टीपायरेटिक, एन्टी एलर्जिक एवं स्किन लोशन/क्रीम	

आपात कालीन उपचार

स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपात कालीन उपचार की समुचित व्यवस्था कर ली गयी है।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में पेय योग्य कूपों एवं साधारण हैण्डपम्पों का विसंक्रमण करके जनमानस को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।
2. संक्रमण रोगों के प्रसार के समय या किसी आपदा के समय चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना।
3. लू–प्रकोप/हीटवेव के समय रोगियों के उपचार एवं बचाव हेतु सचल चिकित्सीय दल की तैनाती एवं आवश्यक टीकाकरण कराना।
4. जिला स्तरीय चिकित्सालयों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आपातकालीन स्थितियों में अलग से बेड की अतिरिक्त व्यवस्था कराना।
5. आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी चिकित्सालय संचालित कराना। गर्मी एवं वर्षा ऋतु में फैलने वाली बीमारियों को निम्न मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:–

1. अत्यधिक गर्मी के कारण
- (i) हीट कैम्प
- (ii) हीट एक्जारशन
- (iii) हीट स्ट्रोक

2. बुखार सरदर्द, सर्दी व कपकपी
- (i) मलेरिया
- (ii) मस्तिष्क ज्वर (जापानीज इन्सेफेलाइटिस)
- (iii) डेंगू
- (iv) फाइलेरिया
- (v) कालाजार

3. बुखार के साथ शरीर में दाने निकलना
- (i) मिजिल्स (खसरा)
- (ii) चिकेनपॉक्स

4. उल्टी–दस्त
- (i) डायरिया
- (ii) गैस्ट्रो इन्ट्राइटिस
- (iii) कालरा
- (iv) फूड प्वायजनिंग

Scanned with OKEN Scanner

चिकित्सा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

1. अलग से वार्ड व्यवस्था, कोल्ड स्पान्जिंग की व्यवस्था, बर्फ, पंखा, कूलर, फ्लूड का प्रबन्ध, आकस्मिक औषधियों।
2. जगह–जगह शीतल तथा विसंक्रमित पेयजल की व्यवस्था।
3. सड़े गले फलों तथा खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक।

संक्रमक रोगों से बचाव हेतु महत्वपूर्ण बातें:–

1. व्यक्तिगत साफ–सफाई व आस–पास के क्षेत्रों में सफाई करना।
2. शुद्ध पेयजल एवं भोजन का सेवन।
3. सड़े गले फलों तथा खाद्य पदार्थों का सेवन न करना।
4. खाद्य पदार्थों को ढक कर रखना।

हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना का सूत्रण
(Formulation of Heatwave Management Action Plan)

लू (हीट–वेव) से भारत के कई राज्य प्रभावित होते है। वर्ष 2015 में प्रदेश में दैनिक अधिकतम तापमान 6 डिग्री से0 से 8 डिग्री से0 तक औसत तापमान से अधिक हो गया जिसके चलते प्रदेश में हीटवेव प्रबंधन के लिए एक समन्वित कार्ययोजना की आवश्यकता प्रतीत हो रहा है।

हीटवेव प्रबंधन कार्ययोजना की आवश्यकता (Need for Heatwave Management Action Plan)

भारतीय एवं अन्तराष्ट्रीय मानकों के निम्नानुसार है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब किसी जगह का स्थानीय तापमान लगातार 03 दिन तक वहों के समान्य तापमान से 03 डिग्री से0 या अधिक बना रहें तो उसे लू या हीट वेव कहते है। विश्व मौसम संघ के अनुसार यदि किसी स्थान का तापमान लगातार 05 दिन तक समान्य स्थानीय तापमान से 05 डिग्री0से0 अधिक बना रहे अथवा लगातार 02 दिन तक 45 डिग्री0से0 से अधिक का तापमान बना रहे तो उसे हीट वेव या लू कहते है।

यह वातावरणीय तापमान 37 डिग्री0से0 तक रहता तो मानव शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पडता है। जैसे ही तापमान 37 डिग्री0से0 से ऊपर बढता है तो हमारा शरीर वातावरणीय गर्मी को शोषित कर शरीर के तापमान को प्रभावित करने लगता है। अधिम नमी वाले स्थानों पर 37 डिग्री0से0 पर भी शरीर पर दुष्प्रभाव होने लगता है, जोकि वायुमण्डल में नमी की मात्रा के साथ–साथ बढने लगता है, और अधिक नमी के वातावरण में कम तापमान भी घातक प्रभाव डाल सकता है।

हीटवेव/लू की तरंगों के चलने से सम्पूर्ण जन जीवन मानव, पशु एवं फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्मकाल में तापमान का उच्च स्तर पर होना सामान्य प्रक्रिया है किन्तु जनपद गौतमबुद्धनगर में उच्चतम तापमान 41 से 45 डिग्री सेल्सियस होने पर लू का प्रभाव दिखाई पडता है। हीटवेव/लू की तरंगो से बचाव एवं सुरक्षा की दृष्टि से आम जन मानस में जानकारी एवं जागरूकता लाने के लिए शिक्षा एवं संचार के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाना आवश्यक होता ह। इसके लिए एक एक्शन प्लान की जरूरत होती है जिसके तहत ही हीटवेव/लू की तरंगों से बचाव एवं सुरक्षा हेतु उपाय सुझाया जा सकता है। कार्य योजना के अनुसार ही प्राथमिक चिकित्सा एवं अन्य उपायों के सम्बन्ध में एक प्रभावी रणनीति तय की जा सकती है तथा सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए सुरक्षा एवं बचाव कार्यों की जिम्मेदारी कर्मचारियों/अधिकारियों के बीच सौंप कर उत्तरदायी बनाया जा सकता है। अन्य आपदाओं की भाँति हीटवेव/लू भी मानव जन जीवन के समक्ष संकट उत्पन्न करती है जिससे उनके जीवन का खतरा हो सकता है। पशुओं एवं फसलों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण हीटवेव/लू से बचाव एवं सुरक्षा हेतु हीटवेव एक्शन प्लान बनाने की आवश्यकता महसूस की गयी। हीटवेव/लू से निपटने हेतु एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इससे बचाव एवं उपचार तथा सुरक्षा हेतु समस्त जानकारियाँ सुगमता से आम जन तक पहुँच सकती है, जिससे हीटवेव/लू का प्रभाव आम जन मानस के जीवन पर कम पड़े तथा आम जन मानस जागरूक हो सकें।

Scanned with OKEN Scanner

हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना का उद्देश्य
(Objective of the Heatwave Management Action Plan)

1 लू (हीट–वेव) के प्रति संवेदनशील क्षेत्र की पहचान।
2 लू (हीट–वेव) से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करना।
3 हितधारको की भूमिकाये एवं जिम्मेदारियॉ।
4 स्वास्थ्य जोखिमों के समाधान के लिए एजेन्सियों का समन्वय।
5 लू (हीट–वेव) की घटना से पूर्व चेतावनी/अलर्ट।
6 प्रलेखन रिपोर्टिंग।

जनपद में लू के प्रति जोखिम का आंकलन (कमजोर वर्ग एवं क्षेत्र की पहचान करना)
(Assessment of vulnerability to heat in the district(Identifying vulnerable areas and population)

जनपद में सामान्य अधिकतम तापमान में वृद्धि के कारण ग्रीष्मकाल में लू (हीट–वेव) का प्रकोप देखा जाता है। प्रायः मानसून के आगमन से पूर्व अधिकतम तापमान में माह जून तक वृद्धि होती है कभी–कभी माह जुलाई में भी अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। हाल ही के वर्षो में भारत में लू (हीट–वेव) के कारण हताहतो की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, लू (हीट–वेव) की तीव्रता भारत में प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। यद्यपि लू (हीट–वेव) के कारण भारत में वर्ष 2013 में 1216, वर्ष 2014 में 1677, तथा वर्ष 2015 सवाधिक 2422 व्यक्ति हताहत हुए है। लू (हीट–वेव) के कारण वन जीव एवं पशु–पशुओं की भी मौतो की संख्या में वृद्धि हुई है।

जनपद में लू (हीट–वेव) के कारण जनहानि, पशुहानि संख्या शून्य है।

हीटवेव (लू) कार्ययोजना की प्रमुख रणनीतियॉ (Key Strategies of the Heatwave Action Plan)

- पूर्व चेतावनी तंत्र एवं एजेन्सियों के मध्य समन्वय स्थापित करना जिससे सम्बन्धित विभागो को निदेर्शित किया जा सके, जिससे जनसामान्य को सचेत व जागरूक किया जा सकें।
- लू (हीट–वेव) के दौरान इससे सम्बन्धित बीमरियों की पहचान एवं उचित प्रतिक्रिया हेतु सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारियों, पैरी मेडिकल स्टाफ व सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाना जिससे हीटवेव पीडित व्यक्तियों को प्रभावी चिकित्सा सहायता प्राप्त हो सकें।
- प्रिन्ट इलेक्ट्रानिक, सोशल मीडिया एव आई0ई0सी0 मेटेरियल जैसे– पर्चे, पोस्टर विज्ञापन आदि के माध्यम से हीटवेव की स्थिति में क्या करे क्या न करे के सम्बन्ध में जन–जागरूकता में वृद्वि करना ।
- गैर सरकारी संगठनो एवं अन्य सामाजिक सगंठनो के सहयोग से लू (हीट–वेव)बचने हेतु स्थाई आश्रयों/रैनबसेरों का निर्माण करना।

हीटवेव पूर्व चेतावनी प्रसार तंत्र(Heat wave Early Warning Communication system)

भारत मौसम विज्ञान विभाग गर्मी के सूचकांक पर आधारित चेतावनियां प्रदान करता है। यह राहत आयुक्त, मजिस्ट्रेट, दूरदर्शन और आल इण्डिया रेडियो के माध्यम से चेतावनी प्राप्त होते ही तत्काल राज्य और जिला आपातकालीन ऑपरेशन केन्द्र, सभी प्रकार के मीडिया के माध्यम से चेतावनी का प्रचार–प्रसार करतें है तथा शीघ्र कार्यवाही के निर्देश देते हैं। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण पर चेतावनी प्राप्त होते ही सभी एस0डी0एम0 और तहसीलदार के माध्यम से लेखपालों, बी0डी0ओ0, ग्राम प्रधान आदिद्वारा तत्काल क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार कराया जाता है।

विभिन्न विभागों/एजेन्सी के चरणवार उत्तरदायित्व

(Phase wiseRoles and Responsibilities of various Departments/Agencies)

➢ **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग–भूमिका एवं उत्तरदायित्व–**

Scanned with OKEN Scanner

- निगम एवं हीटवेव पर प्राथमिक चिकित्सा/उपचार की चिकित्सीय उपचार की तैयारी एवं प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करना।
- लू (हीट–वेव) प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नियंत्रण कक्ष को सक्रिया करना।
- उष्माघात/हीट स्ट्रोक के मामलों के लिए चिकित्सा प्रतिक्रिया की तैयारी।
- लू (हीट–वेव) में प्राथमिक चिकित्सा चित्रण।

➢ **पंचायती राज विभाग–भूमिका एवं उत्तरदायित्व–**

- लू (हीट–वेव) की तैयारी एवं प्रक्रिया की समीक्षा करना।
- ग्रीष्म ऋतु के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाना पकाने का समय निर्धारित करना।
- पानी के टैकर की सुविधा का प्रविधान करना।
- सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की सुविधा स्थापित करना।
- पालतू /मेवशियो को लू से बचाने हेतु तैयारी करना।

➢ **पेयजल की व्यवस्था–**

- जल निगम एवं नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया की पेय जल के स्थानों पर टैक्कर द्वारा प्याऊ स्थापित कर पेय जल की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- जिला पंचायती राज अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा टीम बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवासियों को इडिण्या मार्का–2 हैन्डपम्प, (डीप बोरवेल) का जल हीउपयोग/पीने के लिए निर्देशित करे।
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा टीम बनाकर पानी का उचित एवं नियमित क्लोरिनेशन कराया जाना और जल के नमूनों में टेल एवं पी0पी0एम0 की आपूर्ति सुनिश्चितकी जाय एवं सयुक्त टीमद्वारा निर्धारित रूप जलायन की ओ0टी0 टेस्टिग कराई जाय।

➢ **रैपिड रिस्पांस टीम–**मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित जाय किकिसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने तथा निवारण करने के दृष्टिकोण से प्राथ0स्वा0के0 पर एक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में रैपिड रिस्पान्स टीम का गठन कर लिया जाय। साथ ही एक अफवाह रजिस्ट्रर भी बना लिया जाय एवं हीट–स्ट्रोक एक्जहाशन के रोगियों की सूचना जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन भेजना सुनिश्चित करें ताकि उक्त सूचना जिला मुख्यालय एवं राज्य मुख्यालय को समय से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

➢ **पशुपालन विभाग–**पशुओ के लिए हीटवेव की स्थिति में चिकित्सा तैयारी करना।

- **हीट–स्ट्रोक का** उपचार**तथा फस्ट–एड–**

➢ पशुओं/पक्षियों में लू के लक्षण प्राप्त होने पर जिले के समस्त संस्थाओं पर उपचार हेतु आवश्यक औषधियों की व्यवस्था की गयी है। लू के समय पशुपालको को वितरित किया जायेगा।

➢ पशुपालकों को जागरूक करने हेतु पोस्टर व पम्पलेट के माध्यम से लू के बचाव

➢ की जानकारी दिया जायेगा।

➢ जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि संक्रामक रोग से बचाव हेतु पशुओ को आवश्यक टीका लगवाया जाय–संक्रामक रोगो से बचाव हेतु एफ0एम0डी0 टीकाकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

➢ पशुओ को लू एवं गर्मी से बचाव हित छायादार स्थानों पर रखा जाय एवं पिने के पानी प्रयाप्त रखा जाये–पशुओ को उपर से ढ़के हुए छपर टीन शेडवाले स्थानों में रखाजाये तथा यह विशेष ध्यान रखा जाये की, रोशनदान, दरवाजो एवं खिड़कियो को टाट/बोरे ढका जाये जिससे सीधी हवा का झोका पशुओं तक न पहुॅच सकें टाट/बोरो पर पानी का छिड़काव किया जाना पशुओं को छाय में बाधे जायें और उन्हे प्राप्त मात्रा में पानी/तरल प्रदार्थ पीलाया जाये पशुओ को धुप में रखा हुआ

Scanned with OKEN Scanner

गरम पानी न पिलाया जाये, स्वच्छ ताजा पानी हैन्डपम्प या कुओ से ही पिलाया जायें पोखरों का पानी कदापी न पिलाया जाये।

- पशु के रखे जाने वाले स्थान पर दवा का छिडकाव किया जाय–
- नलकूपो से पशुओ के पेय हेतु पोखरो को भरा जाय।
- पशुशाला में स्प्रिक्लर के द्वारा जल का छिड़काव एवं पंखो का उपयोग किया जाये । पशुशाला में सुखे चुने का छिड़काव तथा फिनायल के घोल का छिड़काव के किया जाना लाभकारी होगा।
- **पुलिस विभाग–** हीटवेव की स्थिति में टैफिक पुलिस के लिए हीटवेव प्रक्रिया योजना बनाना।
- **श्रम विभाग**–मजदूरो के लिए हीटवेव प्रक्रिया योजना बनाना।
- **विकास विभाग–**तालाबो को खुदवाकर उसमें पानी भरवा जाय ताकि पशुओं एवं पक्षियो को पीने का पानी मुहैया हो सके। राजस्व विभाग द्वारा पोखरों को चिहिन्त कर विकास/पंचायती राज विभाग से खुदवाया जाय।
- **जिला खा़द्य निरीक्षण विभाग**

- सड़े गले खाद्य पदार्थो, फलो का विनष्टीकरण–
- जिला खा़द्य निरीक्षण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सडें गले फलों एवं खुले खाद्य पदाथों की बिकरी एवं उसके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाये एवं उनका विनष्टीकरण किया जाये।
- बासी भोजन अथवा खुले में बिकने वाले गन्नें, अन्य फलों का रस, कटे फल तली–भुनी खाद्य वस्तुये एवं प्लास्टिक के पाउच में बिकने वाले पेयजल एवं खाद्य पदार्थो की प्रयोग करने को प्रतिबधित किया जाय।
- उपरोक्त का उल्लघन करने वाले के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाय।

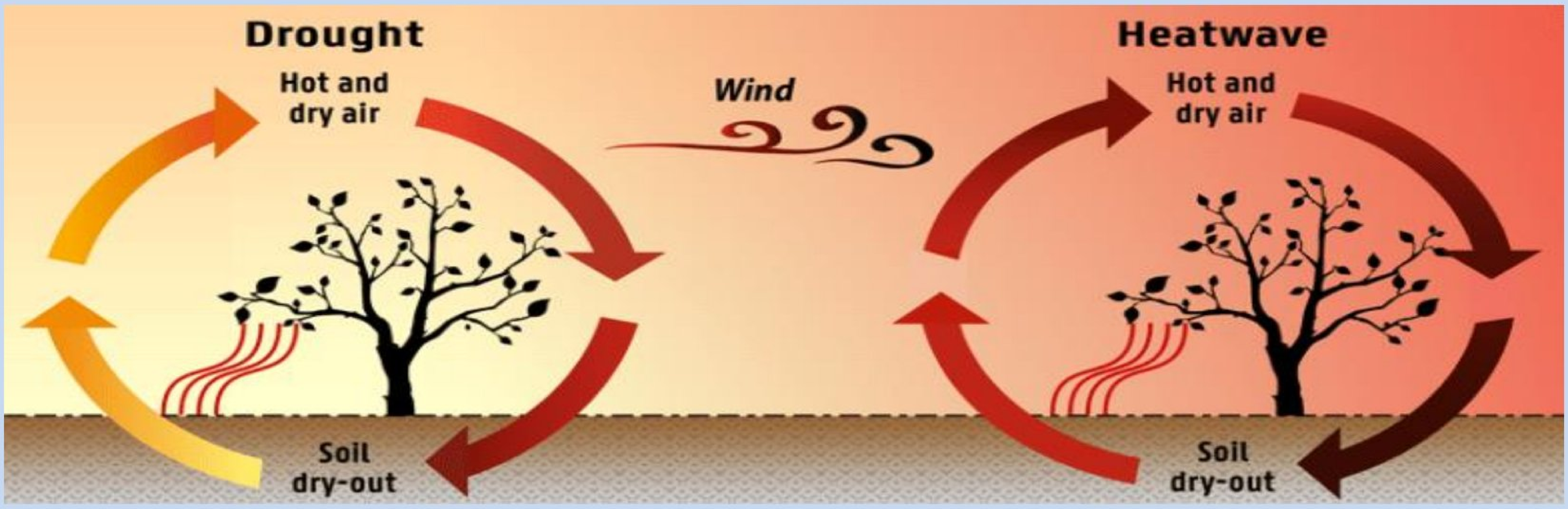

- संक्रमित खाद्य एवं पेय पदार्थो के प्रयोग न करने हेतु जनसमान्य में व्यापक जागरूकता स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाय।

- **जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–** जिला आपदा विशेषज्ञ को निर्देशित किया जाता है जिला सूचना अधिकारी से समन्वय कर समय–समय पर लू (हीट–वेव) से बचाव हेतु क्या करें क्या ना करे का प्रकाशन दैनिक समाचर पत्रों में प्राथमिकता के आधार पर जनहित में प्रकाशित करना सुनिश्चित करे। साथ ही शासन से प्राप्त मौसम एर्लट का संदेश समस्त ग्रुपो में नियमित रूप से प्रेषित करते रहे, जिससे की जनसमुदाय लू (हीट–वेव) की जानकारी एवं जागरूकता से अघतन होते रहेगें।

Scanned with OKEN Scanner

➢ विभागवार हीटवेव/लू के पूर्व के समय (जनवरी–मार्च)–लू/हीटवेव के दौरान (अप्रैल–जून) औरलू/हीटवेव के बाद के समय (जुलाई–दिसम्बर) के दौरान जिम्मेदारियां–

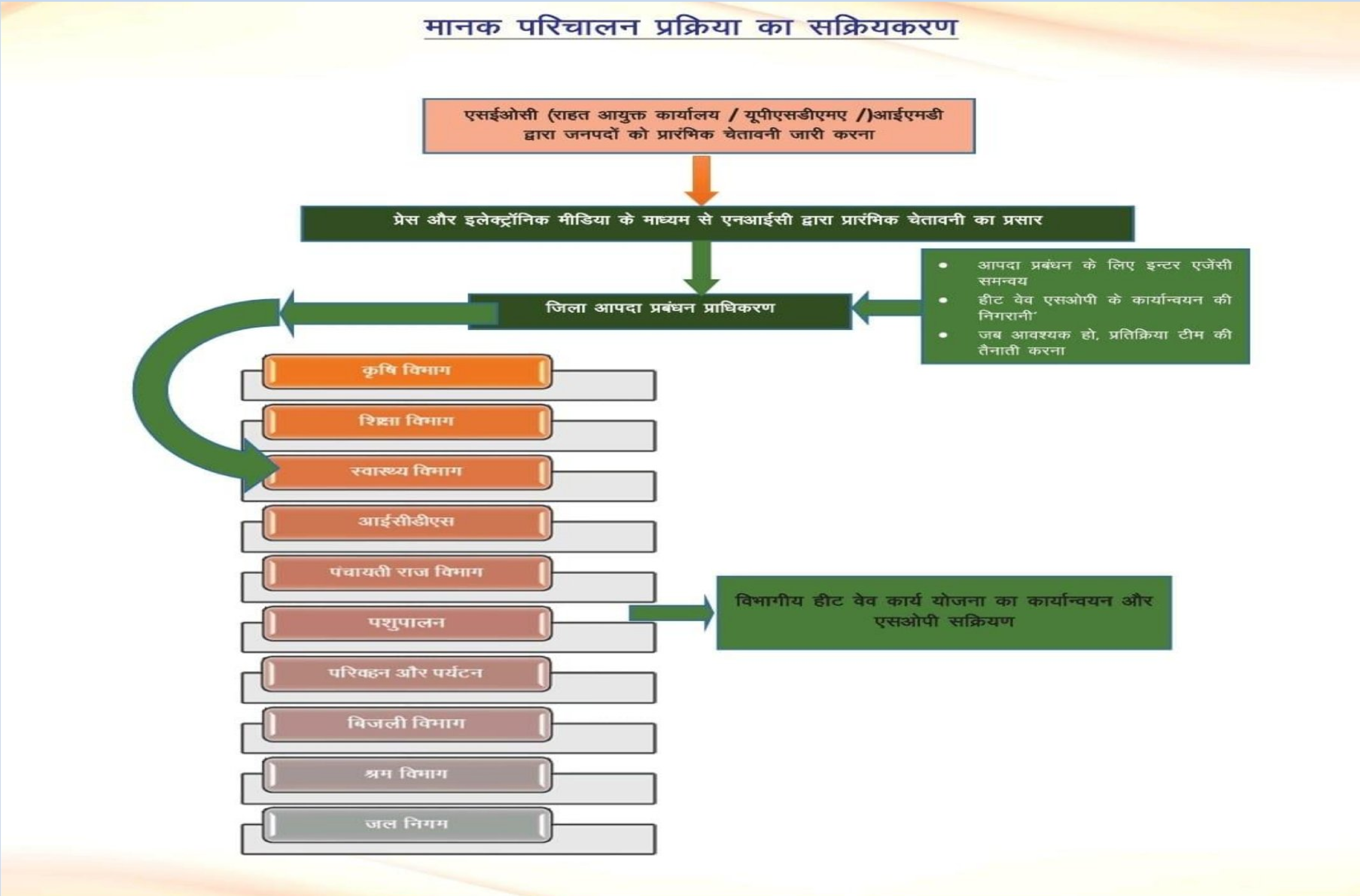

कार्ययोजना की रणनीतिः–

- सफाई व्यवस्था में सुधार।
- शुद्ध पेयजल की आपूर्ति।
- दूषित खाद्य पदार्थों पर रोक (ए0एफ0पी0 एक्ट का प्रयोग)
- सचल दलों का गठन।
- रोगियों का तत्काल उपचार।
- पर्यवेक्षकीय कार्यवाही।
- अनुश्रवण/रिपोर्टिंग।

हीट वेव के प्रभाव के पूर्व अनुभवों के आधार पर हीट वेव के प्रभावों को कम करने हेतु निम्न तथ्य प्राप्त किये जा सकते हैः–

- हीट वेव एक प्रमुख जन स्वास्थ्य जोखिम है।
- हाई रिस्क समुदाय वालें स्थानों का चिन्हीकरण।
- स्थान –स्थान पर जन शीतक (कूलिंग) स्थानों का स्थापित किया जाना।
- विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा हीट वेव से सम्बन्धित चेतावनी जारी करना।

Scanned with OKEN Scanner

रंग कोड	अलर्ट	चेतावनी	प्रभाव	सुझाए गए कार्य
हरा (कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं)	सामान्य दिन	अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के पास है। चेतावनी की जरुरत नहीं।	आरामदायक तापमान, कोई सतर्कता या कार्रवाई की आवश्यकता नहीं।	सामान्य दिन की भांति दैनिक गतिविधि
येलो अलर्ट (अपडेट रहें)	हीट अलर्ट	हीट वेव की स्थिति अगले 2 दिनों तक बनी रह सकती है।	सामान्य लोगों के लिए गर्मी सहन करने योग्य है लेकिन संवेदनशील लोगों जैसे– शिशु, वृद्ध एवं लम्बी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के लिए थोड़ी स्वास्थ्य सम्बंधी चिंता हो सकती है।	क) गर्मी के जोखिम से बचें। ख) ढीले–ढाले, सूती व हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहनें। ग) अपने सिर को ढकने के लिये कपड़े, टोपी या छाता का उपयोग करें
ऑरेंज अलर्ट (सतर्क रहें)	दिन के लिए गंभीर हीट वेव (लू) का अलर्ट है।	• अगले दो दिनों तक गंभीर हीट वेव (लू) की स्थिति बनी रहेगी।	उन लागों में हीट स्ट्रोक्स के लक्षण की संभावना बढ़ जाती है जो सीधे सूर्य के नीचे लम्बे समय तक काम करते हैं या जो	क) दोपहर 12 बजे से 03 बजे के बीच गर्मी से बचें, ठन्डे स्थान पर रहें तरल पदार्थ का सेवन करते रहें।

		• अत्यंत गंभीर नहीं, परन्तु अगले 4 दिन या 4 से अधिक दिनों तक हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी।	अत्यधिक श्रम वाले कार्यों में नियोजित हैं। संवेदनशील समूहों जैसे– शिशु, वृद्ध, एवं लम्बी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य सम्बंधी चिंता हो सकती है।	ख) ढीले–ढाले, सूती व हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहनें। ग) अपने सिर को ढकने के लिये कपड़े, टोपी या छाता का उपयोग करें। घ) भले ही प्यास ना लगे फिर भी पर्याप्त पानी पीते रहें। ड.) ओआरएस घोल या घर में बने पेय पदार्थ जैसे– छांछ, लस्सी, नींबू पानी, आम का पन्ना इत्यादि का अधिक से अधिक सेवन करें।
रेड अलर्ट (कार्रवाई करें)	दिन के लिए हीट वेव (लू) अलर्ट चरम पर है	• गंभीर लू की स्थिति अगले 2 दिनों से अधिक समय तक बनी रहती है। • गर्मी की कुल संख्या / गंभीर लू के दिन 6 दिनों से अधिक समय तक बनी रह सकती है	सभी उम्र के लागों में हीट स्ट्रोक की बहुत अधिक संभावना हो सकती है।	अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता है विशेषकर अति संवेदनशील समूहों जैसे–शिशु, वृद्ध, एवं लम्बी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति।

2.1 हीटवेव (लू) घोषणा का विश्लेषण:

भारत मौसम विज्ञान विभाग वर्तमान समय में पूरे देश के लिये चेतावनी जारी करने की रंग संकेत एकल प्रणाली (Color Code Signal System) का अनुसरण करता है। यह प्रणाली अपेक्षित गर्मी के खतरे की गंभीरता के सम्बंध में सलाह देती है।

2.1.1 हीटवेव (लू) की घोषणा के लिए मानदंड:

क) सामान्य अधिकतम तापमान के आधार पर

- **हीट वेव:** सामान्य से विचलन 4.50 डिग्री सेल्सियस से 6.40 डिग्री सेल्सियस होने पर ।
- **गंभीर हीट वेव:** सामान्य से से विचलन >6.40 डिग्री सेल्सियस होने पर ।

ख) वास्तविक अधिकतम तापमान के आधार पर

- **हीट वेव:** जब वास्तविक अधिकतम तापमान ≥ 45^0 डिग्री सेल्सियस हो ।
- **गंभीर हीट वेव:** जब वास्तविक अधिकतम तापमान ≥ 47^0 डिग्री सेल्सियस हो ।

यदि उपर्युक्त मानदंड लगातार दो दिनों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के कम से कम 2 स्टेशनों में मिलते हैं तब हीट वेव (लू) की स्थिति घोषित की जाती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्धारित थ्रेसहोल्ड पर आधारित हीट अलर्ट निम्नलिखित कलर सिग्नल सिस्टम का उपयोग करके जारी किया जाता है:–

रंग कोड	अलर्ट	चेतावनी	प्रभाव	सुझाए गए कार्य
हरा (कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं)	सामान्य दिन	अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के पास है। चेतावनी की जरुरत नहीं।	आरामदायक तापमान, कोई सतर्कता या कार्रवाई की आवश्यकता नहीं।	सामान्य दिन की भांति दैनिक गतिविधि
येलो अलर्ट (अपडेट रहें)	हीट अलर्ट	हीट वेव की स्थिति अगले 2 दिनों तक बनी रह सकती है।	सामान्य लोगों के लिए गर्मी सहन करने योग्य है लेकिन संवेदनशील लोगों जैसे– शिशु, वृद्ध एवं लम्बी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के लिए थोड़ी स्वास्थ्य सम्बंधी चिंता हो सकती है।	क) गर्मी के जोखिम से बचें। ख) ढीले–ढाले, सूती व हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहनें। ग) अपने सिर को ढकने के लिये कपड़े, टोपी या छाता का उपयोग करें
ऑरेंज अलर्ट (सतर्क रहें)	दिन के लिए गंभीर हीट वेव (लू) का अलर्ट है।	• अगले दो दिनों तक गंभीर हीट वेव (लू) की स्थिति बनी रहेगी।	उन लागों में हीट स्ट्रोक्स के लक्षण की संभावना बढ़ जाती है जो सीधे सूर्य के नीचे लम्बे समय तक काम करते हैं या जो	क) दोपहर 12 बजे से 03 बजे के बीच गर्मी से बचें, ठन्डे स्थान पर रहें तरल पदार्थ का सेवन करते रहें।

Scanned with OKEN Scanner

मानक परिचालन प्रक्रिया

4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणः भूमिका और जिम्मेदारियाँ:

क्र. सं.	कार्य	परिचालन प्रक्रिया	समन्वयकारी एजेंसियां	संदर्भ (विधान/मानक/ दिशानिर्देश)
1.	**लू से बचाव संबंधित उपायों के विषय में जन जागरूकता अभियान चलाना**	1. गर्म हवाएं/लू (हीट वेव) के समय क्या करें और क्या न करें के बारे में जनता को बताने और शिक्षित करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना। 2. कोविड–19 आपदा से बचाव हेतु जरुरी सुरक्षा उपाय जैसे–शारीरिक दूरी, मॉस्क का प्रयोग, साबुन एवं पानी की उपलब्धता और सैनीटाइजेशन का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए लू से बचाव की जानाकरी भी विभिन्न प्रचार माध्यमों से देना। 3. हीट वें/लू से होने वाली मौतों को रोकने हेतु सभी ज़रूरी उपाय अमल में लाना। 4. हीट वे/लू सम्बंधित बीमारियों के जोखिम और खतरों के विषय में नियमित प्रेस कांफ्रेंस करना, मंदिरों, सार्वजनिक भवनों, मॉल आदि जगहों को शीतल रखने की व्यवस्था करना, हीट वे/लू की स्थिति में गैर सरकारी संगठनों, सामुदायिक समूहों और व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर पेय जल/शीतल पेय पदार्थ कियोस्क खोलने के लिए प्रेरित करना। 5. महत्वपूर्ण स्थानों, यथा– हॉस्पिटल, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने हेतु विद्युत कम्पनियों से आग्रह करना।	1. राजस्व विभाग 2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 3. पुलिस विभाग 4. भारत मौसम विज्ञान विभाग 5. विद्युत विभाग 6. समाज कल्याण विभाग 7. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग 8. श्रम विभाग 9. आवास एवं शहरी विकास विभाग 10. जल निगम 11. स्थानीय शहरी निकाय 12.परिवहन विभाग 13. पशुपालन विभाग 14. शिक्षा विभाग 15. पंचायती राज विभाग 16. यूएन, एनजीओ, सीएसआर	1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को निर्गत हीट वेव 2022 की एडवाइजरी का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
2.	**जिला स्तर पर लू जोखिम का आंकलन करना एवं लू हॉट स्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित करना**	1. भारत मौसम विज्ञान विभाग व अन्य स्रोतों से पिछले आंकड़ों के आधार पर जिले में लू की घटना की संभावना और लू की घटना की संभावना में वृद्धि का आंकलन। 2. लू के पिछले मामलों के सन्दर्भ एवं सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल, आवास, कमजोर व्यवसाय पैटर्न, पुरानी बीमारी और जनसंख्या के आंकड़ों के विशेष संदर्भ के साथ जिले की संवदेनशीलता[1] का आंकलन। 3. अर्बन हीट आइलैंड (UHI)[2] के विशेष संदर्भ में शहरी हीट वे (लू) का मूल्यांकन। 4. हीट वे (लू) के प्रभाव का प्रबंधन करने के लिए मौजूदा क्षमता का आंकलन।	1. राजस्व विभाग 2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 3. पुलिस विभाग 4. भारत मौसम विज्ञान विभाग 5. अग्निशमन विभाग 6. समाज कल्याण विभाग 7. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग 8. श्रम विभाग 9. आवास एवं शहरी विकास विभाग 10. विश्वविद्यालय/ शैक्षणिक संस्थान 11. यूएन, एनजीओ, सीएसआर	1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (3) द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला स्तरीय विभागों को जिले में आपदाओं के जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने, आपदाओं के निवारण करने आपदाओं के प्रभावों को कम करने के उपाय सुनिश्चित करने हेतु अधिकृत करता है। 2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी लू कार्ययोजना 2019 के बिन्दु संख्या 2.3 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार
3.	**सम्बंधित एजेंसियों और जन समुदाय को लू पूर्वानुमान सम्बंधी चेतावनी जारी करना**	1. भारत मौसम विज्ञान विभाग या राज्य स्तर से दैनिक और 4–दिवसीय लू पूर्वानुमान प्राप्त करना। 2. लू पूर्वानुमान के तहत आने वाले ब्लॉक और स्थानीय शहरी निकायों को चिन्हित करना। 3. ब्लॉक और स्थानीय शहरी निकायों (**ULB**) के लिए लू पूर्वानुमान[3] के आधार पर चेतावनी जारी करना। 4. जिला स्तर पर लाइन डिपार्टमेंटों और अन्य संस्थानों[4] को लू पूर्वानुमान[3] के आधार पर चेतावनी जारी करना। 5. लू पूर्वानुमान के तहत आने वाले ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के लिए लू पूर्वानुमान के आधार पर चेतावनी जारी करना। 6. लू पूर्वानुमान के आधार पर स्थानीय निकायों/वार्डों को चेतावनी के साथ क्या करें और क्या न करें के दिशा निर्देश जारी करना। 7. सोशल मीडिया, स्थानीय केबल टीवी नेटवर्क, एफएम, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से जनता के लिए लू पूर्वानुमान का प्रचार–प्रसार करना।	1. ब्लॉक प्रशासन 2. स्थानीय शहरी निकाय (**ULB**) 3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 4. पुलिस विभाग 5. समाज कल्याण विभाग 6. श्रम विभाग 7. पशुपालन विभाग 8. शिक्षा विभाग 9. पंचायती राज विभाग 10. जल शक्ति विभाग 11. परिवहन विभाग 12. नागरिक समाज संगठन, चौरिटेबल ट्रस्ट 13. स्थानीय केबल टीवी नेटवर्क, एफएम, सामुदायिक रेडियो	1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (14– xiv) द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रारंभिक चेतावनी तंत्र की स्थापना, रखरखाव, समीक्षा, उन्नयन और जनता को उचित जानकारी के प्रसार करने के लिये अधिकृत किया गया है। 2. भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिया गया 4–दिन का पूर्वानुमान जो प्रत्यके दिन 16:00 बजे जारी किया जाता है।
4.	**हीट वे /लू प्रतिकिया के समन्वय हेतु इमरजेंसी आपरेशन सेंटर/नियंत्रण कक्ष स्थापित करना**	**1. लू प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए इमरजेंसी आपरेशन सेंटर/नियंत्रण कक्ष को स्थापित कर सक्रिय करना:** **1.1 जिला स्तर पर** 1.1.1 लाइन डिपार्टमेंट 1.1.2 प्रत्येक नियंत्रण कक्ष में बैकअप के साथ कम से कम एक कर्मचारी व एक समर्पित संपर्क नंबर होना चाहिये। **2 लू हॉट स्पॉट के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक एवं स्थानीय शहरी निकाय (ULB) पर इमरजेंसी आपरेशन सेंटर/नियंत्रण कक्ष को स्थापित कर सकिय करना:** 2.1 लू की स्थिति में ब्लॉक और लाइन डिपार्टमेंट के प्रमुख फोकल पॉइंट की सूची तैयार करना, इमरजेंसी आपरेशन सेंटर/नियंत्रण कक्ष में दैनिक लू पूर्वानुमान का विवरण, हीट वे/लू से सम्बंधित दैनिक स्थिति रिपोर्ट के साथ जनता के लिए शिकायत/ अनुरोध दर्ज करने की सुविधा होनी चाहिये। **3. अग्नि दुर्घटना से सम्बंधित मामलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और अग्निशमन सेवाओं के साथ समन्वय से रिपोर्ट तैयार करना:** 3.1 रिपोर्ट संकलन में महत्वपूर्ण बिन्दुओं को शामिल करना। 3.2 प्रतिक्रिया उपायों को शामिल करना। **4. स्टेट ईओसी को स्टेटस रिपोर्ट भेजना।**	1. ब्लॉक प्रशासन 2. स्थानीय शहरी निकाय(**ULB**) 3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 4. अग्निशमन विभाग 5. पुलिस विभाग	1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी लू कार्ययोजना 2019 के अनुलग्नक–7/प्रारूप–ए में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार।
5.	**जिले स्तर पर लू प्रतिक्रिया के लिए तैयारी की समीक्षा करना**	1. जिले की लू की तैयारी हेतु लू से पूर्व विशेष रुप से मार्च माह में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक का आयोजन करना। 2. बैठक हेतु लाइन डिपार्टमेंट[5], स्थानीय शहरी निकाय और ब्लॉक प्रशासन को आमंत्रित करना। 3. जिला लू योजना के अनुसार लू से संबंधित प्रारंभिक चेतावनी, तैयारियों और न्यूनीकरण क्रियाओं की समीक्षा करना। 4. लू प्रतिक्रिया के लिए लाइन डिपार्टमेंट, ब्लॉक प्रशासन, स्थानीय शहरी निकाय (ULB) से फोकल पॉइंट को अपडेट/चिन्हित करना। 5. लू प्रतिक्रिया के लिए राहत सामग्री के स्टॉक की समीक्षा करना एवं राहत सामग्री को स्टोर करना। 6. लू प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, जल शक्ति विभाग, पशुपालन विभाग, अग्निशमन विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, स्थानीय शहरी निकाय, ब्लॉक प्रशासन की तैयारी की समीक्षा करना। 7. जिला लू प्रतिक्रिया योजना की समीक्षा करना एवं उन्हें अपडेट करना। 8. जिले में लू की तैयारियों की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करना और किये जाने वाले कार्यों को चिन्हित करना।	1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2. पंचायती राज विभाग 3. जल शक्ति विभाग 4. अग्निशमन विभाग 5. पशुपालन विभाग 6. श्रम विभाग 7. विद्युत विभाग 8. शिक्षा विभाग 9. अन्य लाइन डिपार्टमेंट 10. ब्लॉक प्रशासन 11. स्थानीय शहरी निकाय (ULB)	1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (7– vii) द्वारा जनपद स्तर पर राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गयी आपदा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने हेतु प्रावधान है।

[1]रिक्शा चालक, ऑटो चालक, बस चालक, भिखारी, कुली, स्ट्रीट हॉकर, सुरक्षा कर्मचारी, यातायात पुलिस।

[2]अर्बन हीट आइलैंड (UHI) भवन निर्माण सामग्री, भवन की ऊंचाई और घनत्व, जनसंख्या घनत्व और हरित आवरण सहित भौतिक एवं पर्यावरण निर्मित घटना का परिणाम है।

[3]हीट वे/लू पूर्वानुमान में लू से संबंधित क्या करें और क्या न करें के दिशा निर्देश होंगे।

[4]स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, जल शक्ति विभाग, परिवहन विभाग, स्थानीय केबल टीवी नेटवर्क, एफएम रेडियो, सामुदायिक रेडियो और धर्मार्थ ट्रस्ट।

[5]ग्राम पंचायत/वार्ड/ब्लॉक वार, समय और तारीख, उम्र और लिंग, लक्षण, प्रभावित का पेशा, प्रभावित की आर्थिक स्थिति (एपीएल/बीपीएल) डेटा।

4.3 स्थानीय शहरी निकायः भूमिका और जिम्मेदारियाँ:

क्र0	कार्य	परिचालन प्रक्रिया	समन्वयकारी एजेंसियां	संदर्भ (विधान / मानक / दिशानिर्देश)
1.	**हीट वे/ लू के सन्दर्भ में शहर/कस्बे/और वार्ड की तैयारी और प्रतिक्रिया की समीक्षा करना**	1. शहर/वार्ड स्तर पर लू के सन्दर्भ में तैयारी और प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए स्थानीय शहरी निकाय की बैठक मार्च माह में आयोजित करना। 1.1 बैठक के दौरान निम्नलिखित की समीक्षा करना: 1.1.1 लू प्रतिक्रिया के दौरान आपातकालीन कार्यों जैसे स्वास्थ्य, बिजली, पानी की आपूर्ति, फोकल प्वांइट का निर्धारण। 1.1.2 वार्ड स्तर पर फोकल प्वांइट का निर्धारण। 1.1.3 वार्ड स्तर पर लू प्रतिक्रिया के लिए स्वयंसेवकों का चिन्हांकन। 1.1.4 प्रत्येक वार्ड में लू प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की क्षमता का आंकलन करना, हीट स्ट्रोक उपचार के लिये वार्ड, कूलिंग रूम की मैपिंग इत्यादि। 1.1.5 स्वास्थ्य सुविधाओं में पावर बैकअप की व्यवस्था। 1.1.6 एंबुलेंस की व्यवस्था। 1.1.7 स्थानीय शहरी निकाय (ULB) में नियंत्रण कक्ष की स्थापना। 1.1.8 दवाओं का स्टॉक और पूर्व स्थिति का आंकलन एवं स्टोरेज। 1.1.9 लू चेतावनी का प्रचार–प्रसार। 1.1.10 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को लू के मामलों की रिपोर्टिंग। 1.1.11 लू के कारण काम के घंटों का पुनर्निर्धारण। 1.1.12 हीट स्ट्रोक के मामलों में वृद्धि के मामले में निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ समन्वय। 2. लू प्रतिक्रिया के लिए शहरी स्थानीय निकाय(ULB) की तैयारियों पर स्थिति रिपोर्ट तैयार करना।	1. अग्निशमन विभाग 2. पुलिस विभाग 3. स्थानीय शहरी निकाय (ULB) का स्वास्थ्य अनुभाग 4. स्थानीय शहरी निकाय (ULB) का जल आपूर्ति विभाग 5.स्थानीय शहरी निकाय (ULB) 6. विद्युत विभाग 7. वार्ड पदाधिकारी 8. निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता 9. एनजीओ, चौरिटी ट्रस्ट	1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 41 (2) (ए–2) द्वारा स्थानीय प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय कर सकेगा।
2.	**स्थानीय शहरी निकाय में स्थित नियत्रण कक्ष के माध्यम से विभागों एवं जनता को लू की चेतावनी जारी करना।**	1. संबंधित वार्डों और प्रतिक्रिया पदाधिकारियों[1] को लू अलर्ट का प्रचार व प्रसार करना। 2. आम जनमानस को लू अलर्ट की चेतावनी के प्रचार व प्रसार हेतु : 2.1 स्थानीय केबल ऑपरेटर, सोशल मीडिया, एफएम और स्थानीय समाचार पत्र का उपयोग करना। 2.2 रियल एस्टेट, ठेकेदार संघ के साथ समनव्य कर 11 बजे से 3 बजे तक खुले क्षेत्रों में श्रम कार्य करने से बचने के लिये निर्देशित करना। 2.3 शहर के सार्वजनिक परिवहन स्थलों पर लू अलर्ट की चेतावनी का प्रचार व प्रसार। 2.4 हाट स्पॉट और संवदेनशील समूहों की देखभाल के लिये स्वयंसेवकों की पहचान करना। 3. वालंटियर्स को लू के दौरान क्या करे क्या न करें और हीट स्ट्रोक से रोगग्रस्त व्यक्तियों की बुनियादी देखभाल व प्राथमिक उपचार प्रदान करने पर प्रशिक्षित करना।	1. वार्ड पदाधिकारी 2. वार्ड स्तर के स्वयंसेवक 3. सार्वजनिक परिवहन विभाग 4. रियल एस्टेट एसोसिएशन 5. स्थानीय केबल टीवी ऑपरेटर, एफएम रेडियो और स्थानीय समाचार पत्र	
3.	**सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल और**	1. सार्वजनिक स्थानों[2] पर पेयजल सुविधा बनाने के लिए जल शक्ति, स्थानीय शहरी निकाय (ULB) की जल आपूर्ति	1. जल शक्ति विभाग 2. स्थानीय शहरी निकाय (ULB) की	

Scanned with OKEN Scanner

	स्नान की सुविधा स्थापित करना	अनुभाग, गैर सरकारी संगठनों और धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ समन्वय करना। 2. निर्माण स्थल पर पेयजल की सुविधा हेतु ठेकेदारों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना। 3. सुनिश्चित करना कि पेयजल के स्रोत सुव्यवस्थित और स्वच्छ हैं। 4. बेघरों के लिए आश्रय स्थल पर स्नान की सुविधा का निर्माण करना।	जल आपूर्ति अनुभाग 3. एनजीओ, चौरिटी ट्रस्ट 4. रियल एस्टेट एसोसिएशन	
4.	पानी के टैंकर की की व्यवस्था करना	1. पानी की आपूर्ति के लिए उपलब्ध पानी के टैंकरों का डेटाबेस बनाना। 2. निजी पानी के टैंकरों को सूचीबद्ध करना। 3. स्थानीय शहरी निकाय के नियंत्रण कक्ष पर जनता द्वारा पानी की मांग पर पानी के टैंकर के माध्यम से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। 4. पेयजल की उच्च मांग और सीमित आपूर्ति के संवेदनशीलता मामले में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के साथ समन्वय करना। 5. पेयजल की आपूर्ति पूर्ण होने पर नियंत्रण कक्ष द्वारा दर्ज मामले को बंद करना।	1. स्थानीय शहरी निकाय **(ULB)** की जल आपूर्ति अनुभाग 2. पुलिस विभाग 3. जल शक्ति विभाग 4. निजी पानी के टैंकर	
5.	प्रतिक्रिया उपायों का कार्यान्वयन	1. चरम गर्मी/लू की अवधि के दौरान सार्वजनिक पार्क और सार्वजनिक उद्यान को खोलना। 2. सड़कों पर पानी का छिड़काव करना।	1. वार्ड पदाधिकारी	1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी लू कार्ययोजना 2019 के बिन्दु संख्या 4. 3 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार

[1]स्वास्थ्य, बिजली, जल आपूर्ति, श्रम, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन
[2]बस स्टैंड, निर्माण स्थल, बाजार, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल, औद्योगिक क्षेत्र

विभाग का नाम **Department**	विभिन्न विभागों के उत्तरदायित्व(**Roles and Responsibilities of various Departments)**
स्वास्थ्य विभाग	• .प्रचार प्रसार हेतु आईईसी सामग्री को गर्मी के मौसम में मुद्रित करने का प्रस्ताव है। आई0ई0सी0 के माध्यम से जन–जागरूकता अभियान चलाना प्रभावकारी होगा। • प्रचार माध्यमों द्वारा जनता को ''क्या करें, क्या न करें ' के बारे में जानकारी देना तथा अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करना। ● हीट वेव रोग में प्रभावी निरोधात्मक एवं प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड ट्रीटमेन्ट) की जानकारी चिकित्सकों द्वारा फार्मासिस्ट हेतु आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। • अपने–अपने क्षेत्रों में फील्ड विजिट के दौरान घर–घर वितरण के लिए आशा को O.R. S दियाजाएगा। जलवायु परिवर्तन को स्थिर रखने के लिए वन एवं कृषि विभाग के साथ अन्तर्क्षेत्रीय समन्वय स्थापित किया जायेगा। • जुलाई के महीने में भी गर्मी के मौसम में की जाने वाली गतिविधियों को जारी रखने की योजना बनाई गई है। •अप्रैल से जून के महीने के दौरान हीट सिंकोप हीट स्ट्रोक और अन्य हीट डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्तियों के विस्तृत केस स्टडी की योजना बनाई गई है
कृषि विभाग	1. समाचार पत्रों के माध्यम से स्थानीय मौसम एवं तापमान कीजानकारी किसानों तक पॅहुचाना। 2. किसान पाठशाला और गोष्ठी/किसान मेला के माध्यम से कृषकों को जागरूक करना। 3. किसान भाई सुबह व शाम के समय सिंचाई करें, दोपहर में न करें, जिससे खेत में नमी बनी रहे। 4. किसानों को बताना कि गेहूँ की कटाई दोपहर में न करें। सुबह व शाम के समय करें। 5. किसान भाई खेत में काम करते समय पीने का पानी साथ में रखें। 6. जायद की फसलें बाजरा, मक्का, उर्द एवं मूँग की उन्नत प्रजातियों की समय से बुवाई करें। 7. जायद की फसल जैसे– बाजरा/मक्का के खेत में नमी बनी रहे जिससे बाली/भुट्टे

Scanned with OKEN Scanner

	में बीज की गुणवत्ता अच्छी रहे। 8. विलम्बित मानसून के सम्बन्ध में धान की एक छोटी अवधि की रोपाई की जानी चाहिए।
सिंचाई विभाग	सिंचाई विभाग के माधम से जनपद स्तर पर हीटवेव लू–के दौरान वभाग की जनपद स्तर पर व्यक्तिगत जिम्मेदारियाँ कृषकों की फसलों के बचाव के लिये कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाना है एवं कृषकों के पशुओं को पानी पीने हेतु तालाबों को भी जल से भरा जाता है।
जिला विद्यालय निरीक्षक	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्यो को हीटवेव के सम्बन्ध में पूर्व से निर्देश प्रदान कर समस्त छात्र/छात्राओं एवं अध्यापको को जानकारी दी जायेगी तथा प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
पशु विभाग	हीटवेव के संदर्भ में विभाग की जनपद स्तर पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि अत्यधिक गर्मी के मौसम में चलने बाली लू से पशुओं में सम्भावित बीमार बुखार, दस्त आदि पर तत्काल प्रभावी नियन्त्रण करना चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा तत्काल होने वाली बीमारियों पर नियन्त्रण रख पाना आदि विभाग की व्यक्तिगत जिम्मेदारियॉ है एवं किसी भी विषम परिस्थिति में उच्च अधिकरियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाता है। उक्त समय में पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए आने वाले अगले गर्मी के मौसम से पूर्व सर्तक रहते हुए जनजागरूकता अभियान चलाते हुए पशुपालको को गर्मी से बचाव हेतु जैसे– उन्हे छाया में रखना एवं समय समय पर नहलाना आदि की जानकारी प्रदान की जाती है अप्रैल से जून के मध्य प्रायः गरमी अधिक होती है अतः सभी पशुपालको को कैम्पों के माध्यम से दवाईयॉ, मिनरल मिक्चर आदि वितरण की जाती है कि एवं भारत सरकार के द्वारा चलाये जा रहे खुरपका/मुहॅपका एवं गलाधोटू रोग का निःशुल्क टीकाकरण कराया जाता है सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारियो/गठित टीम के माध्यम से टीकाकरण अवश्य कराया जाता है। जुलाई सितम्बर तक वारिश का मौसम रहता है उक्त समय में गलाघोटू बीमारी हो जाती है जिसके लिए जनपद स्तर पर टीका मगा लिया जाता है एवं जनपद में टीकाकरण करा लिया जाता है। नबम्वर से दिसम्वर तक प्रायः सर्दी का मौसम रहता है इसमें पशुओं के ठण्ड से बचाने के उपाय किये जाते है। जनपद में इस साल मुहॅपका/खुरपका रोग की 5,84,000 एवं गलाधोटू रोग का 4,32,950 डोज का टीकाकरण किया जा चुका है।

Scanned with OKEN Scanner

अग्नि विभाग	अग्नि विभाग के माध्यम से हीटवेव के समय अत्यधिक तापमान होने के कारण अग्नि दुर्घटनाओं में बृद्धि की सम्भावना बनी रहती है, जिस पर तत्काल कार्यवाही करने हेतु सभी संशाधन जैसे मानव व मशीनों को सदैव तैयारी हालत में रखना तथा जनसाधारण को अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम व बचाव के उपायों से निरन्तर प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करना।
जल–निगम	जल निगम (नगरीय) उ0प्र0 सरकार का एक उपक्रम है, जोकि शहरी क्षेत्र में पेयजल एवं सीवरेज संभवरण के निर्माण कार्यों का सम्पादन करता है। कार्य पूर्ण होने पर संचालित अवस्था में सम्बन्धित नगर पालिका/नगर पंचायत को रख–रखाव एवं संचालन हेतु हस्तान्तरित कर देता है। जलापूर्ति सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों द्वारा सम्पादित किया जाता है ।

विभागवार

हीटवेव/लू के पूर्व के समय ''जनवरी–मार्च'' लू/हीटवेव के दौरान ''अप्रैल–जून'' लू/हीटवेव के बाद के समय ''जुलाई–दिसम्बर''के दौरान जिम्मेदारियां/कार्रवाईयाँ

विभाग का नाम **Department**	कार्यवाहियॉ **Activities** लू के पूर्व (जनवरी–मार्च) Pre heat season (Jan. to March)	कार्यवाहियॉ **Activities** लू के दौरान (अप्रैल–जून) During the heat season (April to June)	कार्यवाहियॉ **Activities** लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर) Post heat season (July to December)
स्वास्थ्य विभाग	•सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर गर्मी से होने वाली बीमारियों और विकार में काम आने वाली दवाइयां व उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दिए गए हैं।	• .प्रचार प्रसार हेतु आईईसी सामग्री को गर्मी के मौसम में मुद्रित करने का प्रस्ताव है। आई0ई0सी0 के माध्यम से जन–जागरूकता अभियान चलाना प्रभावकारी होगा। • प्रचार माध्यमों द्वारा जनता को ''क्या करें, क्या न करें' ' के बारे में जानकारी देना तथा अन्तर्विभागीय समन्वय	•जलवायु परिवर्तन को स्थिर रखने के लिए वन एवं कृषि विभाग के साथ अन्तर्क्षेत्रीय समन्वय स्थापित किया जायेगा। • जुलाई के महीने

	•मार्च के महीने में हीटवेव रोगों के शीघ्र निदान और प्रबंधन के बारे में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण प्रस्तावितहै	स्थापित करना। ● हीट वेव रोग में प्रभावी निरोधात्मक एवं प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड ट्रीटमेन्ट) की जानकारी चिकित्सकों द्वारा फार्मासिस्ट हेतु आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। • आशा को अपने–अपने क्षेत्रों में फील्ड विजिट के दौरान घर–घर वितरण के लिए।O.R.S दिया जाएगा।	में भी गर्मी के मौसम में की जाने वाली गतिविधियों को जारी रखने की योजना बनाई गई है। •अप्रैल से जून के महीने के दौरान हीट सिंकोप हीट स्ट्रोक और अन्य हीट डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्तियों के विस्तृत केस स्टडी की योजना बनाई गई है।
कृषि–विभाग	1. समाचार पत्रों के माध्यम से स्थानीय मौसम एवं तापमान कीजानकारी किसानों तक पॅहुचाना। 2. किसानों को बताना कि गेहूॅ की कटाई दोपहर में न करें। सुबह व शाम के समय करें। 3. जायद की फसलें बाजरा, मक्का, उर्द एवं मूॅग की उन्नत प्रजातियों की समय से बुवाई करें। 4. उच्च तापमान के कारण फसलों में गर्मी के तनाव के	1. जायद की फसलों में सुबह व शाम को आवश्यक सिंचाई करें, जिससे खेत में नमी बनी रहे। 2. किसान भाई खेत में काम करते समय पीने का पानी साथ में रखें। 3. किसान भाई सुबह व शाम के समय सिंचाई करें। दोपहर में न करें। 4. जायद की फसल जैसे मक्का के खेत में नमी बनी रहे जिससे भुट्टे में बीज की गुणवत्ता अच्छी रहे। 5. बाजरा की फसल में समय पर सिंचाई करें।	1. वर्षा ऋतु में खेत की मेड़ों पर वृक्ष लगाऐं। 2. किसान भाईयों को बताना है कि फसल अवशेष न जलायें।

	कारण 15–25 प्रतिषत औसत उपज हानि हो जाती है। 5. उच्च तापमान के कारण फसल क्षति का मुख्य कारण मुख्य रूप से फूलों का गिरना तथा नये पौधों का मुरझा जाना। 6. हीटवेव(लू) का प्रभाव अधिकांश रबी एवं जायद की फसलों पर पड़ता है। 7. तापमान में किसी भी प्रकार का अत्यधिक परिवर्तन उत्पादकता को प्रभावित करता है।	6. मूॅग की तुड़ाई शाम के समय करें। अधिक तापमान में न करें। 7. तापमान में किसी भी प्रकार का अत्यधिक परिवर्तन उत्पादकता को प्रभावित करता है।	
सिंचाई खण्ड	सिंचाई विभाग के द्वारा माह जनवरी और मार्च के समय में सिंचाई हेतु कृ षकों से संपर्क कर आकडें तैयार कर, अन्य स्थानों पर पानी की उपलब्धता हेतु समस्त कार्यो का सम्पादन कर लिया जाता है।	कृषको को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है एवं तालाबों में भी जल से भर कर जल उपलब्धता मुहइया कराये जाने हेतु कार्य किये जाते है। क्यों कि हीटवेव के समय पानी जल ही जीवन होता है।	जो कार्य लू के दौरान (अप्रैल–जून) किये जाते है यही प्रक्रिया लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर) भी जारी रहती है।
जिला विद्यालय निरीक्षक	समस्त विद्यालयों में आगामी माह में	समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धकों एवं प्रधानाचार्यो को पत्र जारी कर निर्देशित	मौसम परिवर्तित होने पर शरीर को

Scanned with OKEN Scanner

	अत्यअधिक गर्मी से बचाव हेतु कक्षा / कक्षों में छात्र / छात्राओं की संख्या के अनुसार पंखो की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय। ठण्डे एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था तथा विद्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की जाय।	करते हुये छात्र / छात्राओ को लू के दौरान बिन्दुवार सावधानियॉ रखने की सलाह— 1. छात्र / छात्राआ एवं शिक्षकों को पर्याप्त और नियमित अंतराल पर पानी पीते रहे। 2.खुद को हाईड्रेड रखने के लिये ओ0आर0एस0 घोल , नारियल पानी, नीबू पानी छाछ, आदि घरेलू पेय पदार्थो का इस्तमाल करें 3. हल्के रंग के ढीले ढाले और सूती कपडे पहने। 4. धूप में निकलते समय सिर को ढक कर रखे 5.विद्यालयों में साफ एवं ठण्डे पानी की व्यवस्था किया जाना। 6. बहुत अधिक आवश्यकता होने पर धूप / गर्मी में घर से वाहर निकले। 7. कक्षा—कक्षों की खिडकियों को खुला रखें और कमरों में पंखों की व्यवस्था करें। 8. अचानक ठण्डी जगह से एक दम गरम जगह में न जायें। 9.गर्मी के मौसम में चाय कॉफी गरम पेय का सेवन कम करें एवं मसालेदार चीजों का सेवन कम करें। सभी छात्र / छात्राओं को सलाह दी जाये कि घर से निकलते समय खाली पेट न जाये। हल्का व शीघ्र पचने वाला भोजन करें।	पूर्ण रूप से ढकने वाले कपडो का इस्तमाल करने हेतु समस्त छात्र / छात्राओं को जागरूक किया जाय। जुलाई अगस्त माह में वर्षा वाले मौसम में होने वाली बिमारियों के प्रति छात्र / छात्रओं को जागरूक किया जाना

पशुपालन विभाग	उक्त समय में पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए आने वाले अगले गर्मी के मौसम से पूर्व सर्तक रहते हुए जनजागरूकता अभियान चलाते हुए पशुपालको को गर्मी से बचाव हेतु जैसे–उन्हे छाया में रखना एवं समय समय पर नहलाना आदि की जानकारी प्रदान की जाती है	अप्रैल से जून के मध्य प्राय गरमी अधिक होती है अतः सभी पशुपालको को सलाह दी जाती है कि वे अपने पशुओं को भारत सरकार के द्वारा चलाये जा रहे खुरपका/मुहॅपका रोग का निःशुल्क टीकाकरण कराये एव गलाघोटू बीमारी के टीकाकरण भी जो कि निःशुल्क विभाग द्वारा लगाये जा रहे है सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारियो/गठित टीम के माध्यम से टीकारण अवश्य कराये।	जुलाई के माह में प्रायः अगस्त तक वारिश का मौसम रहता है उक्त समय में गलाघोटू बीमारी हो जाती है जिसके लिए जनपद स्तर पर टीका मगा लिया जाता है एवं जनपद में टीकाकरण करा लिया जाता है। नबम्वर से दिसम्वर तक प्रायः सर्दी का मौसम रहता है इसमें पशुओं के ठण्ड से बचाने के उपाय किये जाते है जनपद में मुहपॅका/खुरपका रोग की 5,84,000 एवं गलाधोटू रोग का 4,32,950 डोज का टीकाकरण किया जा चुका है।

अग्निशमन तथा आपात सेवा उ0प्र0	अग्निशमन/जीवरक्षा दृष्टिकोण से अग्निशमन यूनिटों को संशाधनों के सहित 24x7 के अनुसारक्रियाशील रखेंगे	लू के दौरान अग्निदुर्घटना/जीवरक्षा कार्यों हेतुमानव व मशीनों को सदैव तैयारी हालत में रखना तथा जनसाधारण को अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम व बचाव के उपायों से निरन्तर प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करना।	अग्निशमन/जीवरक्षा दृष्टिकोण से अग्निशमन यूनिटों को संशाधनों के सहित 24x7 के अनुसारक्रियाशील रखेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

पशुपालन विभाग, जनपद–गौतमबुद्वनगर ।

बिन्दुः– पशुओ की देखभाल

क्र0स0	बिन्दु	कार्य योजना
1	पशुओ के चारे के अभाव की स्थिति से निपटने हेतू कार्य योजना	पशुओ के चारे के अभाव से निपटने के लिए जनपद के भूसा विक्रेताओ को चिन्हित कर लिया गया है, उनके पास पर्याप्त मात्रा में भूसा उपलब्ध है। वर्तमान में जनपद में चारे की कोई कमी नही है। भूसा विक्रेताओ के पास उपलब्ध भूसा बाजार दरो पर उनसे क्रय किया जा सकता है।
2	पशु चिकित्सालय में पशुओ के उपचार के सम्बन्ध में एवं दवाइयो की समुचित व्यवस्था	पशु चिकित्सालयो पर पशुओ के उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टाफ उपलब्ध है, वर्तमान में पशु चिकित्सालयो से पशु चिकित्सा का कार्य किया जा रहा है। बाढ एवं सूखा/हीट वेव की स्थिति होने पर कैम्प लगाने के लिए स्थान चिन्हित कर लिये गये है ।स्टाफ द्वारा कैम्प लगाकर पशुओ का उपचार किया जायेगा। दवाइयॉ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है अतिरिक्त दवाइयो के क्रय के लिए प्रस्ताव बाढ/सूखा राहत योजना में रख दिया जायेगा। धनराशि प्राप्त होते ही दवाइयॉ क्रय कर ली जायेगी।
3	पशु कैम्प में चारे की समुचित व्यवस्था	पशु कैम्प में चारे की व्यवस्था के लिए स्थान एवं भूसा विक्रेताओ को चिन्हित कर लिया गया है। जिनके पास पर्याप्त मात्रा में भूसा उपलब्ध है। भूसा क्रय कर पशुपालको को उपलब्ध कराया जायेगा।
4	महामारी के नियन्त्रण हेतू दवाइयो का चिन्हिकरण कर समुचित व्यवस्था करना	पशु महामारी से निपटने के लिए दवाइयो का एक समिति गठित कर चिन्हिकरण करा लिया गया है। धनराशि की मॉग कर ली गयी है। यदि कोई महामारी होती है तो स्टाफ पशु चिकित्सालयो पर उपलब्ध स्टाफ द्वारा महामारी से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गयी है। हीट वेव–सूखा/बाढ योजना में धनराशि प्राप्त होने पर चिन्हिकरण दवाइयॉ क्रय की जायेगी।

अवर्षण के कारण जनपद में गत वर्ष की भाँति हीट वेव, बाढ एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना इस वर्ष भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं उनके रख–रखाव के सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। जिससे पशुओं को किसी प्रकार की हानि न हो सके। बाढ एवं सूखा/हीट वेव जनित कुपोषण एवं रोगो से निपटने के लिये पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही पशु गोष्ठियाँ एवं चौपालों के माध्यम से पशुपालकों को उचित एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना हितकर सिद्ध होगा ।

हीट वेव एवं सूखा प्रकोप से उत्पन्न समस्यायें:–

1– पशुओं के लिये चारे का अभाव ।
2– पीने के लिये पानी की कमी ।
3– लू तथा अत्याधिक गर्मी से हीट स्ट्रोक एवं डी हाईड्रेशन की समस्या।
4– हरे चारे की विषाक्तता ।

Scanned with OKEN Scanner

5— अभाव जनित कुपोषण एवं विषाक्तता से पशुओं में विभिन्न रोगों का प्रसार ।

हीट वेव सूखा प्रकोप जनित समस्याओं से बचने के उपायः—

हीट वेव/सूखे के कारण वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली चारा फसलों पर बुरा प्रभाव पडता है। जिसके कारण पशुओं को हरा चारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। हरे चारे के अभाव में उपलब्ध सूखा चारा भी बहुत तेजी से समाप्त हो जाता है। जिसके कारण पशुओं के भरण पोषण की समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं। तथा पशु कुपोषण के शिकार होकर विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। जिससे उनके स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पडता है। गर्मी के कारण पशुओं में ऐसी स्थिति में रोगों का प्रसार बहुत तीव्र गति से होता है। पशुओं के स्वास्थ्य का संरक्षण हेतु निम्न बिन्दुपर उपाय किये जाने आवश्यक हैं।

1— अत्याधिक लू तथा गर्मी से पशुओं को हीट स्ट्रॉक तथा एक्यूट डिहाईड्रेशन की प्रमुख समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रभावित पशुओं को इलैक्ट्रोलाईट तथा फ्लूड दिया जाना अति आवश्यक है ताकि ऐसी दशा में पशुओं का जीवन बचाया जा सके। स्थानीय रूप से प्रभावित पशुओं को 500 ग्राम गुड, 30 ग्राम नमक तथा 250 ग्राम नींबू का रस आदि का घोल बनाकर पिलाया जा सके।

2— पशुओं में खुरपका—मुँहपका रोग के प्रकोप की सम्भावना से निपटने के लिये पशुपालन विभाग द्वारा पशु टीकाकरण की व्यवस्था की गयी है पशु पालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पशुओं का टीकाकरण विभाग कर्मियों/पैरावेट के माध्यम से पशुओं का टीकाकरण समय से करा लिया जायेगा।

3— ग्रीष्म काल में हल्की बारिस के बाद यदि सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो गला घोटू रोग की सम्भावना अत्याधिक बढ जाती है, इसके बचाव हेतु वैक्सीन पशुपालन विभाग की संस्थाओं पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस रोग से बचाव हेतु जून माह में अधिक से अधिक पशुओं को टीकाकृत करा लिया जाये ।

4— परजीवी कीडों की समस्या से निपटने हेतु प्रत्येक पशु को डिर्वमर औषधि का पान कराया जाना अति आवश्यक है क्योंकि कुपोषण के कारण गिरते हुए स्वास्थ्य को इन कीडों के द्वारा और अधिक हानि पहुँचायी जा सकती है। पशु चिकित्सालयों पर डिर्वमर की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है।

5— हरे चारे को जहरीला होने से बचाने के उपाय—सूखे की स्थिति में हरे चारे में जहरीले पन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चेरी में हाईड्रोसैनिक नाम का ऐसिड एक जहरीला पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। जिसके खाने से 80ः तक पशु असामयिक मौत के शिकार हो जाते हैं। विषाक्त चारे से पशुओं को बचाने के लिये निम्न उपाय किये जा सकते हैं ।

(अ) गर्म लोहे को पानी में कई बार बुझाकर तैयार किये गये पानी को पशुपालकों को अपने घर पर रखना चाहिए ताकि हरे चारे की विषाक्तता होने की स्थिति में तुरन्त आधा लीटर पानी पिला दिया जाये। इससे चारे के जहरीले पन का असर कम हो जाता है।

(ब) चारे की टोप काट कर नष्ट कर दें तथा पानी से धोकर व सुखाकर ही पशुओं को खिलायें ।

(स) खेत में बची हुई चेरी को बडे—बडे टुकडों में काटकर जमीन में गाड दिया जाये तथा इसका प्रयोग दो माह बाद गुड अथवा सीरे के साथ मिलाकर पशुओं को खिलाया जाये इससे जहरीले पन का असर नहीं होता है ।

पशुओ के पीने के लिए पानी की कमी :— अधिक गर्मी पडने पर तथा नलों का जल स्तर गिरने पर ग्राम में उपलब्ध तालाबों को नहरों/नलकूपों से भरवा दिया जायेगा। जिससे पशुओं को पीने का पानी सुलभता से प्राप्त हो सके ।

हरे चारे की विषाक्तता के लक्षणः—

प्रभावित पशु सर्व प्रथम लडखडाने लगता है तथा चक्कर खाकर गिरने लगता है तथा दान्तों के किडकिडाने की आवाज आती है। बार—बार पशु चौंकता रहता है। सांस तेजी से चलती है आँख की झिल्ली नीली पड

Scanned with OKEN Scanner

जाती है। पशु को बेहाशी के दौरे शुरू हो जाते हैं। अनजाने में गौबर व पैशाब निकल जाता है तथा अन्त में पशु की मृत्यु भी हो जाती है।

सूखा पडने पर गेंहू के भूसे की आवश्यकता पडेगी, जिससे निपटने हेतु भूसा विक्रेताओं को चिन्हित कर लिया गया है। और उन्हे निर्देश दे दिये गये हैं कि वह स्टॉक पर्याप्त मात्रा में रखें, तथा आवश्यकता पडने पर गेंहू का भूसा उपलब्ध करा दें। भूसा विक्रेताओं का पता व फोन नं0 ले लिये गये हैं।

उपचार एवं सुझावः–

हरे चारे के जहरीले पन से उत्पन्न होने वाले रोग के ईलाज हेतु 55–60 ग्राम सौडियम थायोसल्फेट को 750 ग्राम पानी में घोलकर तुरन्त पशुओं को पिलायें। छोटे पशु जैसे भेड,बकरी में औषधि की खुराक 15–20 ग्राम होनी चाहिये, खिलाये जा रहे चारे को कहीं सुरक्षित जगह नष्ट कर दें ।

अपौष्टिक चारे को पौष्टिक बनाकर खिलाया जाये, चारे की कमी में अपौष्टिक चारा जैसे बचा–खुचा भूसा,खोई,पुराल आदि को वैज्ञानिक विधियों द्वारा उपचारित कर पौष्टिक बनाकर पशुओं को खिलाया जा सकता है। एक कुन्तल अपौष्टिक चारे को 8 प्रतिशत यूरिया के घोल द्वारा भिगोकर तथा उसे पोलिथीन शीट से 6 से 7 हफ्ते तक ढक कर घर के एक कोने में रख दें। यह चारा 6 से 7 सप्ताह के बाद नाईट्रोजिनीकृत हो जाता है। जिसे पशु बडे चाव से खाते हैं। चार किलो यूरिया को 50 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाया जाये जो एक कुन्तल चारे को अच्छी तरह से भिगो लेता है ।

पशुओं को स्वच्छ पानी ही पिलाया जाये क्योकि गन्दे पानी से कुपोषण की स्थिति में पशुओं में तीव्र गति से बीमारी पनप सकती है। गर्मी तथा लॅू से बचाव हेतु पशुओं को चरागाहों में न भेजा जाये तथा छायादार वृक्षों के नीचे अथवा पशुशैड में ही पशुओं की खिलाई– पिलाई की जाये। प्रभावित पशुओं के उपचार हेतु निकटवर्ती पशु चिकित्सालय से सम्पर्क कर चिकित्सा सहायता प्राप्त की जाये, देरी करने पर पशु हानि हो सकती है। पशुपालकों को यह भी सलाह दी जाती है कि सूखा से निपटने हेतु राहत उपायों की जानकारी विकास खण्ड स्तर पर आयोजित किसान/पशु गोष्ठियों में भी दी जाती है। पशुपालन विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर पशु चौपालों में भी उपरोक्त जानकारी पशुपालक भाइयों को उपलब्ध करायी जा रही है।

आग से बचावः–

पशु पालकों को पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से जानकारी दी गयी है कि वह गर्मी में विशेषकर जब तेज हवाऐं चल रही हों उस समय आग लगने की घटनाऐं घटित होने की प्रबल समस्याऐं होती हैं। इसलिये सभी पशु पालक चुल्हे की अग्नी को ढककर, दबाकर व बुझाकर रखें। पशुओं को दिन में पशु बाडे में न रखकर वृक्षों की छाया एवं बगियों में रखें। यदि छप्पर में पशुओं के खूंटे पर इस प्रकार बांधा जाये कि आग लगने की घटना होने पर पशुओं को तत्काल बाडे से बाहर निकाला जा सके ।

आग लगने पर पशुओ में प्राथमिक उपचारः–

पशुपालकों को यह भी जानकारी दी गयी है कि आग लगने की घटना होने पर यदि कोई पशु आग की चपेट में आ जाये तो तुरन्त उसके ऊपर कम्बल या जूट का बोरा डालकर आग को बुझा दिया जाये, उसके बाद पशु पर ठंडा एवं स्वच्छ पानी डाला जाये । त्वचा पर आग से जलकर घाव बन गये हों तो बर्न आईन्टमेन्ट का प्रयोग किया जाये। साथ ही साथ तत्परता से पशुओं को पशु चिकित्सालय पर ले जाकर या आपातकालीन स्थिति में पशु चिकित्साधिकारी को बुलाकर पशुओं का उपचार करा लें ।

हीट वेव /सूखा से बचाव हेतु पशुओ में टीकाकरणः–

1– **गला घोटूः–** प्रायः गाय भैंस तथा भेड पशु विशेष रूप से प्रभावित होते हैं इस रोग के फेलने में खराब मौसम, कुपोषण, अस्वस्थ वातावरण तथा आदृता विशेष रूप से सहायक होते हैं। रोग की उत्पत्ति में एक से 3 दिन का समय लगता है। तथा 50 से 100ः पशुओं की मृत्यु हो जाती है ।

Scanned with OKEN Scanner

लक्षणः– पशु को तीव्र ज्वर 104 डिग्री फेरनहाईट से 106 डिग्री तक हो जाता है रोगी पशु चलने फिरने में परेशानी महसूस करता है। गले व गर्दन में सूजन आ जाती है। जो गर्म व कडी होती है, मुँह से लार गिरती रहती है। तथा पशु को पानी निगलने में कठिनाई होती है। जीभ में सूजन आने पर जीभ मुँह से बाहर निकल जाती है। सांस के साथ गडगडाहट की आवाज आती है। तथा निमोनियां हो जाती है ।

रोग बचावः– 1– एच0 एस0 एन्टीसीरम 5 से 10 एम0एल0 त्वचा में दें ।

2– एच0 एस0 एलम प्रिसीप्रिटेटिड वैक्सीन 5 से 10 एम0एल0 त्वचा में दें ।

चिकित्साः– 1– एच0 एस0 एन्टीसीरम 50 एम0एल0 अन्तः सिरा द्वारा ।

2– एन्टीबाईटिक दवाईयाँ जैसे आक्सीटेटरा साईक्लीन के साथ कार्टिसोन दवाईयों का प्रयोग करना चाहिये
3– रोगी पशु को जौं का दलिया खिलाया जाना चाहिए तथा उसे प्रचुर मात्रा में पानी पिलाना चाहिये, रोगी पशु को स्वच्छ हवादार जगह में बांधें ।

2– खुरपका–मुँहपका(एफ0एम0डी0):–

वायरस से उत्पन्न होने वाले पशुओं का यह अति संक्रामक रोग है इससे जुगाली करने वाले सभी पशु तथा सूकर प्रभावित होते हैं। यह रोग मात्र स्पर्श करने या संक्रमित वायु के सेवन से फैल जाता है। 2 से 10 दिन के अन्दर, बीमारी पशु के सम्पर्क में आये स्वस्थ पशुओं को यह बीमारी हो जाती है ।

लक्षणः– शरीर के तापमान 104 से 106 डिग्री फै0,मुँह,खुर तथा थन में छाले हो जाते हैं पशुओं की भूख कम हो जाती है। मुँह से चपचपाहट की आवाज के साथ लगातार लार गिरती रहती है। खुरों के बीच में भी घाव बन जाते हैं। कभी–कभी खुर निकल कर गिर जाता है। जिससे पशु के पैर में घाव की स्थिति ओर खराब हो जाती है, जिससे कीडे भी पड जाते हैं। यह भी देखा गया है कि रोग की उग्रवस्था में पशु की जीभ की त्वचा भी निकल कर बाहर गिर जाती है। जिससे पशु को चारा पकडने में भी परेशानी का सामना करना पडता है ।

बचावः–1–एफ0एम0डी0 आयल एजजूवेन्ट वैक्सीन 2 एम0एल0 अन्तः त्वचा वर्ष में एक बार दी जानी चाहिए

2– बीमारी को पशु झुण्ड से जल्दी मुक्त करने हेतु बीमार पशु की मुँह की लार अन्य स्वस्थ पशुओं के मुँह लगानी चाहिए, जिससे सभी पशु एक साथ प्रभावित होकर स्वस्थ हो जायेंगे। जिससे बीमारी की व्यवस्था में कम समय व खर्चा भी कम होता है।

उपचारः–1– माऊथवास– इसके लिए फिटकरी का 1ः का घोल अथवा पोटेशियम परमैगनट का 0.1 प्रतिशत का घोल प्रयो किया जाना चाहिए।माऊथवास करने के बाद ग्रिसलीन तथा बोरिकऐसिड से बने मरहम का प्रयोग मुँह में करना चाहिए।

2– **फूटवाथ–** इसके लिए एक प्रतिशत का नीले थाथे का घोल अथवा 0.1 प्रतिशत फिनोल का घोल प्रयोग करें ।

3– थन के घाव पर बोरिकऐसिड या जिंक आक्साईड को मरहम के रूप में प्रयोग करें ।

4– एन्टीबायोटिक, विटामिन तथा मिनरल्स औषधियों का प्रयोग लाभदायक होता है।

इस समय जनपद मे भीषण गर्मी पड़ने तथा गर्म हवा के कारण लू जैसा प्रभाव दिखलाई पड़ रहा है। लू (हीट स्ट्रोक) का का प्रभाव मानव के साथ साथ पशुधन को भी प्रभावित कर रहा है। लू लगने पर पशु का उत्पादन कम हो जाता है तथा उचित प्रबंधन न होने पर पशु की मृत्यु भी हो जाती है। पशु ग्रामीण परिवेश मे आय का साधन है। पशुधन काफी कीमती है जिनके न रहने से पशुपालक की आर्थिकी एवं समाजिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ता है। पशु मृत्यु के फलस्वरूप वायु द्वारा संक्रामक/जूनोटिक बीमारियों का संक्रमण भी अन्य पशुओं तथा मानव को प्रभावित कर सकता है।

जनपद मे भीषण गर्मी के प्रभाव को देखते हुये सभी पशु चिकित्सालयों मे निम्न कार्ययोजना बनायी गयी है।

Scanned with OKEN Scanner

1—पशु चिकित्सालयों मे आने वाले सभी रोगी पशुओं एवं पशुपालकों हेतु पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिये पशु चिकित्सालयों मे पशुओं को पानी पीने हेतु चरही बनवायी गयी है, और पशुपालकों हेतु घड़े रखवाये गये हैं, जिसमे शुद्ध जल भरा जाता है।

2—क्षेत्र मे जल निगम, ग्राम प्रधान एवं नलकूप मालिकों के द्वारा सड़क के किनारे गड्ढों एवं अन्य उपयुक्त जगह मे पानी भरवाया जा रहा है इसके लिये सभी पशु चिकित्साधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि क्षेत्र मे पशुओं को गर्मी से बचाव हेतु पशुपालकों को अवगत कराया गया है कि पशुओं को छायादार स्थान पर रखें तथा समय समय पर शुद्ध जल पशु को पीने के लिये उपलब्ध कराते रहें।

3—डिहाईड्रेशन, डायरिया, लू, सर्रा आदि आदि पशु बीमारियों के उपचार के लिये सभी आवश्यक औषधियां खनिज लवण एवं आई0वी0 फ्लूड पर्याप्त मात्रा मे सभी पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध कराया गया है।

4—जनपद के समस्त पशु चिकित्साधिकारियों, कर्मचारियों को मुख्यालय पर ही उपलब्ध रहने के निर्देश दिये गये हैं ताकि किसी आकस्मिकता की स्थिति मे पशुओं के उपचार हेतु उनको सेवायें दी जा सकें।

5—जनपद मे गर्मियों मे होने वाली बीमारी जैसे मुंहपका, खुरपका, गलाघोंटू एवं पी0पी0आर0 का टीकाकरण कराया जा चुका है।

जन साधारण को बचाव हेतु निम्न उपाय प्रयोग मे लाने हेतु परामर्श/सुझाव

पशुपालकों के लिये निर्देश

इस दैवीय आपदा की स्थिति मे पशुपालक को उचित प्रबंधन तथा अपने पशु एवं कुक्कुट पक्षियों को लू लगने से बचा सकते हैं। लू से पशुओं को बचाने के लिये निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं।

1—पशुओं को चराई के लिये प्रातः ही भेजें तथा दोपहर से पूर्व ही वापिस बुला लें।

2—चराई के लिये पशुओं को ज्यादा दूर न ले जायें तथा छायादार जंगल आदि स्थान का ही प्रयोग करें।

3—पशु को चराई के लिये जाते समय तथा लौटते समय स्वच्छ पानी अवश्य पिलवायें।

4—पशुओं को बीमारी से बचाने के लिये मार्क—4 हैंडपम्प के स्वच्छ पानी का ही प्रयोग करें।

5—पशुओं की चराई जल की उपलब्धता वाले स्थान के निकट ही करें।

6—पशु को दिन मे एक बार अवश्यिक ही नहलवायें।

7—पशुशाला की खिड़की एवं दरवाजों पर जूट के बोंरों को भिगोकर प्रयोग करें जिससे ठंडी हवा आ सके।

8—पशुशाला की छत, टीन/एस्बेस्टस या सीमेन्ट की होने पर टीन के ऊपर गन्ने की पत्ती अथवा सरपट या सरकंडा का बिछावन प्रयोग कर तापमान कम करें।

9—सक्षम पशुपालक पशुशाला मे स्प्रिकलर के द्वारा जल का छिड़काव करें एवं पंखों का प्रयोग करें तभी उत्पादन प्राप्त किया जा सकेगा।

10—मुर्गी शाला मे पर्याप्त मात्रा मे जल एवं राशन की मात्रा रखें।

11—पशु पक्षी लू लगने पर यदि तेज बुखार एवं अन्य लक्षण प्रदर्शित कर रहे हों तो तत्काल जल पिलायें तथा निकटवर्ती पशु चिकित्सक से सम्पर्क करें।

12—सिंचाई के अभाव से चरी, जहरीली होने पर उस चरी का प्रयोग कदापि न करें।

13—विषाक्त चरी के सेवन के उपरान्त पशु की जीवन रक्षा हेतु सोडियम थायो सल्फेट नामक दवा प्रत्येक पशु चिकित्सालय मे उपलब्ध है।

14—पशु चिकित्सालयों पर जीवन रक्षक औषधियां तथा अन्य औषधियां उपलब्ध हैं जिनके प्रयोग से पशु की जीवन रक्षा तुरन्त करने का प्रयास करें।

15—पशु चिकत्सक द्वारा दिये गये निर्देशों/सुझावों का पालन करें।

16—मानसून आने से पूर्व ही गला घोटू बीमारी से बचाव का टीका अपने पशु को शीघ्र ही लगवायें यह टीका निःशुल्क लगाया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

17–आपदा की स्थिति मे पशु को राहत शिविरि मे ले जाये जहां आहार, पानी तथा उपचार की व्यवस्था की जाती है।

18–भेड/बकरियों को चराई के दौरान रौजा विषाक्तता होने पर तत्काल पानी पिलाकर जीवन रक्षा मे सहयोग प्रदान करें।

19–किसी भी आपातकालीन स्थिति मे विभागीय कन्ट्रोल रूम नम्बर 05282–222519 पर सम्पर्क करें। घर के बाहर छायादार स्थान पर कटोरे मे पानी भरकर रख दें जिससे कि अन्य पक्षी भी पानी पी सकें।

जनपद मे बेसिक शिक्षा विभाग गौतमबुद्वनगर की कार्ययोजना निम्नवत है

क्या करे :–

1– समस्त ब्लाक संसाधन केन्द्रो में लू/हीट वेव सम्बन्धी ब्लाक स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित कर मानीटिरिंग करे।

2– विद्यालयों मे छात्र/छात्राओं की स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबन्धन, जन जागरूकता, व विभिन्न माध्यमो से प्रचार प्रसार कर जन जागरूकता करे।

3– सरकारी/गैर सरकारी व सामाजिक संस्थानो / एन0जी0ओ0 से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित रणनीति बनाये तथा पूर्व की तैयारी रखे।

4– रेडियों, टेलीवीजन तथा समाचार पत्रों के माध्यम से स्थानीय मौसम की जानकारी लेते रहे।

5– शरीर मे पानी की कमी न होने दे व पर्याप्त पानी पीते रहे तथा प्यासे न रहे।

6– हल्के, आराम दायक, ढीले व हल्के रंग के कपडे पहने। जहां तक संभव हो सूती वस्त्रो का ही प्रयोग करे।

7– गर्मी मे धूप से बचाव हेतु धूप के चश्में, छाते, हैट, जूते व चप्पल का प्रयोग अवश्य करे।

8– किसी भी यात्रा मे अपने साथ पानी तथा ओं0आर0एस0 अवश्य रखे।

9– बाहर निकलते समय सर, चेहरा, हाथो व गर्दन को धूप से ढक कर रखें ।

10– शरीर को डि–हाईड्रेशन से बचाव हेतु ओ0आर0एस0,,घरेलू पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नीबू–पानी, बटर मिल्क इत्यादि का प्रयोग अवश्य करे ।

11– हीट स्ट्रोक के लक्षण जैसे सर दर्द, नकसीर फूटना, चक्कर आना, जी मिचलाना, अत्यधिक पसीना आना अथवा कमजोरी या बेहोशी आने पर तत्काल चिक्त्सिक को दिखाये।

12– जानवरो का छांव मे रखे तथा उन्हें पीने को पर्याप्त पानी दे।

13– घरो को ठण्डा रखने हेतु यथासंभव पंखे, कूलर, इत्यादि का प्रयोग करे तथा पर्दे, खिडकी तथा रोशनदान दिन मे बन्द रखे अथवा खस के पर्दे का प्रयोग करे।

14– कार्यालय, विद्यालय तथा कार्यस्थलों के पास ठण्डे पानी पीने की व्यवस्था रखे।

15– धूप मे कार्य करने तथा बच्चो, कर्मचरियो तथा श्रमिकों को सीधे धूप मे रखने से परहेज करे तथा धूप मे रहने की स्थिति मे बीच–बीच मे आराम लेते रहे।

16– गर्भवती महिलाओं तथा बीमार व्यक्तियों को आवश्यक्तानुसार दवाये व प्राथमिक चिकित्सा साथ मे रखे ।

क्या न करे :–

1– बच्चो तथा पालतू जानवरो को धूप मे खडे वाहनो मे अकेला न छोडे।

2– अपरान्ह 12 से 03 बजे तक सीधी धूप मे रहने से बचें।

3– गहरे रंग के, भारी व तंग कपडे गर्मी मे पहनने से परहेज करे।

4– अपरान्ह 12 से 03 बजे तक सीधी धूप मे कठिन शारीरिक श्रम करने से बचें।

5' अपरान्ह 12 से 03 बजे तक तेज धूप के समय भोजन बनाने से बचे यदि आवश्यक हो तो भोजन क्षेत्र के दरवाजे, खिडकी, रोशनदान आवश्यक्तानुसार खुले रखें।

6– एल्कोहल, चाय, काफी तथा कार्बोनेटेड साफट डिंक का प्रयोग न करे।

7– भारी व मसालेदार भोजन से बचे तथा बासी भोजन कदापि न करे।

श्रम विभाग की कार्य योजना

01– कार्यालय, श्रम प्रवर्तन अधिकारी में श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से अपना पंजीयन करने आते है।

02– श्रमिको को लू से बचने हेत कार्यालय में (02) दो घड़ा पानी पीने हेतु रखा गया है।

Scanned with OKEN Scanner

03– श्रमिकों को लू से बचने हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में पीने की सलाह दी जाती है।

04– श्रमिकों को सुबह व शाम के समय कार्य करने एवं दोपहर में धूप से अधिक से अधिक बचाव करने की सलाह दी गई है।

05– दुकानों / कारखानों में मज़दूरो को पर्याप्त मात्रा मे पानी की व्यवस्था एवं पीने हेतु घड़ा एवं प्याऊ की व्यवस्था के निर्देश दे दिये गये है।

जिला विकास कार्यालय गौतमबुद्धनगर की कार्ययोजना

1. सभी विकास खण्ड कार्यालयों में आने वाले ग्रामीण जनमानस को ठण्डा एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो इस हेतु घड़े आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करायी गई है।
2. 2. ग्राम पंचायतों में तैनात अधीनस्थ ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को निर्देश प्रसारित किये हैं कि वे सभी ग्राम पंचायत न्याय पंचायत कार्यालयों में ठण्डे एवं शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु घड़े आदि की व्यवस्था करें तथा उसमें प्रतिदिन शुद्ध जल भरवाया जाए। इस हेतु समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश प्रसारित किये ये हैं कि वे नियमित अनुश्रवण भी करेगें।
3. हीट वेव (Heat Wave) के प्रकोप से बचने के लिए विकास खण्डों व तहसीलो में आयोजित होने वाली बैठक कार्यशालाओं आदि में जनमानस को निम्नांकित सुझाव क्या करे और क्या न करें से अवगत प्रेरित करने सम्बन्धी निर्देश निर्गत किये गये है।
4. ग्राम पंचायत सचिवों के साथ.साथ ग्राम प्रधानों को भी समुचित पेयजल व्यवस्था व बचाव हेतु जनजागरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
5. जनपद मे पेयजल की समुचित व्यवस्था बनी रहे इस हेतु जनपद के सभी खराब हैण्डपम्पों के रिबोर मरम्मत का कार्य तत्काल कराया जा रहा है।
6. अस्थायी रूप से खराब हैण्डपम्पों को तत्काल ठीक कराये जाने के निर्देश निर्गत कर दिये गये है, इसकी नियमित समीक्षा भी की जा रही है।
7. पानी की टंकियों की नियमित सफाईए ब्लीचिंग पाउडर व जिंक टेबलेट आदि के माध्यम से कराये जाने हेतु जल निगम एवं जल संस्थान के अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया है।
8. प्रत्येक गाँव में पशुओं, पक्षियों के लिए तालाब, पोखरा, गढढों एवं चरही को भराये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये है तथा इसकी समीक्षा भी की जा रही है

हीट बेव से बचाव के लिये कार्ययोजना

मनरेगा योजनानर्न्तगत जनपद में भीषण गर्मी व लू को देखते हुये निम्नलिखित व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जा रही है।

1. सभी विकास खण्डों में मनरेगा सेल में आने वाले ग्रामीणों / जनमानस अधिकारी/ कर्मचारी को ठण्डा एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के लिये समुचित घडे आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा रही है।

2. जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत अधिकारी को निर्देश प्रसारित किये गये है कि मनरेगा योजनाब्र्न्तगत समस्त कार्यस्थलों में ठण्डे एवं शुद्ध पेयजल हेतु पटे या समुमित बर्तन में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

Scanned with OKEN Scanner

3. ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम रोजगार सेवक ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी को निर्देश प्रसारित किये गये है कि मनरेगा योजनागत कार्य करने वाले श्रमिकों के बीच भीषण गर्मी एवं लू से बचाव इसके प्रभावों को कम करने एवं पीडित होने पर उस समय प्राथमिक रूप से क्या कर सकते है, के विषय में चर्चा कर श्रमिक परिवारों की समझ बनायें तथा बचाव हेतु प्रेरित करें।

4. श्रमिकों को निम्न उपायों को प्रयोग में लाने के लिये प्रेरित किया जाये कि 1. सुबह खली पेट काम पर न निकले। 2. पीने के शुद्ध पानी का प्रयोग करें। 3. यदि आवश्यक न हो तो तेज धूप-लू में न निकले यदि निकले तो पूरे कपड़े पहन कर निकलें।

5. भीषण गर्मी एवं लू से बचाव के उपायों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सके।

6. ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम रोजगार सेवक ग्राम विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी को निर्देश प्रसारित किये गये है कि मनरेगा योजनागत श्रमिकों को दोपहर में काम करने के लिये रोका जाये, दोपहर की तेज धूप व लू मे कार्य करने के कार प्राप्त एवं सायं को जब लू व धूप का प्रभाव कम हो उस समय कार्य लिया जाये। 2. योजनानांगत सभी कार्यस्थल पर पीने के समुचित शुद्ध पानी माटी मग आदि की अनिवार्य रूप से सुनी जाये एवं एक विकलाग या वृद्ध उम्र के मनरेगा जॉबकार्ड धारक श्रमिक को श्रमिकों को पानी पिलाने की में कर दिया जाय। 3. प्रत्येक कार्यस्थल पर छाया की व्यवस्था को भी सुनिश्चित कराया जाये। यदि किसी स्थल पर या प्राकृतिक की यहाँ के लिये उचित छाया की व्यवस्था की जाये। 4. प्रत्येक कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार की किट अनिवार्य रूप से रखें जिसमे तू के प्रभाव को कम करनेपाली आदि 3. जिन महिला के छोटे बच्चे हो

<u>हीट वेव से बचाव के लिए जिला पंचायतराज अधिकारी</u>

जनपद मे भीषण गर्मी व लू को दृष्टिगत रखते हुए बचाव हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाये सुनिश्चित करायी जा रही हैः–

1. सभी विकास खण्ड कार्यालयों में आने वाले ग्रामीणों/जनमानस को ठण्डा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, इस निमित्त ठण्डे पानी हेतु समुचित घड़े आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा रही है।
2. ग्राम पंचायतों में तैनात अधीनस्थ ग्राम विकास अधिकारियों व ग्राम पंचायत अधिकारियों को भी यह निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि सभी ग्राम पंचायत/न्याय पंचायत कार्यालय में ठण्डे पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु घड़े व पानी की टंकी रखवायें तथा उसमें नित्य प्रतिदिन शुद्ध ठण्डा जल भरा जाए। इस हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों से इसका नियमित अनुश्रवण भी सुनिश्चित कराया जा रहा है।
3. लू–प्रकोप (Heat Wave) से बचने के लिए सबसे आवश्यक बिन्दु यह है कि इसके बचाव का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए ताकि इसके कुप्रभाव से बचा जा सके। विकास खण्ड व तहसील स्तर पर आयोजित बैठकों/कार्यशालाओं आदि में जनमानस को बचाव हेतु निम्न उपाय प्रयोग में लाये जाने हेतु सुझाव दिये जा रहे है व प्रेरित किया जा रहा है कि :–
   - यदि आवश्यक न हो तो धूप में बाहर न निकलें और यदि निकलें तो पूरे कपड़े पहनकर और सिर ढककर ही निकलें।
   - घूप व लू में खाली पेट न निकलें तथा साथ में पीने का पानी की व्यवस्था भी रखे।

Scanned with OKEN Scanner

- कटे, खराब एवं बासी फलों व सब्जी आदि का प्रयोग कदापि न करें व हमेशा ताजा भोजन ही करें।
- किसी भी आकस्मिकता यथा लू/डायरिया आदि के लक्षण प्रकट होने पर तत्काल निकटतम चिकित्सा केन्द्र पर परामर्श/उपचार लें।

4. पेयजल की समुचित व्यवस्था बनी रहे इस हेतु जनपद में सामान्य खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत व स्थायी खराब हैण्डपम्पों के रिबोर का कार्य तत्काल सुनिश्चित कराया जा रहा है।
5. प्रत्येक गाँव में सूखे पड़े तालाबों को भराए जाने का कार्य प्रगति पर है।
6. ग्राम सचिवों के साथ–साथ ग्राम प्रधानों को भी समुचित शुद्ध पेयजल की व्यवस्था बनाये रखने व लू से बचाव हेतु जन–जागरण किये जाने पर बल प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

जनपद में पेयजल की व्यवस्थाः–

शहर को जल आपूर्ति नोएडा विकास प्राधिकरण/ग्रैटर नोएडा विकास प्राधिकरण/यमुना विकास प्राधिकरण/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा की जाती है। नगर पालिका द्वारा जल आपूर्ति हेतु पांच नम्बर वाटर टैंक स्थापित है। जनपद के अन्तर्गत विभिन्न नगर पालिकाओं में जल आपूर्ति हेतु वाटर टैंक है। शहरी क्षेत्र के अतिरिक्त जनपद की लगभग सम्पूर्ण ग्रामीण आबादी हैण्डपम्प पर निर्भर है। कृषि कार्यो के लिए जल आपूर्ति की व्यवस्था नहरों के अतिरिक्त सिंचाई विभाग के नलकूपों के जरिए होती है। जिनका विवरण निम्नप्रकार है।

सूखे की स्थिति में राजकीय नलकूपों की महत्ता बढ़ जाती है। क्योंकि इनके द्वारा स्थानीय पेयजल की पूर्ति करने एवं पशुओं के पीने के लिए तालाबों को भरने आदि में उपयोग हो सकता है। अतः सूखे से निपटने के लिए राजकीय नलकूपों को सुचारू रूप से संचालन हेतु नलकूपों पर क्षतिग्रस्त विद्युत उपकरणों की प्रतिस्थापना का कार्य एवं जलस्तर नीचे जाने की स्थिति में नलकूपों पर एम0एस0 कालम पाईप 6'' व्यास की वृद्धि का कार्य कराया जाना आवश्यक है। ताकि सूखे की स्थिति में विषम परिस्थितिया निपटा जा सके।

तहसील सदर

(क) पेयजल समस्या के निदान हेतु सरकार/निगमनों द्वारा लगाये गये हैण्डपम्पों की जांच करायी जाकर खराब हैण्डपम्प यथाशीघ्र ठीक कराये जाये। यदि किन्ही स्थानों पर हैण्डपम्प नये लगाये जाने की आवश्यकता है तो यथाशीघ्र ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लिये जाकर नये हैण्डपम्प लगवाये जाये। इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्रों में यह कार्य अधिशासी अधिकारियों की देखरेख में किया जाये। इसके अतिरिक्त राजकीय नलकूपों की मरम्मत करायी जाये, जिससे आवश्यकता पडने पर नलकूपों से पानी की आपूर्ति हेतु पेयजल समस्या का निस्तारण किया जा सके।

(ख) पशुओं को पीने के पानी हेतु जहां आवश्यकता होगी वहां पर तालाब/नहर/सरकारी नलकूप/अन्य साधनों से भरवाये जाये।

तहसील दादरी

(क) पेयजल समस्या :–

पेयजल समस्या के निदान हेतु सरकार/निगमों द्वारा लगायें गये हैण्डपम्पों की जांच करायी जाकर खराब हैण्डपम्प यथाशीघ्र ठीक कराये। यदि किन्ही स्थानों पर हैण्डपम्प नये लगाये जाने की आवश्यकता है तो यथाशीघ्र प्रस्ताव लिये जाकर नये हैण्डपम्प लगवाये जाये। नगर क्षेत्रों में यह कार्य अधिशासी अधिकारियों की देखरेख में किया जाये। इसके अतिरिक्त

Scanned with OKEN Scanner

राजकीय नलकूपों की मरम्मत करायी जाये। जिससे आवश्यकता पडने पर नलकूपों से पानी की आपूर्ति हेतु पेयजल समस्या का निस्तारण किया जा सके।

(ख) पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता :–

सूखे की स्थिति में पशुओ के लिए चारे की भारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए भूसे की जनपद में बाहर स्थिति पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। पेपर व गन्ना मीलो पर भूखे का प्रयोग प्रतिबन्धित किया जाये। अनुदान/छूट पर चारे के बीज उपलब्ध कराये जाये, ताकि सूख के समय चारे की आपूर्ति जनपद में हो सके। फिर भी यदि आवश्यकता होगी तो भूसा बाहर से आयात किये जाने के लिए बडे–बडे व्यापारियों से भूखा मंगाने हेतु सम्पर्क किया जाना चाहिए ।

तहसील– जेवर

(क) पेयजल समस्या :–

पेयजल समस्या के निदान हेतु सरकार/निगमों द्वारा लगायें गये हैण्डपम्पों की जांच करायी जाकर खराब हैण्डपम्प यथाशीघ्र ठीक कराये। यदि किन्ही स्थानों पर हैण्डपम्प नये लगाये जाने की आवश्यकता है तो यथाशीघ्र प्रस्ताव लिये जाकर नये हैण्डपम्प लगवाये जाये। नगर क्षेत्रों में यह कार्य अधिशासी अधिकारियों की देखरेख में किया जाये। इसके अतिरिक्त राजकीय नलकूपों की मरम्मत करायी जाये। जिससे आवश्यकता पडने पर नलकूपों से पानी की आपूर्ति हेतु पेयजल समस्या का निस्तारण किया जा सके।

(ख) पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता :–

सूखे की स्थिति में पशुओ के लिए चारे की भारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए भूसे की जनपद में बाहर स्थिति पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। पेपर व गन्ना मीलो पर भूखे का प्रयोग प्रतिबन्धित किया जाये। अनुदान/छूट पर चारे के बीज उपलब्ध कराये जाये, ताकि सूख के समय चारे की आपूर्ति जनपद में हो सके। फिर भी यदि आवश्यकता होगी तो भूसा बाहर से आयात किये जाने के लिए बडे–बडे व्यापारियों से भूखा मंगाने हेतु सम्पर्क किया जाना चाहिए।

जलनिगम द्वारा शुद्धपेयजल उपलब्ध कराना

बाढ के समय सबसे अधिक समस्या पेयजल की होती है क्योकि बाढ के पानी से कुओं का पानी दूषित हो जाता है, बाढ से प्रभावित सभी गांवो में तथा उन ऊँचे स्थलों पर जहां बाढ के समय गांव के लोग शरण लेते है, वहां पर इंडियामार्का–दो हैण्डपम्प लगवाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जलनिगम को निर्देशित किया गया है। बाढ के समय नागरीय क्षेत्रो में पेयजल की आपूर्ति की शुद्धता हेतु नियमित प्रयासों की आवश्यकता है। पेयजल के ओवर हेड टैकों की शुद्धता हेतु नियमित रूप से कराते हुए पेयजल का क्लोरिनेशन आवश्यक सुनिश्चित मात्रा तक किया जाये। इसके लिए डोजरों को क्रियाशील रखा जायें तथा जो डोजर खराब हो, उन्हें तत्काल ठीक करा लिया जायें। पेयजल में क्लोरीन की उपलब्धता हेतु नियमित रूप से ओ0टी0टेस्ट विभिन्न स्थानों से एकत्रित किये जायें। जिन स्थानों पर पेयजल के प्रदूषित होने/ओ0टी0टेस्ट ऋणात्मक होने की सम्भावना हो, ऐसे स्थानों से पेयजल के नमूने एकत्रित कर परीक्षण हेतु निदेशालय स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला/राज्य स्वास्थ्य संस्थान में भेजे जाये। पेयजल क्लोरिनेशन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी/जलनिगम का एक प्रतिनिधि संयुक्त रूप से आपूर्ति किये जा रहे विभिन्न स्थानों पर नियमित रूप से ओ0टी0टेस्ट करेगे और ओ0टी0टेस्ट के परिणाम को जिलाधिकारी की संज्ञानता में लायेगें। ओ0टी0टेस्ट ऋणात्मक/क्लोरिनेशन का स्तर कम होने पर यथोचित कार्यवाही दायित्वों का निर्वहन न करने वाले कर्मचारी/अधिकारी के प्रति जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

IRS Recognized Position	Designation of the Officer	Name of the Officer	Mobile Number
Responsible Officer	District Magistrate	Manish Kumar Verma	9870145599
Incident Commander	ADM-F/R	Atul Kumar	9870944876
Information and Media Officer	District Information Officer(DIO)	Sunil Kumar	9918966505
Safety Officer	Police Department	Ravi Shankar Nim –DCP (HQ)	8595902504
Liaison Officer	City Magistrate/Deputy Collector	Vivekanand mishra	9084053638
Operation Chief	Superintendent of Police (SP)	Ravi shankar Nim-DCP HQ Police	8595902504
Staging Area Manager	RTO/ARTO	Siya Ram Verma	9451773075
Natural Disaster: Rescue & Response Officer	Chief Fire Officer (CFO)	Pradeep Kumar	7016489475
Epidemic & Health Hazard: Rescue & Response Officer	Chief Medical Officer (CMO)	TikaRam	9454455398
Man-Made Disaster : Rescue & Response Officer	Additional SP	Dinesh Kumar Singh	8595902515
Transport Unit (Rail, Road, Air)	RTO/ARTO	Siya Ram Verma	9451773075
Planning Chief	ADM-F/R	Atul Kumar	9870944876
Resource Unit	District Disaster Expert/DDMA-in-Charge	Omkar Chaturvedi	8145563077
Situation Unit	Emergency Operaions Centre-in-Charge	DEOC	01202978231,32,33
Documentation Unit	District Information Officer (DIO)	Sunil Kumar	9918966505
Demobilization Unit	ADM-F/R	Atul Kumar	9870944876
Logistic Chief	Chief Development Officer (CDO)	Janardhan Singh	7275554537
Service Branch	District Development Officer (DDO)	Suddha Kumari	9648738745
Communication Unit	District Information Officer (DIO)	Sunil Kumar	9918966505
Medical Unit	Chief Medical Officer (CMO)	Sunil Kumar Sharma	9454455398
Food Unit	District Supply Officer (DSO)	Chaman Sharma	8439971677
Support Branch	SDM-Sadar Dadri Jewar District HQ	Charul Yadav Anuj Nehra Abhay Singh Vivekanand Mishra	9971106075 9811431339 9773901899 9811431339
Resource Provisioning Unit	Executive Engineer (Irrigation and PWD)	Rajkumar kumar-Irrigation Kanchan singh-Pwd	9415323303 9411802990
Facility Unit	Chief Veterinary Officer (CVO)	Vipin Agarwal	6395419210

Scanned with OKEN Scanner

Ground Support Unit	Executive Officer- Nagar Palika (Nagar Nigam & Jal Nigam)	Shalini -Dadri Bharat Bhushan- Rural	8189077907 8009203110
Finance Branch	Treasury Officer/STO	Sikha Gupta	8765923810
Time unit	Nazir	Satyendra Kumar	9711911220
Compensation Unit	Relief Clerk	Kuldeep Khanna	9873601706
Procurement Unit	Treasury Officer	Sikha Gupta	8765923810
Cost Unit	Treasury Officer	Sikha Gupta	8765923810

1. पुलिस विभाग व यातायात पुलिस, गौतमबद्धनगर।

- मॉक ड्रिल के दौरान जनपद में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- सूचनाओं के आदान–प्रदान में सहयोग हेतु ई0ओ0सी0 में वायरलेस सेट की स्थापना।
- राहत बचाव कार्यो में लगी टीम को वायरलेस टीम उपलब्ध कराना जिससे टीम आसानी से ई0ओ0सी0 व एक–दूसरे के सम्पर्क में रहें और सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जा सके।
- Law and order बनाये रखने में सहयोग।
- घटना स्थल तक राहत एवं बचाव कार्य हेतु एम्बुलेन्स, अग्निशमन विभाग, सी0आई0एस0एफ0 को जिला प्रशासन को सुरक्षित एवं ससमय पहुँचाने में सहयोग।

2. राजस्व विभाग, गौतमबद्धनगर।

- राजस्व विभाग द्वारा ईमरजेन्सी ऑपरेशन्स सेन्टर (Emergency Operations Centre) स्थापित किया जायेगा।
- घटना की जानकारी के उपरान्त वायरलेस के माध्यम से सम्बन्धित को सूचनाओं का आदान प्रदान किया जायेगा।
- आपदा के उपरान्त आपदा से प्रभावितों को चिन्हित कर राहत प्रदान करने का कार्य किया जायेगा।
- आपदा की स्थिति में मानव एवं भौतिक संसाधनों की क्षति का आंकलन करते हुये विभागवार राहत एवं बचाव कार्य की आवश्यकता एवं किये जाने वाले कार्य की समीक्षा का दायित्व इस विभाग द्वारा किया जायेगा।
- जिला, तहसील, ब्लाक और ग्राम स्तर पर खोज, बचाव एवं निकासी दल, सूचना प्रसारण दल, आश्रय प्रबन्धन दल का गठन करना।
- जिला प्रशासन, जिला नियंत्रण कक्ष, सहयोगी विभाग, ग्राम प्रधान के सम्पर्क सूत्र एवं फोन नम्बरों की सूची बनाना और इन सभी से सम्पर्क में रहना।
- बाढ की स्थिति के दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना तथा आपदा के समय उन क्षेत्रों के प्रभावित लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना।
- साम्प्रदायिक संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना तथा आपदा के समय उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।
- बाढ आने से 01 माह पूर्व क्षेत्र का निरीक्षण तथा प्रभावित होने वाले ग्रामों एवं उनके प्रभाव की विभाग से सम्बन्धित सदस्यों को जानकारी उपलब्ध कराना।
- वी0आई0पी0 के प्रभावित क्षेत्रों में आने पर उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना तथा उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना।

Scanned with OKEN Scanner

- अपने–अपने सम्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न बन्धों/नहरों आदि के तकनीकी मानक के अनुरूप सुरक्षित होने का प्रमाणपत्र सम्बन्धित विभागों द्वारा प्राप्त कर उपलब्ध कराना।
- नदियों के जलस्तर से प्रभावित होने वाले निम्न स्तर, मध्य स्तर व उच्च स्तर पर प्रभावित ग्रामों की सूची तहसीलवार उपलब्ध कराना।
- तहसीलवार प्रभावित होने वाले सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना का निर्माण कर उपलब्ध कराना।
- मॉक ड्रिल स्थल व आसपास के क्षेत्रों में फैलने वाली अफवाहों के प्रबंधन हेतु सम्बन्धितों को आवश्यक दिशा–निर्देश देना व मीडिया के माध्यम से जनसामान्य को विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराना।

3. विकास विभाग, गौतमबद्धनगर।

- ग्राम आपदा प्रबन्धन को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु संचालित योजनाओं के साथ सामजस्य सुनिश्चित करना।
- आपदा प्रबन्धन को दृष्टिगत रखते हुये पंचायत की विकास की योजना तैयार करना।
- निःसहाय व्यक्तियों की सूची तैयार करना तथा उसको समय–समय पर अद्यतनीकरण सुनिश्चित करना।
- आपदाओं के मौसम को दृष्टिगत रखते हुये पंचायत स्तर पर पूर्व तैयारी की समीक्षा एवं योजना निर्माण पर बैठक में सहभाग करना तथा जोखिम न्यूनीकरण हेतु बेहतर सुझाव प्रदान करना।
- पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स का गठन करना
- चुने गये प्रतिनिधियों को आपदा प्रबन्धन पहलुओं पर प्रशिक्षण देना ।
- आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं पर ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा बाढ आपदा के पूर्व और आपदा के दौरान महत्वपूर्ण क्या करें क्या ना करें बताना।

4. परिवहन विभाग गौतमबद्धनगर।

- जिला प्रशासन के मांग के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों/राहत साम्रगी वितरण एवं एन0डी0आर0एफ0/सेना आदि द्वारा राहत कार्य में लगें व्यक्तियों के लिए वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना।

5. अग्निशमन विभाग गौतमबद्धनगर।

- अग्निकांड की घटना घटित होने पर तत्काल समस्त संसाधनों सहित टीम पहुच कर आग पर काबू पाने का कार्य करगें।
- आग से प्रभावितों को बाहर निकालने का कार्य करेगें।

6. पूर्ति विभाग गौतमबद्धनगर।

- प्रभावित व्यक्तियों के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था करना।
- वाहन हेतु ईंधन की उपलब्धता।

7. पशुपालन विभाग, गौतमबद्धनगर।

- प्रभावित पशुओं के उपचार हेतु आवश्यक चिकित्सा/टीकाकरण एवं दवाओं की उपलब्धता।
- पशुओं के लिये चारा एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही।
- पशु राहत कैम्प की स्थापना।
- छोटे–बडे जानवरों की श्रेणी के अनुसार ब्लाक, तहसील व जनपद स्तर पर सूची तैयार करना।
- सुरक्षित स्थानों पर शिविर तथा पहुँचने वाले रास्तों की पहचान कराना।

Scanned with OKEN Scanner

- गंदे तथा प्रदूषित जलाशय से पशुओं में फैलने वाली बीमारी के प्रति जनसमुदाय को जागरूक करने हेतु विशेष कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित करना।
- लम्बे समय तक लू, सूखा, आपात काल की स्थिति के लिये विभिन्न जलस्रोतों की पहचान करना जिसका उपयोग जानवरों द्वारा किया जा सके।
- आपदा के दौरान पशुओं की देखभाल के लिये क्या करें, क्या न करें, डाक्टर एवं स्टॉफ के माध्यम से प्रसारित करना।

8. जल निगम, गौतमबद्धनगर।

- प्रभावित स्थल पर शुद्व पेयजल की व्यवस्था।
- राहत शिविर/राहत कैम्प में शुद्व पेयजल की आपूर्ति।

9. विद्युत विभाग, गौतमबद्धनगर।

- प्रभावित स्थल पर विद्युत आपूर्ति को बाधित करना।
- राहत शिविर/राहत कैम्प पर प्रकाश की उचित व्यवस्था करना।
- प्रभावित/क्षतिग्रस्त स्थल पर वैकल्पिक विद्युत की व्यवस्था करना।
- विभाग एवं रेस्पान्स एजेन्सियों से समन्वय स्थापित कर घटना स्थल/क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के आसपास विद्युत सुविधा में उचित कार्यवाही करना जिससे घटित हुई आपदा की पुनरावृत्ति अन्य आपदाओं के रूप में न हो पाये।

10. लोक निर्माण विभाग, गौतमबुद्धनगर।

- राहत शिविर/राहत कैम्प तक आवागमन की व्यवस्था करना।
- क्षतिग्रस्त मार्ग/पुलिया/पुल/सडक आदि का निर्माण/मरम्मत कराना।

11. सूचना विभाग, गौतमबुद्धनगर।

- स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचनाओं को प्रेषित करना।

12. सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।

- बाढ प्रभावित नदियों की पहचान करना तथा उनके तटबन्धों का निरीक्षण करना। अगर कहीं तटबंध में निकट रैटहोल या अत्यधिक गर्मी के कारण उसमें दरार आ गयी हो तो उसे मजबूत बनाना एवं मरम्मत करना। ऐसे क्षेत्रों के लिये आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना का निर्माण करना।
- प्रत्येक वर्ष बाढ स्टेयरिगं ग्रुप की बैठक व बाढ प्रबन्धन योजना की बुकलेट तैयार करना।
- ऐसे महत्वपूर्ण उपकरणों की पहचान करना एवं उनका संचय करना जिनकी जरूरत आपातकालीन प्रतिक्रिया के समय तटबंधों के रख रखाव के लिये आवयक होती है। तटबंधों की दरारों को बंद करने के लिये पहले से ही रेत की थैली एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का संचय करके रखना चाहिये। बंधों पर तैनात समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के मोबाइल नंबर जिला/तहसील/ब्लाक स्तर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।

13. शिक्षा विभाग, गौतमबुद्धनगर।

- बाढ/सूखा व विभिन्न आपदाओं में विद्यालयों के प्रभावित हो जाने के उपरान्त वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

14. कृषि विभाग, गौतमबुद्धनगर।

- बाढ/अतिवृष्टि में अत्यधिक वर्षा आदि से विभिन्न ग्रामों में प्रभावित फसलों आदि का डोर–टू–डोर सर्वे कराकर आंकडा उपलब्ध कर प्रभावित कृषकों को राहत प्रदान कराना।

15. नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, गौतमबुद्धनगर।

Scanned with OKEN Scanner

- प्रभावित व्यक्तियों के लिये एक राहत शिविर की स्थापना किया जाना जहां चारपाई, गददे, प्रकाश एवं शुद्व पेयजल आदि की आपूर्ति कराना।
- वैकल्पिक उर्जा के संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- क्षतिग्रस्त ढांचे से मलबे को हटाने के लिये जे0सी0बी0 तैनात करना।
- प्रभावित नागरिकों के लिये अस्थायी आश्रय स्थल के साथ शौचालय आदि की सुविधा उपलब्ध कराना।

16.एन0सी0सी0/नेहरू युवा केन्द्र/एन0एस0एस0/स्काउट एवं गाइड/स्वयंसेवी संगठन, गौतमबुद्धनगर।

- राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग प्रदान किया जाना।
- स्वयंसेवकों द्वारा राहत एवं बचाव कार्यो में जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर सहयोग प्रदान किया जाना।
- यातायात पुलिस को भीड प्रबंधन कार्य में सहयोग करना। घटना स्थल से सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के साथ हताहतों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना।

17.राष्ट्रीय आपदा मोचन बल/राज्य आपदा मोचन बल।

- प्रभावित स्थल पर राहत एवं बचाव कार्य करना।
- आवश्यकतानुसार संसाधनों की आपूर्ति हेतु ससमय जिला प्रशासन को अवगत कराना।
- मॉक ड्रिल एक्सरसाइज हेतु पूर्व निर्धारित स्थल पर सूचना प्राप्त होने पर कैंप से घटना स्थल पर त्वरित रूप से प्रस्थान करना।
- घटना स्थल पर पहुंचकर जोखिम का आंकलन करना। तत्काल राहत व बचाव प्रारंभ करना तथा इन्सीडेन्ट कमाण्डेंट के निर्देशानुसार बचाव अभियान का नेतृत्व करना।
- जिला प्रशासन/राजस्व विभाग के साथ नियमित समन्वय स्थापित कर बचाव कार्य संचालन हेतु आवश्यक आपातकालीन उपकरणों और संसाधनों की उपलब्धता त्वरित रूप से सुनिश्चित करते हुये बचाव अभियान चालू रखना।

18 स्वास्थ्य विभाग, गौतमबद्धनगर।

- घटना स्थल के आस–पास अस्पताल (सरकारी/गैर–सरकारी) में mass casualties के लिये bed reserve किया जाना।
- घटना स्थल पर एम्बुलेन्स उपलब्ध कराना।
- घटना स्थल के पास emergency medical camp की स्थापना करना जहाँ बैड, आवश्यक दवाईयां, चिकित्सक व अन्य स्टॉफ उपस्थित रहेगें जो विभिन्न आपदाओं से पीडितों को प्राथमिक उपचार देने का कार्य करेगें।
- रैपिड रेस्पान्स टीम (आर0आर0टी0) को तैयार करना।
- कन्ट्रोल रूम की स्थापना एवं आवश्यक दस्तावेजीकरण।
- जिला, तहसील, ब्लाक और ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य की तैयारियों का आंकलन करना।
- प्रशिक्षित कर्मियों, परीक्षण सुविधाओं एवं संचार प्रणालियों से युक्त सचल चिकित्सा दल का गठन करना।
- प्राथमिक उपचार दल का गठन करना।
- प्राथमिक उपचार दल को आपातकालीन स्थिति में कार्य हेतु प्रशिक्षित करवाना एवं नियमित रूप से उनका अभ्यास करवाना।
- बाढ प्रभावित क्षेत्रों के आपातकालीन स्थिति में शिविर हेतु सुरक्षित स्थानों का चिन्हीकरण।
- संक्रामक रोगों के फैलने वाले क्षेत्रों की पहचान करना तथा उसकी रोकथाम के लिये प्रबन्ध करना।

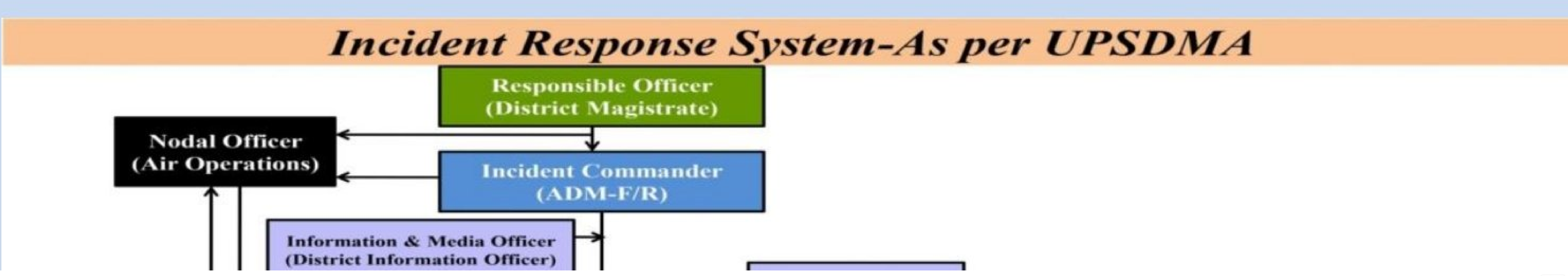

Scanned with OKEN Scanner

Best Practices Of District Gautambuddha Nagar

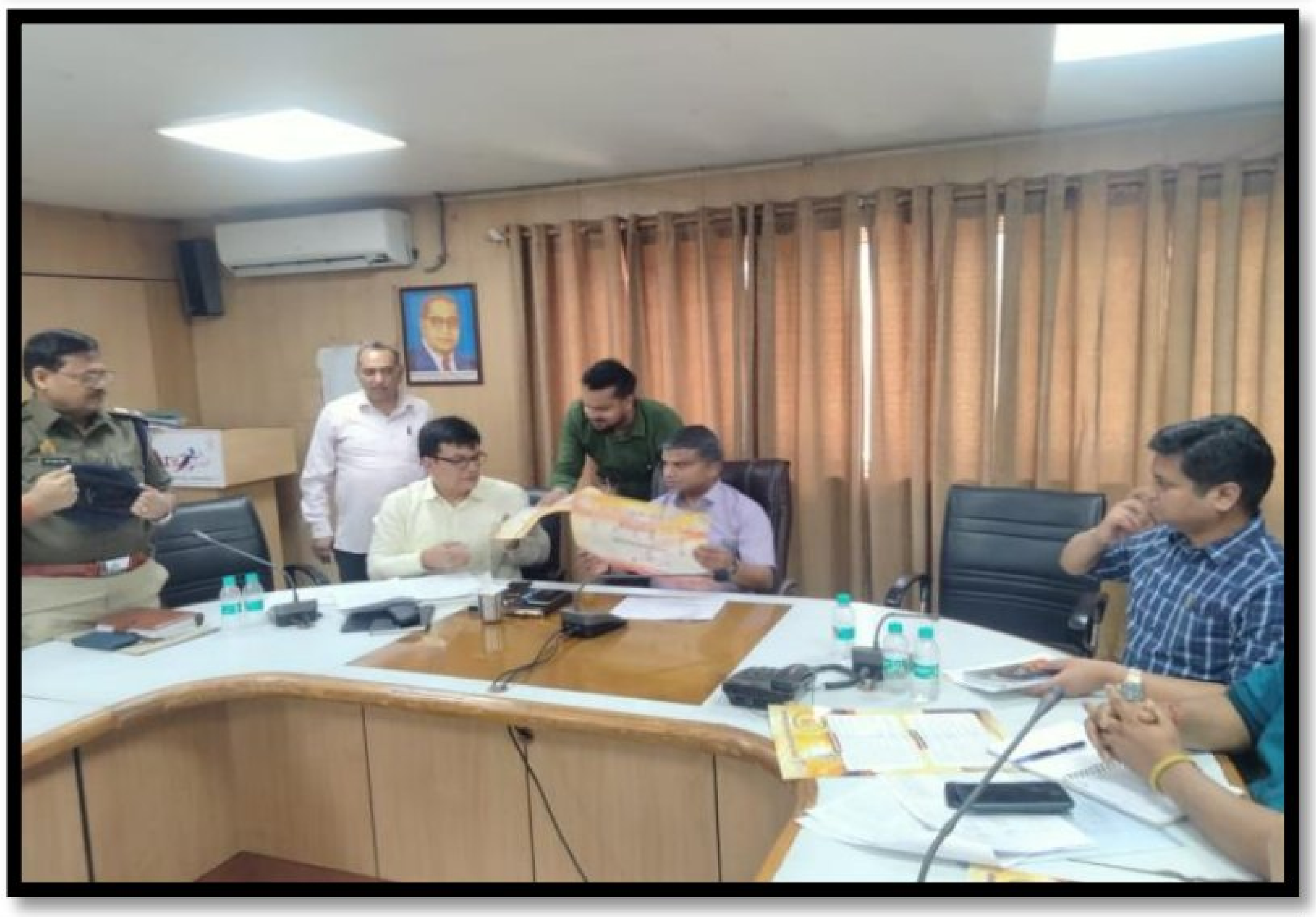

Scanned with OKEN Scanner

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा हीट वेव/लू से बचाव के लिए "क्या करें, क्या न करें" के संबंध में जनहित में एडवाइजरी की गयी जारी

इण्डिया डायरेक्ट न्यूज

गौतमबुद्धनगरः जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निदेशों के क्रम में एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार के नेतृत्व में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर द्वारा हीट वेव/लू से बचाव के लिए "क्या करें, क्या न करें" के संबंध में जनहित में एडवाइजरी जारी की गई है। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम बुद्ध नगर ओमकार चतुर्वेदी ने हीट वेव/लू में "क्या करें क्या न करें" के संबंध में विस्तार बताया कि हीट वेव/लू के दौरान क्या करें-

1. प्रचार माध्यमों पर हीट वेव/लू की चेतावनी पर ध्यान दें।
2. अधिक से अधिक पानी पीयें, यदि प्यास न लगी हो तब भी।
3. हल्के रंग के पसीना शोषित करने वाले सूती वस्त्र पहने।
4. घर से बाहर निकलते समय धूप के चश्मे, छाता, टोपी व चप्पल का प्रयोग करें।
5.अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो सिर, चेहरा, हाथ, पैरों को गीले कपडे से ढककर रखें तथा छाते का प्रयोग करें।
6. लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लिटाकर सूती गीले कपडे से पोंछे अथवा नहलायें तथा चिकित्सक से सम्पर्क करें-
7. यात्रा करते समय पीने का पानी साथ रखें।
8. ओ0आर0एस0, घर में बने पेय पदार्थ जैसे- लस्सी, चावल का पानी, नीबूं पानी, छाछ आदि का उपयोग करें, जिससे शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके।
9. हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट कैम्प के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सरदर्द, उबकाई, पसीना आना, बेहोशी आदि को पहचानना।
10. यदि बेहोशी या बीमारी अनुभव करते है तो तुरन्त चिकित्सकीय सलाह लें।
11. अपने घर को ठण्डा रखें। पर्दे, दरवाजे आदि का प्रयोग करें तथा रात व शाम के समय कमरों व घर को ठण्डा करने के लिये इन्हें खोल दें।
12. पंखे, गीले कपडे का प्रयोग करें तथा बार-बार स्नान करें।
13. कार्यस्थल पर ठंडे पीने का पानी रखें/उपलब्ध करायें।
14. कर्मियों को सीधे सूर्य की रोशनी से बचने हेतु सावधान करें।
15. श्रमसाध्य कार्यों को ठंडे समय में करने/कराने का प्रयास करें।
16. घर से बाहर होने की स्थिति में आराम करने की समयावधि तथा आवृत्ति को बढायें।
17. गर्भवती महिला कर्मियों तथा रोग्रगस्त कर्मियों पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिये।

उन्होंने बताया कि हीट वेव/लू में क्या न करें:-

1-जानवरों एवं बच्चों को कभी भी बंद/खडी गाडियों में अकेला न छोडें।
2-दोपहर 12 से 03 बजे के मध्य सूर्य की रोशनी में जाने से बचें सूर्य के ताप से बचने के लिये जहां तक सम्भव हो, घर के निचली मंजिल पर रहें।
3-गहरे रंग के भारी तथा तंग कपडे न पहनें।
4-जब बाहर का तापमान अधिक हो, तब श्रमसाध्य कार्य न करें।
5-अधिक प्रोटीन तथा बासी एवं संक्रमित खाद्य व पेय पदार्थ का सेवन न करें।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर द्वारा हीट वेव/लू से बचाव के लिए "क्या करें, क्या न करें" के संबंध में जनहित में एडवाइजरी की गयी जारी

गौतमबुद्धनगर 06 अप्रैल, 2024 जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार के नेतृत्व में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर द्वारा हीट वेव/लू से बचाव के लिए "क्या करें, क्या न करें" के संबंध में जनहित में एडवाइजरी जारी की गई है। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम बुद्ध नगर ओमकार चतुर्वेदी ने हीट वेव/लू में "क्या करें क्या न करें" के संबंध में विस्तार बताया कि हीट वेव/लू के दौरान क्या करें-

1. प्रचार माध्यमों पर हीट वेव/लू की चेतावनी पर ध्यान दें।
2. अधिक से अधिक पानी पीयें, यदि प्यास न लगी हो तब भी।
3. हल्के रंग के पसीना शोषित करने वाले सूती वस्त्र पहने।
4. घर से बाहर निकलते समय धूप के चश्मे, छाता, टोपी व चप्पल का प्रयोग करें।
5.अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो सिर, चेहरा, हाथ, पैरों को गीले कपडे से ढककर रखें तथा छाते का प्रयोग करें।
6. लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लिटाकर सूती गीले कपडे से पोंछे अथवा नहलायें तथा चिकित्सक से सम्पर्क करें-
7. यात्रा करते समय पीने का पानी साथ रखें।
8. ओ0आर0एस0, घर में बने पेय पदार्थ जैसे- लस्सी, चावल का पानी, नीबूं पानी, छाछ आदि का उपयोग करें, जिससे शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके।
9. हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट कैम्प के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सरदर्द, उबकाई, पसीना आना, बेहोशी आदि को पहचानना।
10. यदि बेहोशी या बीमारी अनुभव करते है तो तुरन्त चिकित्सकीय सलाह लें।
11. अपने घर को ठण्डा रखें। पर्दे, दरवाजे आदि का प्रयोग करें तथा रात व शाम के समय कमरों व घर को ठण्डा करने के लिये इन्हें खोल दें।
12. पंखे, गीले कपडे का प्रयोग करें तथा बार-बार स्नान करें।
13. कार्यस्थल पर ठंडे पीने का पानी रखें/उपलब्ध करायें।
14. कर्मियों को सीधे सूर्य की रोशनी से बचने हेतु सावधान करें।
15. श्रमसाध्य कार्यों को ठंडे समय में करने/कराने का प्रयास करें।
16. घर से बाहर होने की स्थिति में आराम करने की समयावधि तथा आवृत्ति को बढायें।
17. गर्भवती महिला कर्मियों तथा रोग्रगस्त कर्मियों पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिये।

उन्होंने बताया कि हीट वेव/लू में क्या न करें:-

1-जानवरों एवं बच्चों को कभी भी बंद/खडी गाडियों में अकेला न छोडें।
2-दोपहर 12 से 03 बजे के मध्य सूर्य की रोशनी में जाने से बचें सूर्य के ताप से बचने के लिये जहां तक सम्भव हो, घर के निचली मंजिल पर रहें।
3-गहरे रंग के भारी तथा तंग कपडे न पहनें।
4-जब बाहर का तापमान अधिक हो, तब श्रमसाध्य कार्य न करें।
5-अधिक प्रोटीन तथा बासी एवं संक्रमित खाद्य व पेय पदार्थ का सेवन न करें।

सौजन्य से सूचना विभाग गौतम बुद्ध नगर।

खेत / खलिहान में आग की घटनाओं से बचाव के उपाय के सम्बन्ध में एडवाइजरी की गयी जारी

गौतम बुद्ध नगर 18 अप्रैल, 2024 जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में एवं अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार के मार्गदर्शन में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर द्वारा जनपद के खेत / खलिहान में आग की घटनाओं से बचाव के उपाय के सम्बन्ध कृषकों को एडवाइजरी के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।

जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम बुद्ध नगर ओमकार चतुर्वेदी ने बताया कि वर्तमान ग्रीष्म काल में खेत खलिहान में लगने वाली आग की घटनाओं को न्यून करने के उद्देश्य से आम जनमानस विशेष सावधानियों का पालन करें। उन्होंने बताया कि कृषकों को अग्निकांड जैसी आपदाओं में जनहानि, पशुहानि एवं फसल क्षति आदि का सामना न करना पड़े इसके लिए विशेष सावधानियां का पालन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने फसल हानि के संबंध में बताया कि खेतों में लगे हुए ट्रांसफार्मर से निकलने वाली चिंगारी के कारण खेतों में आग लगने की घटनाएं प्रकाश में आती रहती है। खेतों में आग लगने की संभावना न हो, इसके लिए कृषक ट्रांसफार्मर के नीचे के खेत को न्यूनतम 15७15 वर्ग फीट के अनुपात में खाली छोड़ दें, जिससे यदि चिंगारी निकलती है तो चिंगारी से लगी आग उसके सपूर्ण खेत की फसल को प्रभावित न करें। इसी प्रकार कृषक खेतों के पास लगे हुए खंभों के ढीले एवं जर्जर तारों के आसपास फसल को न रखें एवं खेतों के पास लगे हुए खंभों के ढीले तथा जर्जर तारों को स्थानीय विद्युत उपकेन्द्र के अभियंता को सूचना देकर बदलवाने का कार्य करें। फसलों की कटाई के दौरान ऐसे स्थलों पर धूम्रपान एवं बीड़ी, सिगरेट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रखें। फसलों की कटाई के दौरान ऐसे स्थलों पर अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग एवं रखरखाव पर विशेष ध्यान रखा जाए।

उन्होंने कृषकों/जनमानस में जागरूकता लाये जाने हेतु एवं अग्निकांड से बचाव के लिए "क्या करें क्या ना करें" संबंध में बताया कि कृषक अपनी-अपनी कटी हुई फसलों के गट्ठर को एक साथ एक ही स्थान पर न रखकर अलग-अलग गट्ठर बनाकर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर रखे, जिससे संभावित आग लगने पर संपूर्ण फसल की क्षति न हो तथा इसी प्रकार अन्य लोगों को भी समझाने का प्रयास करें कि वह अपने घरों में मिट्टी के चुल्हे पर खाना बनाने के पश्चात आग पर पानी डालकर पूर्ण रूप से बुझाया सुनिश्चित करें।

उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी तरह की आग लगने पर तत्काल अग्निशमन विभाग को 112 नंबर पर सूचना देते हुए प्रभावित क्षेत्र की सही लोकेशन अग्निशमन विभाग को देने का प्रयास करें एवं जिला आपदा/आपातकालिन कन्ट्रोल सेन्टर के इस दूरभाष नम्बर 0120-2978230, 0120-2978231, 0120-2978232, 0120-2978233 पर भी तत्काल सूचित करें, जिससे की ससमय में सहायता पहुंचाई जा सकें।

इण्डिया डायरेक्ट न्यूज गौतमबुद्धनगर/गाजियाबाद

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा खेत/खलिहान में आग की घटनाओं से बचाव के उपाय के सम्बन्ध में एडवाइजरी की गयी जारी

इण्डिया डायरेक्ट न्यूज

गौतमबुद्धनगरः जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में एवं अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार के मार्गदर्शन में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर द्वारा जनपद के खेत / खलिहान में आग की घटनाओं से बचाव के उपाय के सम्बन्ध कृषकों को एडवाइजरी के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।

जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम बुद्ध नगर ओमकार चतुर्वेदी ने बताया कि वर्तमान ग्रीष्म काल में खेत खलिहान में लगने वाली आग की घटनाओं को न्यून करने के उद्देश्य से आम जनमानस विशेष सावधानियों का पालन करें। उन्होंने बताया कि कृषकों को अग्निकांड जैसी आपदाओं में जनहानि, पशुहानि एवं फसल क्षति आदि का सामना न करना पड़े इसके लिए विशेष सावधानियां का पालन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने फसल हानि के संबंध में बताया कि खेतों में लगे हुए ट्रांसफार्मर से निकलने वाली चिंगारी के कारण खेतों में आग लगने की घटनाएं प्रकाश में आती रहती है। खेतों में आग लगने की संभावना न हो, इसके लिए कृषक ट्रांसफार्मर के नीचे के खेत को न्यूनतम 15७15 वर्ग फीट के अनुपात में खाली छोड़ दे, जिससे यदि चिंगारी निकलती है तो चिंगारी से लगी आग उसके सपूर्ण खेत की फसल को प्रभावित न करें। इसी प्रकार कृषक खेतों के पास लगे हुए खंभों के ढीले एवं जर्जर तारों के आसपास फसल को न रखें एवं खेतों के पास लगे हुए खंभों के ढीले तथा जर्जर तारों को स्थानीय विद्युत उपकेन्द्र के अभियंता को सूचना देकर बदलवाने का कार्य करें। फसलों की कटाई के दौरान ऐसे स्थलों पर धूम्रपान एवं बीड़ी, सिगरेट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रखें। फसलों की कटाई के दौरान ऐसे स्थलों पर अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग एवं रखरखाव पर विशेष ध्यान रखा जाए।

उन्होंने कृषकों/जनमानस में जागरूकता लाये जाने हेतु एवं अग्निकांड से बचाव के लिए "क्या करें क्या ना करें" संबंध में बताया कि कृषक अपनी-अपनी कटी हुई फसलों के गट्ठर को एक साथ एक ही स्थान पर न रखकर अलग-अलग गट्ठर बनाकर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर रखे, जिससे संभावित आग लगने पर संपूर्ण फसल की क्षति न हो तथा इसी प्रकार अन्य लोगों को भी समझाने का प्रयास करें कि वह अपने घरों में मिट्टी के चुल्हे पर खाना बनाने के पश्चात आग पर पानी डालकर पूर्ण रूप से बुझाया सुनिश्चित करें।

उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी तरह की आग लगने पर तत्काल अग्निशमन विभाग को 112 नंबर पर सूचना देते हुए प्रभावित क्षेत्र की सही लोकेशन अग्निशमन विभाग को देने का प्रयास करें एवं जिला आपदा/आपातकालिन कन्ट्रोल सेन्टर के इस दूरभाष नम्बर 0120-2978230, 0120-2978231, 0120-2978232, 0120-2978233 पर भी तत्काल सूचित करें, जिससे की ससमय में सहायता पहुंचाई जा सकें।

जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में हीट वेब से बचाव के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक संपन्न

इण्डिया डायरेक्ट न्यूज

*गौतमबुद्धनगर जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जनपद के जन सामान्य को हीट वेब से बचाने के उद्देश्य से आज कलेक्ट्रेट के सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी द्वारा सभी विभागों के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने विभागों की

कार्य योजना बनाकर से ससमय पूर्ण कर लिया जाये, जिससे जनपद में संभावित हीट वेब/लू की तैयारी विभागवार शत प्रतिशत पूर्ण हो सके और हीट वेब आपदा से आम जनमानस को बचाया जा सके।

अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व अतुल कुमार द्वारा निर्देशित किया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दी गई पैंपलेट, जिसमें हीट वेब में क्या करें क्या न करें एवं हीट वेब के प्रभाव से कैसे बचा जा सके संबंधित जागरूकता कार्यक्रम कराकर अपने-अपने विभाग एवं क्षेत्र अंतर्गत सभी जनमानस को जागरूक करें और समय-समय पर व्यापक प्रचार प्रसार द्वारा हीट वेब में क्या करें क्या ना करें, हीट वेब के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को बताया जाए। आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, अपर पुलिस आयुक्त ट्रैफिक, अग्निशमन अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट, वन विभाग, सिंचाई विभाग, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, जिला आपदा विशेषज्ञ ओमकार चतुर्वेदी व सी0आर0ए0 विभाग कुलदीप खन्ना एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Rahat UP @rahat_up

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट के सभागार में स्कूल सुरक्षा नीति, हीटवेव कार्य योजना एवं कार्यवाही आख्या, आईडीआरएन पोर्टल पर सभी संसाधन को सूचीबद्ध किए जाने के संबंध में समीक्षा बैठक सम्पन्न की गई। जिसमे निर्देशित किया गया की प्रत्येक स्कूल का सुरक्षा ऑडिट एवं स्कूल आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। @noidapolice @dmgbnagar

21:34 · 15 May 24 · **394** Views

Focus on labourers as Noida implements heat action plan

City Swelters At 47.4°C, IMD Says Thundershowers Today

Shafaque.Alam
@timesgroup.com

Noida: As Delhi-NCR reels under a brutal heat wave, UP govt has activated an action plan in the district to improve extreme heat warning systems and emergency response planning, with a focus on low-income groups and labourers working outdoors in the extreme hot and dry conditions.

Most areas in the city have been suffering scorching heatwaves and severe heatwaves over the last week. Friday was the sixth consecutive day of heatwave—45 degrees Celsius and above — as Noida's maximum temperature was recorded at 47.4 degrees. The city has recorded extremely high temperatures since May 28, when mercury touched 47.3 degrees. It soared to 48.1 degrees on May 29 and remained above 47 degrees on the next two days.

In neighbouring Ghaziabad, the maximum temperature breached 45 degrees on May 28, but has since hovered between 44 degrees and 45 degrees. On Friday, the daytime temperature was 44 degrees.

Safdarjung, Delhi's base station, recorded the year's highest and its second highest temperature ever on Wednesday, at 46.8 degrees Celsius. Earlier this week, the automatic weather station at Mungeshpur had recorded 52.9 degrees Celsius, which IMD said could have been a sensor's error. The previous day, the same area had recorded 49.9 degrees Celsius. Experts have attributed the unrelenting heat in some outer Delhi areas to open areas and hot winds from Rajasthan.

Noida ADM (finance and revenue) Atul Kumar, said a heatwave action plan was implemented in the district and he was appointed the nodal officer. "Under the plan, we identified vulnerable points such as railway stations, bus stands, schools and colleges, hospitals, slum areas, labour chowk, etc. Tehsildars and other administrative officials have been directed to visit these areas in Sadar, Jewar and Dadri tehsils to take necessary measures, such as providing shelters and drinking water," he said.

While there have been no heat-related casualties or injuries, the health department has been sensitised and asked to be prepared for more patients, ADM said.

UP's heatwave action plan puts focus on heat-related ailments that are usually higher among low-income communities, especially people exposed to the sun or engaged in labour-intensive work.

The long-term strategy is to be implemented in three phases — the first between February and March, the pre-heat season, when the focus will be on developing early warning systems, creating communication plans for public alerts, and engaging healthcare professionals, voluntary groups and caregivers. During this period, the emphasis will be on training and capacity building.

The second phase, spanning between April and June, is the core period of the plan when the administration must send weather alerts, monitor the situation and ensure interdepartmental coordination for better power, water supply and other critical facilities like hospitals, among other things. Public awareness campaigns on preventing and managing heat illnesses are also to be conducted. The plan also makes provision for a Rs 4 lakh ex gratia relief to the next kin of heatwave victims and varying amounts for different levels of injury.

The third phase between July and October — the post-heat season — focuses on evaluating and updating the action plan. This phase is essential to assess whether the plan was effective. Continuous updates and revisions are to be undertaken based on feedback from stakeholders.

Omkar Chaturvedi of the district disaster management committee told **TOI** that for exigencies, people could call the emergency control room on 0120-2978230."

The weather department, meanwhile, expects an incumbent western disturbance to show its impact from late Friday night or Saturday, with the possibility of some quick respite in the form of very light rain or thunderstorm. It has also issued a yellow alert for possible heatwaves in isolated areas. "Chances are the humidity will rise, which might increase the discomfort level during the daytime," said an official at IMD.

Vinay Gupta

Experts say hot winds from Rajasthan behind unrelenting heat

'12 से तीन बजे से मजदूरों को दिया जाए मध्यावकाश'

हीट वेव को लेकर औद्योगिक संस्थानों के लिए जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

नोएडा, 12 मई (नवोदय टाइम्स): नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार बढ़ रहे तापमान को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी के माध्यम से जिला प्रशासन हीट वेव से बचाने को लेकर मजदूरों को काम करने के दौरान सुविधा प्रदान करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि गर्मी में तापमान अधिक होने के चलते गर्म हवा के संपर्क में आने से लू लग सकती है। ऐसे में लू लगने पर चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें। विभिन्न औद्योगिक, व्यावसायिक, निर्माण प्रतिष्ठानों और ईट भट्टों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लू से बचाव के लिए जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।

सभी औद्योगिक, व्यावसायिक, निर्माण प्रतिष्ठानों और ईंट भट्टों में काम करने वाले मजदूरों को दोपहर 12 से 3 बजे तक मध्यावकाश दिया जाए। इसके अलावा बाहर काम करने वाले श्रमिकों को भी इस समय मध्यावकाश दिया जाए।

जिससे मजदूरों को लू से बचाया जा सके। मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन किया जाए। इन शिविरों के माध्यम से मजदूरों को लू से बचाव की जानकारी दी जाए।

लू और गर्मी से कैसे बचें?

- आम पन्ना- गर्मी में आपको लू और तेज धूप से शरीर को बचाए रखने के लिए आम का पन्ना जरूर पीना चाहिए. कच्चे आम का पन्ना स्वास्थ्य को कई फायदे पहुंचाता है. आम का पन्ना पीने से पाचन अच्छा रहता है और पेट को ठंडक मिलती है।
- छाछ और लस्सी- गर्मी से राहत पाने के लिए खाने में दही, छाछ या लस्सी जरूर शामिल करें। इससे शरीर ठंडा रहेगा और गर्मी से राहत मिलेगी।
- बेल का शर्बत- गर्मियों में खासतौर से आपको बेल का शर्बत पीना चाहिए। इससे शरीर ठंडा रहता है और पाचनतंत्र एकदम अच्छी तरह काम करता है।
- कच्चा प्याज- गर्मी में कच्चा प्याज जरूर खाएं. प्याज गर्मी में पेट को हेल्दी रखता है खाने के साथ प्याज को सलाद के रूप में सेवन करें।
- नींबू पानी- गर्मी आते ही शरीर में पानी की कमी होने लगती है ऐसे में आपको रोजाना नींबू पानी जरूर पीना चाहिए. इससे शरीर में पानी की कमी पूरी होती है और नींबू से विटामिन सी मिलती है।

नवोदय टाइम्स Mon, 13 May 2024
https://epaper.navodayatimes.in/c/75061459

हिन्दुस्तान

जिला अस्पताल में छह और जिले के छह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चार-चार बेड पर रोगी भर्ती होंगे

हीट स्ट्रोक वाले मरीजों के लिए बेड आरक्षित

सुविधा

नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए तीस बेड आरक्षित किए गए हैं। जिला अस्पताल में छह और अलग अलग छह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चार-चार बेड आरक्षित रहेंगे। ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों का इलाज किया जा सके।

जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) पर भर्ती होने वाले इन मरीजों को एयरकंडीशनर या एयर कूलर की सुविधा मिलेगी। जिला अस्पताल में पहले से ही सेंट्रली एसी है। वहीं सीएचसी में इस तरह की सुविधा नहीं है। लिहाजा यहां एयर कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा मरीजों को ओआरएस, पानी की बोतल सहित कई अन्य सुविधाएं मिलेगी। इन मरीजों को पहले आपातकालीन विभाग में भर्ती कर पहले सभी जरूरी जांच के बाद ही हीट स्ट्रोक वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। हीट स्ट्रोक की स्थिति नहीं होने पर सामान्य वार्ड में ही इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. अमित कुमार ने बताया कि हीट स्ट्रोक के मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए यह व्यवस्था की गई है। ताकि मरीज का सही इलाज हो सके। अभी हीट स्ट्रोक के मरीज नहीं हैं। इससे बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। खासकर धूप में काम करने वाले लोग, दोपहिया वाहनों पर चलने वाले लोगों को विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है।

टोल फ्री नंबर पर कॉल करें

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने दो टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जिसपर कॉल कर गर्मी से होने वाली बीमारियों के इलाज सहित अन्य जानकारियां ले सकते हैं। भारत सरकार, प्रदेश सरकार ने 18001805145 और 104 नंबर जारी किए हैं। आपातस्थिति में इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। वहीं अस्पताल में इलाज के लिए 108 नंबर पर कॉल कर एंबुलेंस की सुविधा निशुल्क ली जा सकती है।

इन स्थितियों में नजदीकी अस्पताल जाएं

- गर्म, लाल और सूखी त्वचा, 103 डिग्री फॉरेनहाइट बुखार होने पर, मचली या उल्टी आने पर, बहुत तेज सिर दर्द होने पर, घबराहट, चक्कर आना आदि, सांस फूलना या दिल की धड़कन तेज होने पर, मांसपेशियों में कमजोरी या ऐंठन।

इन स्थितियों पर ये सावधानी बरतें

- तुरंत पानी का सेवन करें, किसी छायादार या ठंडी जगह पर आराम करें, संभव हो तो ठंडे पानी से नहाएं। दोपहिया वाहन चलाते समय शरीर का ज्यादातर हिस्सा ढका हो, बाहर निकलने से पहले चश्मा पहनें, धूप से बचाव के लिए छाता या हैट का उपयोग करें।

इन पहलुओं पर भी ध्यान दें

- 12 बजे दोपहर से लेकर चार बजे शाम तक धूप में बाहर निकलने से बचें, शिकंजी, नारियल पानी, पानी आदि पौष्टिक तरल का सेवन करें।

Scanned with OKEN Scanner

बढ़ती गर्मी के चलते जिलाधिकारी ने जारी की एडवाइजरी

राष्ट्रीय पहल संवाददाता

नोएडा। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बढ़ते तापमान के चलते लू और गर्म हवाओं से सुरक्षित रहने के लिए सभी से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 48 घंटों के दौरान उष्ण लहर से तीव्र उष्ण लहर के उच्च तापमान में ज्यादा देर रहने या गर्म हवा के सम्पर्क में आने से लू लग सकती है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत अग्नि जैसी आपदाओं को रोकने के लिए जिले के सभी अस्पताल, मॉल्स, विद्यालयों आदि में अग्नि सुरक्षा उपकरण सहित अग्निशमन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लखनऊ द्वारा जिले में आगामी 27 मई से 48 घंटे के दौरान कुछ जगहों पर उष्णलहर से तीव्र उष्ण लहर चलने की संभावना व्यक्त की गई है। हीट वेव रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अतुल कुमार के मार्गदर्शन में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर द्वारा हीट वेव/लू से बचाव के लिए क्या करें, क्या न करें के संबंध में जनहित में एडवाइजरी जारी की गई है। हीट वेव/लू के दौरान क्या करें-

1. प्रचार माध्यमों पर हीट वेव/लू की चेतावनी पर ध्यान दें।
2. अधिक से अधिक पानी पीयें, यदि प्यास न लगी हो तब भी।
3. हल्के रंग के पसीना शोषित करने वाले सूती वस्त्र पहने।
4. घर से बाहर निकलते समय धूप के चश्मे, छाता, टोपी व चप्पल का प्रयोग करें।
5. अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो सिर, चेहरा, हाथ, पैरों को गीले कपडे से ढककर रखें तथा छाते का प्रयोग करें।
6. लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लिटाकर सूती गीले कपडे से पोंछे अथवा नहलायें तथा चिकित्सक से सम्पर्क करें-
7. यात्रा करते समय पीने का पानी साथ रखें।
8. ओ0आर0एस0, घर में बने पेय पदार्थ जैसे-लस्सी, चावल का पानी, नीबूं पानी, छाछ आदि का उपयोग करें, जिससे शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके।
9. हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट कैम्प के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सरदर्द, उबकाई, पसीना आना, बेहोशी आदि को पहचानना।
10. यदि बेहोशी या बीमारी अनुभव करते है तो तुरन्त चिकित्सकीय सलाह लें।
11. अपने घर को ठण्डा रखें। पर्दे, दरवाजे आदि का प्रयोग करें तथा रात व शाम के समय कमरों व घर को ठण्डा करने के लिये इन्हें खोल दें।
12. पंखे, गीले कपडे का प्रयोग करें तथा बार-बार स्नान करें।
13. कार्यस्थल पर ठंडे पीने का पानी रखें/उपलब्ध करायें।
14. कर्मियों को सीधे सूर्य की रोशनी से बचने हेतु सावधान करें।
15. श्रमसाध्य कार्यों को ठंडे समय में करने/कराने का प्रयास करें।
16. घर से बाहर होने की स्थिति में आराम करने की समयावधि तथा आवृत्ति को बढ़ायें।
17. गर्भवती महिला कर्मियों तथा रोगग्रस्त कर्मियों पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिये।

हीट वेव/लू में क्या न करें:-

1-जानवरों एवं बच्चों को कभी भी बंद/खडी गाडियों में अकेला न छोडें।
2-दोपहर 12 से 03 बजे के मध्य सूर्य की रोशनी में जाने से बचें।सूर्य के ताप से बचने के लिये जहां तक सम्भव हो, घर के निचली मंजिल पर रहें।
3-गहरे रंग के भारी तथा तंग कपडे न पहनें।
4-जब बाहर का तापमान अधिक हो, तब श्रमसाध्य कार्य न करें।
5-अधिक प्रोटीन तथा बासी एवं संक्रमित खाद्य और पेय पदार्थ का सेवन न करें।

नोएडा-एनसीआर में हीट वेव का जबरदस्त असर, ओपीडी पहुंचने वाले मरीजों में इजाफा

नोएडा। दिल्ली-एनसीआर में हीटवेव का जबरदस्त असर देखा जा रहा है। आईएमडी ने अपनी वेबसाइट पर आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 27 मई से लेकर 31 मई तक हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। ठीक उसी के मुताबिक 27 मई को गर्मी ने पारे का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 46 डिग्री को भी पार कर दिया। मंगलवार को भी आईएमडी के मुताबिक पारा 46 डिग्री के पार जा सकता है। रात में भी न्यूनतम तापमान 30 से 31 डिग्री के आसपास बना रहता है जो किसी सामान्य दिन की तरह गर्म होता है। नोएडा में गर्मी बढ़ने और लू चलने से लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी है। सुबह नौ बजे ही तापमान 38 डिग्री तक पहुंच गया। आईएमडी के मुताबिक, मंगलवार को तेज गर्मी पड़ेगी। अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आईएमडी ने कहा कि 31 मई तक हीट वेव रहेगा। इसके बाद दो से तीन डिग्री तक तापमान में कमी आएगी। ऐसे में लोग संभल कर रहें। तेज गर्मी से बचने के लिए अपने को हाइड्रेट रखें। हीट वेव के चलते अस्पताल में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ओपीडी में पहुंचने वाले मरीजों की बात करें तो यह संख्या दिन में लगभग 2000 के आसपास पहुंच गई है। मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला अस्पताल में भी एक अलग से वार्ड बनाकर उसमें 30 बेड को रिजर्व किया गया है। हीट वेव से पीड़ित जो मरीज वहां पहुंच रहे हैं उनका इलाज एक्सपर्ट कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक हीट वेव से लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें थकावट (हीट एग्जॉशन) और हीट स्ट्रोक भी लंबे समय तक अधिक तापमान में रहने की वजह से हो सकता है। थकावट के चलते बहुत ज्यादा पसीना आना और कमजोरी महसूस होना आम बात है। हीट स्ट्रोक के कारण कंफ्यूजन, मूर्छा आना और ऑर्गन डैमेज तक की शिकायत होती है। इसलिए जब भी हीट वेव बढ़े, अपनी सेहत का अधिक ध्यान रखें। इसके लिए जरूरी है कि शरीर में पानी की कमी न होने दें। ठंडे स्थान पर ज्यादा समय बिताएं और लंबे समय तक अधिक गर्मी में न रहें। इनका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

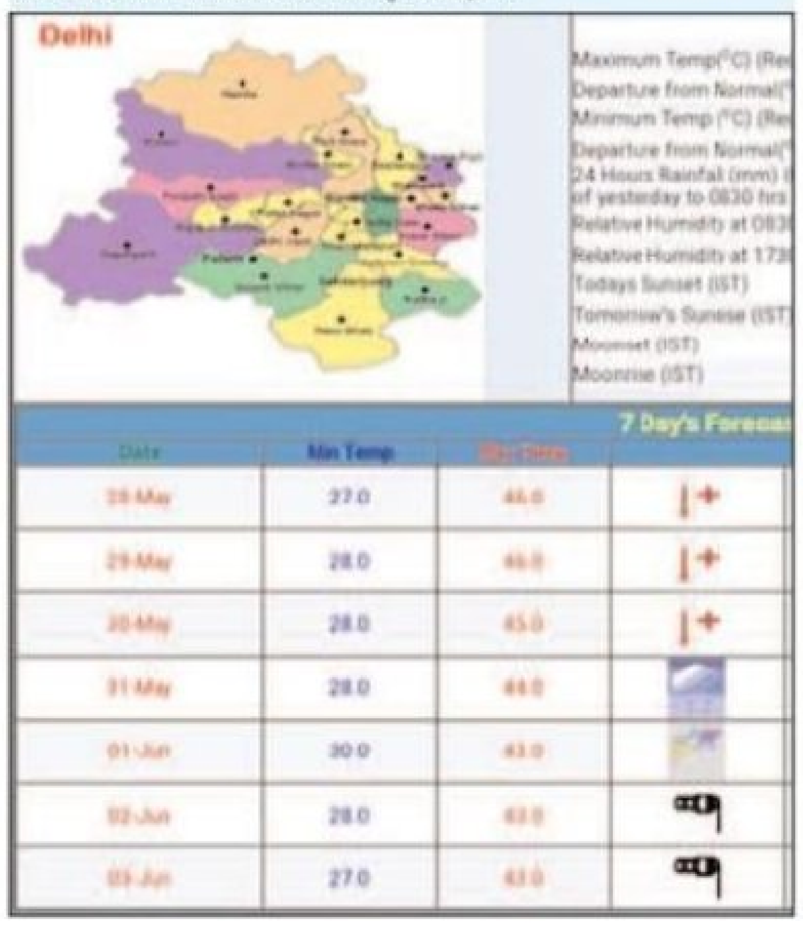

इण्डिया डायरेक्ट न्यूज **गौतमबुद्धनगर/गाजियाबाद**

जिलाधिकारी ने बढ़ते तापमान के चलते लू और गर्म हवाओं से जनपद वासियों को सुरक्षित रखने हेतु सावधानी बरतने की, की अपील

जनपद गौतम बुद्ध नगर में आगामी 27 मई से 48 घंटों के दौरान उष्ण लहर से तीव्र उष्ण लहर चलने की संभावना

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर द्वारा हीट वेव/लू से बचाव के लिए ह्यह्यक्या करें, क्या न करें के संबंध में जनहित में एडवाइजरी की गयी जारी

इण्डिया डायरेक्ट न्यूज

गौतमबुद्धनगर 28 मई जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा जनपद में बढ़ते तापमान के चलते लू और गर्म हवाओं से सुरक्षित रहने के लिए जनपद वासियों से सावधानी बरतने की अपील की गयी है। उन्होंने बताया कि आगामी 27 मई से 48 घंटों के दौरान उष्ण लहर से तीव्र उष्ण लहर के उच्च तापमान में ज्यादा देर रहने या गर्म हवा के सम्पर्क में आने से लू लग सकती है, इसीलिए ऐसे में अपना विशेष ध्यान रखे तथा लू लगने पर तुरन्त चिकित्सय सहायता अवश्य लें। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत अग्नि जैसी आपदाओं को रोकने के लिए जनपद के सभी अस्पताल, मॉल्स, विद्यालयों आदि में अग्नि सुरक्षा उपकरण सहित अग्निशमन प्रणालियां उपलब्ध एवं क्रियाशील के सम्बन्ध में निर्देश दिये।

उन्होंने बताया कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लखनऊ द्वारा जनपद में आगामी 27 मई से 48 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर उष्णलहर से तीव्र उष्ण लहर चलने की संभावना व्यक्त की गई है एवं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्मेंट लखनऊ द्वारा हीट वेव रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार के मार्गदर्शन में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गौतम्बुद्धनगर द्वारा हीट वेव/लू से बचाव के लिए "क्या करें, क्या न करें" के संबंध में जनहित में एडवाइजरी जारी की गई है। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम बुद्ध नगर ओमकार चतुर्वेदी द्वारा बताया गया कि जनपद में वर्तमान में 45 डिग्री से भी ज्यादा तापमान हो रही है जिसमें हमें हीट वेव/लू में "क्या करें क्या न करें" के संबंध में अवगत होना चाहिए अवगत होना चाहिए। उन्होंने बताया कि हीट वेव/लू के दौरान क्या करें-

1. प्रचार माध्यमों पर हीट वेव/लू की चेतावनी पर ध्यान दें।
2. अधिक से अधिक पानी पीयें, यदि प्यास न लगी हो तब भी।
3. हल्के रंग के पसीना शोषित करने वाले सूती वस्त्र पहने।
4. घर से बाहर निकलते समय धूप के चश्मे, छाता, टोपी व चप्पल का प्रयोग करें।
5. अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो सिर, चेहरा, हाथ, पैरों को गीले कपडे से ढककर रखें तथा छाते का प्रयोग करें।
6. लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लिटाकर सूती गीले कपडे से पोंछे अथवा नहलायें तथा चिकित्सक से सम्पर्क करें-
7. यात्रा करते समय पीने का पानी साथ रखें।
8. ओ0आर0एस0, घर में बने पेय पदार्थ जैसे-लस्सी, चावल का पानी, नीबूं पानी, छाछ आदि का उपयोग करें, जिससे शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके।
9. हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट कैम्प के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सरदर्द, उबकाई, पसीना आना, बेहोशी आदि को पहचानना।
10. यदि बेहोशी या बीमारी अनुभव करते है तो तुरन्त चिकित्सकीय सलाह लें।
11. अपने घर को ठण्डा रखें। पर्दे, दरवाजे आदि का प्रयोग करें तथा रात व शाम के समय कमरों व घर को ठण्डा करने के लिये इन्हें खोल दें।
12. पंखे, गीले कपडे का प्रयोग करें तथा बार-बार स्नान करें।
13. कार्यस्थल पर ठंडे पीने का पानी रखें/उपलब्ध करायें।
14. कर्मियों को सीधे सूर्य की रोशनी से बचने हेतु सावधान करें।
15. श्रमसाध्य कार्यों को ठंडे समय में करने/कराने का प्रयास करें।
16. घर से बाहर होने की स्थिति में आराम करने की समयावधि तथा आवृत्ति को बढायें।
17. गर्भवती महिला कर्मियों तथा रोग्रगस्त कर्मियों पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिये।

उन्होंने बताया कि हीट वेव/लू में क्या न करें:-

1-जानवरों एवं बच्चों को कभी भी बंद/खडी गाडियों में अकेला न छोडें।
2-दोपहर 12 से 03 बजे के मध्य सूर्य की रोशनी में जाने से बचें।सूर्य के ताप से बचने के लिये जहां तक सम्भव हो, घर के निचली मंजिल पर रहें।
3-गहरे रंग के भारी तथा तंग कपडे न पहनें।
4-जब बाहर का तापमान अधिक हो, तब श्रमसाध्य कार्य न करें।
5-अधिक प्रोटीन तथा बासी एवं संक्रमित खाद्य व पेय पदार्थ का सेवन न करें।

जनपद गौतम बुद्ध नगर में आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान उष्ण लहर से तीव्र उष्ण लहर चलने की संभावना

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर द्वारा हीट वेव/लू से बचाव के लिए "क्या करें, क्या न करें" के संबंध में जनहित में एडवाइजरी की गयी जारी

इण्डिया डायरेक्ट न्यूज

गौतमबुद्धनगर 18 मई इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लखनऊ द्वारा जनपद में आगामी 24 से 48 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर उष्णलहर से तीव्र उष्ण लहर चलने की संभावना व्यक्त की गई है एवं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्मेंट लखनऊ द्वारा हीट वेव रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निदेशों के क्रम में एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार के मार्गदर्शन में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर द्वारा हीट वेव/लू से बचाव के लिए "क्या करें, क्या न करें" के संबंध में जनहित में एडवाइजरी जारी की गई है। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम बुद्ध नगर ओमकार चतुर्वेदी ने हीट वेव/लू में "क्या करें क्या न करें" के संबंध में विस्तार बताया कि हीट वेव/लू के दौरान क्या करें-

1. प्रचार माध्यमों पर हीट वेव/लू की चेतावनी पर ध्यान दें।
2. अधिक से अधिक पानी पीयें, यदि प्यास न लगी हो तब भी।
3. हल्के रंग के पसीना शोषित करने वाले सूती वस्त्र पहने।
4. घर से बाहर निकलते समय धूप के चश्मे, छाता, टोपी व चप्पल का प्रयोग करें।
5. अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो सिर, चेहरा, हाथ, पैरों को गीले कपडे से ढककर रखें तथा छाते का प्रयोग करें।
6. लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लिटाकर सूती गीले कपडे से पोंछे अथवा नहलायें तथा चिकित्सक से सम्पर्क करें-
7. यात्रा करते समय पीने का पानी साथ रखें।
8. ओ0आर0एस0, घर में बने पेय पदार्थ जैसे-लस्सी, चावल का पानी, नीबूं पानी, छाछ आदि का उपयोग करें, जिससे शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके।
9. हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट कैम्प के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सरदर्द, उबकाई, पसीना आना, बेहोशी आदि को पहचानना।
10. यदि बेहोशी या बीमारी अनुभव करते है तो तुरन्त चिकित्सकीय सलाह लें।
11. अपने घर को ठण्डा रखें। पर्दे, दरवाजे आदि का प्रयोग करें तथा रात व शाम के समय कमरों व घर को ठण्डा करने के लिये इन्हें खोल दें।
12. पंखे, गीले कपडे का प्रयोग करें तथा बार-बार स्नान करें।
13. कार्यस्थल पर ठंडे पीने का पानी रखें/उपलब्ध करायें।
14. कर्मियों को सीधे सूर्य की रोशनी से बचने हेतु सावधान करें।
15. श्रमसाध्य कार्यों को ठंडे समय में करने/कराने का प्रयास करें।
16. घर से बाहर होने की स्थिति में आराम करने की समयावधि तथा आवृत्ति को बढायें।
17. गर्भवती महिला कर्मियों तथा रोग्रगस्त कर्मियों पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिये।

उन्होंने बताया कि हीट वेव/लू में क्या न करें:-

1-जानवरों एवं बच्चों को कभी भी बंद/खडी गाडियों में अकेला न छोडें।
2-दोपहर 12 से 03 बजे के मध्य सूर्य की रोशनी में जाने से बचें।सूर्य के ताप से बचने के लिये जहां तक सम्भव हो, घर के निचली मंजिल पर रहें।
3-गहरे रंग के भारी तथा तंग कपडे न पहनें।
4-जब बाहर का तापमान अधिक हो, तब श्रमसाध्य कार्य न करें।
5-अधिक प्रोटीन तथा बासी एवं संक्रमित खाद्य व पेय पदार्थ का सेवन न करें।

उष्ण लहर से तीव्र उष्ण लहर चलने की संभावना

दबंग दुनिया ♦ गाजियाबाद

नोएडा। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा जनपद में बढ़ते तापमान के चलते लू और गर्म हवाओं से सुरक्षित रहने के लिए जनपद वासियों से सावधानी बरतने की अपील की गयी है। उन्होंने बताया कि 48 घंटों के दौरान उष्ण लहर से तीव्र उष्ण लहर के उच्च तापमान में ज्यादा देर रहने या गर्म हवा के सम्पर्क में आने से लू लग सकती है, इसीलिए ऐसे में अपना विशेष ध्यान रखे तथा लू लगने पर तुरन्त चिकित्सय सहायता अवश्य लें। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत अग्नि जैसी आपदाओं को रोकने के लिए जनपद के सभी अस्पताल, मॉल्स, विद्यालयों आदि में अग्नि सुरक्षा उपकरण सहित अग्निशमन प्रणालियां उपलब्ध एवं क्रियाशील के सम्बन्ध में निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लखनऊ द्वारा जनपद में 48 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर उष्णलहर से तीव्र उष्ण लहर चलने की संभावना व्यक्त की गई है एवं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्मेंट लखनऊ द्वारा हीट वेव रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार के मार्गदर्शन में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर द्वारा हीट वेव-लू से बचाव के लिए ₹क्या करें, क्या न करें के संबंध में जनहित में एडवाइजरी जारी की गई है। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम बुद्ध नगर ओमकार चतुर्वेदी द्वारा बताया गया कि जनपद में वर्तमान में 45 डिग्री से भी ज्यादा तापमान हो रही है जिसमें हमें हीट वेव-लू में क्या करें क्या न करें के संबंध में अवगत होना चाहिए अवगत होना चाहिए।

हीट वेव-लू के दौरान क्या करें

प्रचार माध्यमों पर हीट वेव लू की चेतावनी पर ध्यान दें, अधिक से अधिक पानी पीयें, यदि प्यास न लगी हो तब भी, हल्के रंग के पसीना शोषित करने वाले सूती वस्त्र पहने, घर से बाहर निकलते समय धूप के चश्मे, छाता, टोपी व चप्पल का प्रयोग करें। अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो सिर, चेहरा, हाथ, पैरों को गीले कपडे से ढककर रखें तथा छाते का प्रयोग करें, लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लिटाकर सूती गीले कपडे से पोंछे अथवा नहलायें तथा चिकित्सक से सम्पर्क करें। यात्रा करते समय पीने का पानी साथ रखें। ओआरएस, घर में बने पेय पदार्थ जैसे-लस्सी, चावल का पानी, नीबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करें, जिससे शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके। हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट कैम्प के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सरदर्द, उबकाई, पसीना आना, बेहोशी आदि को पहचानना। यदि बेहोशी या बीमारी अनुभव करते है तो तुरन्त चिकित्सकीय सलाह लें, अपने घर को ठण्डा रखें। पर्दे, दरवाजे आदि का प्रयोग करें तथा रात व शाम के समय कमरों व घर को ठण्डा करने के लिये इन्हें खोल दें, पंखे, गीले कपडे का प्रयोग करें तथा बार-बार स्नान करें, कार्यस्थल पर ठंडे पीने का पानी उपलब्ध कराए, कर्मियों को सीधे सूर्य की रोशनी से बचने हेतु सावधान करें, श्रमसाध्य कार्यों को ठंडे समय में करने व कराने का प्रयास करें, घर से बाहर होने की स्थिति में आराम करने की समयावधि तथा आवृत्ति को बढ़ाएं। गर्भवती महिला कर्मियों तथा रोग्रगस्त कर्मियों पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में स्कूल सुरक्षा नीति, हीटवेव कार्य योजना एवं कार्यवाही आख्या, आईडीआरएन पोर्टल पर सभी संसाधन को सूचीबद्ध किए जाने के संबंध में समीक्षा बैठक सम्पन्न

नोएडा:-जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार की अध्यक्षता में वित्त विस कलेक्ट्रेट सभागार में स्कूल सुरक्षा नीति, आपदाओं से निपटने के लिए संसाधन को आईडीआरएन पोर्टल पर सूचीबद्ध किए जाने एवं कार्य योजना एवं कार्यवाही की रिपोर्ट के संबंध में बैठक संपन्न हुयी। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा प्रत्येक स्कूल का सुरक्षा ऑडिट एवं स्कूल आपदा प्रबंधन योजना तैयार किये जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में आने-जाने वाला रास्ता छोटा न हो, जिससे आपातकालीन की स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ी या एंबुलेंस को कोई अवरोध उत्पन्न हो सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि बच्चे संवेदनशील होते हैं एवं संवेदनशील के साथ-साथ अपने परिवारों को बहुत कुछ अच्छी जानकारियां भी देते हैं इसलिए बच्चों को आपदा की स्थिति में क्या करें व क्या ना करें का प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को यह निर्देशित किया गया कि जनपद के सभी स्कूलों में अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये आपतकालीन समय में शिक्षकों को अग्निशमन यंत्र का उपयोग करने की ट्रेनिंग दी जाये एवं सभी स्कूलों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम अनिवार्य रूप से संचालित हो सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करते हुये कहा कि स्कूलों में सीपीआर ट्रेनिंग भी दी जाए। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि नेशनल बिल्डिंग मानकों के अनुरूप विद्यालय न होने पर सम्बन्धित विद्यालय पर कार्यवाही की सुनिश्चित की जाये। उन्होंने समस्त उप जिला अधिकारी को निर्देशित करते हुये कहा कि तहसीलों में आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की जाए। आयोजित बैठक के उपरान्त अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा जनपद के सभी संसाधन जो आपदा के समय में उपयोग किये जा सके को आईडीआरएन पोर्टल (इंडियन डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क) में सूचीबद्ध किए जाने हेतु सभी विभागों को निर्देशित किया गया। उन्होंने एक सप्ताह अंदर के सम्बन्धित अधिकारियों अपने-अपने विभाग के सभी संसाधनों को पोर्टल पर फीडिंग करने के निर्देश दिये एवं उसकी हार्ड कॉपी जिला प्रशासन को ससमय उपलब्ध भी कराया जाये। उन्होंने हीटवेव कार्य योजना एवं विभाग द्वारा हीट वेव से बचने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। सभी अधिकारियों द्वारा शत प्रतिशत अपने दायित्व निर्वहन पूर्ण निष्ठ के साथ किया जाना चाहिए। आयोजित बैठक में उप जिला अधिकारी विवेकानन्द मिश्र, डिप्टी कलेक्टर चारूल यादव, अनुज नेहरा जिला विद्यालय निरीक्षक डा0 धर्मवीर सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार, जिला आपदा विशेषज्ञ ओमकार चतुर्वेदी, पुलिस तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जिन्दगी में मनुष्य के आँखे बन्द करने से कभी मुसीबत नही टला करती है, बल्कि उस मुसीबत का सामना करने से मनुष्य की आँखे खुला करती हैं।

नोएडा/ग्रेटर नोएडा/हापुड़

बढ़ते तापमान के चलते सावधानी बरतने की अपील

जनपद में भीषण गर्मी व उष्ण लहर के चलने से सभी का हाल बे हाल

भास्कर ब्यूरो

नोएडा।भीषण गर्मी से गौतम बुद्ध नगर में सभी का हाल बे हाल है, वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा जनपद में बढ़ते तापमान के चलते लू और गर्म हवाओं से सुरक्षित रहने के लिए जनपद वासियों से सावधानी बरतने की अपील की गयी है। उन्होंने बताया कि उष्ण लहर से तीव्र उष्ण लहर के उच्च तापमान में ज्यादा देर रहने या गर्म हवा के सम्पर्क में आने से लू लग सकती है, इसीलिए ऐसे में अपना विशेष ध्यान रखे तथा लू लगने पर तुरन्त चिकित्सय सहायता अवश्य लें। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत अग्नि जैसी आपदाओं को रोकने के लिए जनपद के सभी अस्पताल, मॉल्स, विद्यालयों आदि में अग्नि सुरक्षा उपकरण सहित अग्निशमन प्रणालियां उपलब्ध एवं क्रियाशील के सम्बन्ध में निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लखनऊ द्वारा जनपद में आगामी 27 मई से 48 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर उष्णलहर से तीव्र उष्ण लहर चलने की संभावना व्यक्त की गई है एवं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्मेंट लखनऊ द्वारा हीट वेव रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार के मार्गदर्शन में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर द्वारा हीट वेव/लू से बचाव के लिए क्या करें, क्या न करें के संबंध में जनहित में एडवाइजरी जारी की गई है। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम बुद्ध नगर ओमकार चतुर्वेदी द्वारा बताया गया कि जनपद में वर्तमान में 45 डिग्री से भी ज्यादा तापमान हो रही है जिसमें हमें हीट वेव/लू में क्या करें क्या न करें के संबंध में अवगत होना चाहिए अवगत होना चाहिए।

उन्होंने बताया कि हीट वेव/लू के दौरान क्या करें-

1- प्रचार माध्यमों पर हीट वेव/लू की चेतावनी पर ध्यान दें।
2- अधिक से अधिक पानी पीयें, यदि प्यास न लगी हो तब भी।
3- हल्के रंग के पसीना शोषित करने वाले सूती वस्त्र पहने।
4- घर से बाहर निकलते समय धूप के चश्मे, छाता, टोपी व चप्पल का प्रयोग करें।
5- अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो सिर, चेहरा, हाथ, पैरों को गीले कपड़े से ढककर रखें तथा छाते का प्रयोग करें।
6- लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लिटाकर सूती गीले कपड़े से पोंछे अथवा नहलायें तथा चिकित्सक से सम्पर्क करें-
7- यात्रा करते समय पीने का पानी साथ रखें।
8- ओआरएस, घर में बने पेय पदार्थ जैसे-लस्सी, चावल का पानी, नीबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करें, जिससे शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके।
9- हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट कैम्प के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सरदर्द, उबकाई, पसीना आना, बेहोशी आदि को पहचानना।
10- यदि बेहोशी या बीमारी अनुभव करते है तो तुरन्त चिकित्सकीय सलाह लें।
11- अपने घर को ठण्डा रखें। पर्दे, दरवाजे आदि का प्रयोग करें तथा रात व शाम के समय कमरों व घर को ठण्डा करने के लिये इन्हें खोल दें।
12- पंखे, गीले कपड़े का प्रयोग करें तथा बार-बार स्नान करें।
13- कार्यस्थल पर ठंडे पीने का पानी रखें/उपलब्ध करायें।
14- कर्मियों को सीधे सूर्य की रोशनी से बचने हेतु सावधान करें।
15- श्रमसाध्य कार्यों को ठंडे समय में करने/कराने का प्रयास करें।
16- घर से बाहर होने की स्थिति में आराम करने की समयावधि तथा आवृत्ति को बढ़ायें।
17- गर्भवती महिला कर्मियों तथा रोगग्रस्त कर्मियों पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिये।

हीट वेव/लू में क्या न करें:-

1-जानवरों एवं बच्चों को कभी भी बंद/खडी गाडियों में अकेला न छोडें।
2-दोपहर 12 से 03 बजे के मध्य सूर्य की रोशनी में जाने से बचें।सूर्य के ताप से बचने के लिये जहां तक सम्भव हो, घर के निचली मंजिल पर रहें।
3-गहरे रंग के भारी तथा तंग कपड़े न पहनें।
4-जब बाहर का तापमान अधिक हो, तब श्रमसाध्य कार्य न करें।
5-अधिक प्रोटीन तथा बासी एवं संक्रमित खाद्य व पेय पदार्थ का सेवन न करें।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
(जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)

उत्तर प्रदेश-ईमेल-ddmagbn@gmail.com

पत्रांक– 158 / जि0आ0प्र0प्रा0 / 2023–24 दिनांक 15 [illegible]

आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ द्वारा दिनांक 01.03.2024 को प्रदेश स्त[illegible] Wave) से बचाव एवं राहत कार्य सुनिश्चित किए जाने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कि[illegible] से बचाव हेतु उपायो पर विस्तृत चर्चा की गयी। उक्त कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे[illegible] के कारण हीट वेव से होने वाले नुकसान व बचाव/राहत कार्य को साथ-साथ मॉनिटर किये जाने[illegible] विभागाध्यक्षों को नोडल अधिकारी नामित करते हुये विभागवार अपनी-अपनी Standered Opera[illegible] (SOP) तैयार करते हुये हीट वेव से बचाव की कार्य योजना तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जाने[illegible] उक्त के दृष्टिगत जनपद गौतमबुद्धनगर में लू-प्रकोप (Heat Wave) से बचाव एवं राहत कार्य ह[illegible] अपेक्षित है:–

1–स्वास्थ्य विभाग, गौतमबुद्धनगर।

जनपद गौतमबुद्धनगर मे कुल 42 सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। सम्भावित सूखे की स्थि[illegible] बीमारियो तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के नियन्त्रण हेतु आवश्यक रहना तथा संक्रामक रोगों की रोक[illegible] क्षेत्रों में चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी [illegible] कि राहत सामग्री के साथ-साथ दवाओं का भी वितरण होता रहे।

मुख्य चिकित्साधिकारी सूखा क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा यह भी सुनिश्चित करे [illegible] प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपस्थित रहकर इलाज सुनिश्चित करें तथा समस्त प्राथमिक/सा[illegible] पर 24 घंटे चिकित्सकों तथा पर्याप्त मात्रा में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

- जन जागरूकता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना एवं ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं को अलर्ट [illegible] सम्बन्ध में।
- सन स्ट्रोक से बचाव के लिए जन सूचना जारी करने के साथ-साथ आपातकालीन स्थिति के [illegible] को तैनात करना।
- 108/102 व अन्य आपातकालीन सेवाएं सक्रिय करना।
- अस्पतालों एवं हेल्थ सेंटर्स में पावर सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाये।
- सभी अस्पतालो/पी.एच.सी./सी.एच.सी. में ओ.आर.एस. और तरल पदार्थ के पर्याप्त स्टॉक की व्यव[illegible]
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला अस्पताल पर आवश्यक दवाईयां उ[illegible] केंद्रों को हीट-वेव से किसी भी प्रकार की घटना होने पर 24X7 क्रियाशील रहने हेतु निर्देशित [illegible]

(कार्यवाही-मुख्य चिकित्सा

2–परिवहन विभाग, गौतमबुद्धनगर।

1. बस स्टेंडो और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित परिवहन के लिए स्वास्थ्य [illegible] पीने के पानी तथा यात्रियो के लिए लू से बचाव की उचित व्यवस्था करना।

- बस स्टैण्डो पर यात्रियों के लिए छाया एवं पेयजल की व्यवस्था करना।

(कार्यवाही –सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज, गौतमबुद्धनगर

3–पशुपालन विभाग, गौतमबुद्धनगर।

- मवेशियों की सुरक्षा के लिए हीट वेव एक्शन प्लान की तैयारी, कार्यान्वयन और समीक्षा करना।
- गर्मी की स्थितियों के दौरान पशु प्रबंधन पर पशुधन के किसानो के बीच जागरूकता लाने के लिए ग्राम स्तर पर क्षेत्रीय कर्मचारियों और नीपालों को सक्रिय करे।
- सार्वजनिक स्थानो मे लू से बचाव के लिए पशु प्रबंधन पर उपायों को पोस्टर के माध्यम से प्रकाशित कराना।
- मवेशियों के लिए पीने के पानी की उचित व्यवस्था करना।
- पशुओं को सुरक्षित रखने हेतु टीकाकरण का कार्य नियमित रूप से संचालित किया जाये साथ ही पशु केन्द्रों पर आवश्यक दवाओं का भण्डारण सुनिश्चित हो तथा पशु चिकित्सको के माध्यम से ग्रामीणों को पशुओं की सुरक्षा एवं लू से बचाव हेतु जागरूक किया जाये।

(कार्यवाही–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर)

4–सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, गौतमबुद्धनगर।

- गर्मी से संबंधित बीमारियों पर जन जागरूकता, सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप) व दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से हीट वेव/लू से बचाव का व्यापक प्रचार प्रसार कराना।
- हीट वेव/लू से बचाव हेतु क्या करे, क्या ना करे की एडवाईजरी का व्यापक प्रचार प्रसार करना।

(कार्यवाही– जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर)

5–मनरेगा विभाग, गौतमबुद्धनगर।

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों के लिए समय (12:00 से 03:00 बजे) हीट वेव/लू से बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्था करना।
- कार्य करने के स्थान पर पेयजल और छाया की व्यवस्था कराना।
- सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था किए जाये।
- श्रमिकों/कामगारों के कार्य घंटों में परिवर्तन किए जाये।

(कार्यवाही उपायुक्त मनरेगा/उपश्रमायुक्त, गौतमबुद्धनगर)

6–वन विभाग, गौतमबुद्धनगर।

- पब्लिक लेक/सार्वजनिक स्थानों में उचित वनीकरण करना।
- जंगल क्षेत्र में आग से बचाव के लिए उचित व्यवस्था करना एवं निरंतर निगरानी बनाये रखना।
- वन क्षेत्र में जानवरों एवं पक्षियों के लिए तालाब एवं पानी के स्रोतों का उचित प्रबंधन करना।
- सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था किए जाये।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर)

7–अग्निशमन विभाग, गौतमबुद्धनगर।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को निर्देशित किया जाता है कि वे अग्निशमन से सम्बन्धित समस्त उपकरण को क्रियाशील दशा में रखेंगे और नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फायर हाइड्रेन्टों की जांच करके तथा उसे क्रियाशील स्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं तहसीलों में स्थापित अग्निशमन केन्द्रों में समस्त तैयारियों को पूर्ण रखा जाये, जिससे किसी अग्नि काण्ड की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल आग बुझाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक तहसीलों के नजदीक के थानों में आग बुझाने हेतु वाहन उपलब्ध रखा जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र में हुई अग्निकाण्ड को शीघ्र कण्ट्रोल किया जा सके।

- लू के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग द्वारा मुख्यालय एवं तहसीलों में स्थापित उप केन्द्रों को आवश्यक संसाधनों सहित 24×7 क्रियाशील रखा जाये तथा अग्नि से बचाव हेतु नागरिकों को जागरूक करें।
- लू के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग की जनपद एवं तहसील व समस्त उपकेन्द्रो पर स्थापित अद्यतन संसाधनों की सूची पूर्ण विवरण सहित तथा संबंधित जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी का विवरण आपदा कार्यालय को उपलब्ध कराना।
- आम जनमानस द्वारा दी जाने वाली सूचना हेतु समस्त उपकेन्द्रों पर स्थापित टोल फ्री नम्बर का प्रचार प्रसार एवं अवगत कराना।

(कार्यवाही–मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर)

8–शिक्षा विभाग, गौतमबुद्धनगर।

- छात्र/छात्राओं को जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे मौसम (गर्मी) में बदलाव के कारण हीट वेव से होने वाले नुकसान व बचाव के बारे में बताया जाए।
- छात्र/छात्राओं हेतु पेयजल तथा विद्यालयों में पावर सप्लाई व पंखे आदि की व्यवस्था की व्यवस्था कराना।

(कार्यवाही – जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर)

9–नगर निकाय, गौतमबुद्धनगर।

- मंदिरों/लोक भवन/मॉल में कूलिंग सेंटर संचालित किए जाये।
- नगरीय क्षेत्रो के सब्जी मण्डी/चौराहो व सार्वजनिक स्थलो पर शीतल जल की समुचित व्यवस्था तथा नगर के दूर दराज क्षेत्रो में पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- आवश्यकतानुसार विभिन्न नगरीय क्षेत्रो/स्थलों पर (जहां छाया हो/लोगो का ठहराव होता हो) आदि का चिन्हांकन करते हुये विभिन्न स्थलों पर प्याऊ (गिलास सहित) आदि की व्यवस्था कराना।

(कार्यवाही नगरपालिका/नगर पंचायत, गौतमबुद्धनगर)

10–पंचायती राज विभाग गौतमबुद्धनगर।

- ग्रामीण क्षेत्रो के सार्वजनिक स्थलो, चौराहो व आवश्यकतानुसार संबंधित ग्रामो में पानी की टंकी/टैंकरो आदि की व्यवस्था करना सुनिश्चित करना।

आवश्यकतानुसार विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रो/स्थलों पर (जहां छाया हो/लोगो का ठहराव होता हो) आदि का चिन्हांकन करते हुये विभिन्न स्थलों पर प्याऊ (गिलास सहित) आदि की व्यवस्था कराना।

(कार्यवाही –जिला पंचायतराज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर)

11–विद्युत विभाग,गौतमबुद्धनगर।

- शहरो व ग्रामीण क्षेत्रों में टूटे हुए बिजली के खंभों आदि को दुरुस्त करना व क्षेत्रों में समय-समय पर रोस्टर के आधार पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- जनमानस द्वारा दी गई सूचना के आधार पर यदि किसी कारण से बिजली आपूर्ति ठप हो जाए उन क्षेत्रों में वैकल्पिक बिजली आपूर्ति व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही –अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड गौतमबुद्धनगर)

12–पुलिस पैट्रोलिंग एवं सुरक्षा व्यवस्था।

सूखे की स्थिति उत्पन्न होने पर नहर कटिंग की काफी समस्याए उत्पन्न होने लगती है जिससे शान्ति-व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल एवं होमगार्ड का प्रबन्ध सुनिश्चित करेंगे तथा नहर कटिंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर से कठोर दण्डात्मक कार्यवाई सुनिश्चित करने तथा सूखे से प्रभावित व्यक्तियों की जान-माल की सुरक्षा के सम्बन्ध में समस्त थानाध्यक्षों को अपने स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करेंगे। सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी इस व्यवस्था के लिए अपने-अपने क्षेत्र के प्रभारी होंगे और पुलिस कर्मियों एवं होमगार्डस की उपलब्धता सूखे से प्रभावित ग्रामों में किया जाने का कष्ट करेंगे।

(कार्यवाही - पुलिस विभाग, गौतमबुद्धनगर)

13- पेयजल की व्यवस्था।

सूखा की समस्या उत्पन्न होने पर सबसे अधिक मनुष्यों/पशुओं मे पेयजल की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि सूखा की स्थिति उत्पन्न होने पर तालाब/पोखर व कुआँ आदि सूख जाते है तथा जो थोड़ा बहुत पानी शेष रहता है उसके दूषित होने की आशंका बहुत अधिक होती है। दूषित पानी से संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका भी बढ़ जाती है। पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

पशुओं के पेयजल की व्यवस्था हेतु सूखे तालाबों/पोखरों को नहरों/राजकीय नलकूपों से भरवाए जाने हेतु उप जिलाधिकारियों अपनी अपनी तहसीलों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

ग्रीष्म ऋतु में जिन ग्रामो मे पेयजल की आपूर्ति टैंकर से सुनिश्चित की जाएगी, उन ग्रामों में आपूर्ति हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए:–

1– जिन-जिन ग्रामो में पेयजल की गम्भीर समस्या होगी, उन ग्रामों को तहसील स्तर पर चिन्हित कर लिया जाएगा तथा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार ऐसे समस्त ग्रामों का स्वयं निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त ग्राम में टैंकर से पेयजल की आपूर्ति आवश्यक है अथवा नहीं ?

2– जिन ग्रामो में टैंकर से पेयजल की आपूर्ति की जानी है, उस ग्राम सभा से उप जिलाधिकारी/तहसीलदार स्वयं ट्रैक्टर/टैंकर निःशुल्क प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और यदि ग्राम सभा किन्ही कारणों से ट्रैक्टर उपलब्ध कराने मे असमर्थ है तो आस-पास की ग्राम सभाओं/स्वयं सेवी संस्थाओं/संगठनों से ट्रैक्टर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और यदि फिर भी ट्रैक्टर उपलब्ध न हो पाए तो ट्रैक्टर किराए पर लेकर प्रभावित ग्राम में प्राथमिकता के आधार पर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

3– जिन ग्रामों में टैंकर से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी, उसकी सूचना प्रतिदिन वायरलेस/दूरभाष, व्हाटसेप, ई-मेल एवं विशेष पत्र वाहक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी/अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध कराएंगे।

(कार्यवाही –उपजिलाधिकारी सदर/दादरी/जेवर– गौतमबुद्धनगर)

13–अग्निकाण्ड से बचाव

ग्रीष्म ऋतु प्रारम्भ हो चुकी है और इस मौसम मे प्रायः तेज हवाओ/आँधी के कारण अग्निकाण्ड, पराली जलाये जाने के कारण तथा विद्युत शार्ट सर्किट एवं हाई टेंशन तार टूटने से फसलों, खेत-खलिहानो तथा मकानों में आगजनी/अग्निकाण्ड की घटनाएं देखने को मिलती है, जिससे फसल, गृह क्षति तथा पशुहानि एवं जनहानि की सम्भावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति मे यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि विद्युत तारो को सही करा दिया जाये तथा कही भी विद्युत तार ढीले एवं जर्जर तार न हो और किसानों को यह पराली जलाये जाने से रोका जाये, जिससे खेत-खलिहान तथा फसलों में अग्निकाण्ड से बचाया जा सके। इस सम्बन्ध में समस्त उप जिलाधिकारियों, गौतमबुद्धनगर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी-अपनी तहसीलो में विद्युत विभाग के अधिकारियों, अग्निशमन विभाग अधिकारियों तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियो, कृषि विभाग तथा मण्डी समिति के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए अग्निकाण्ड को रोकने तथा बचाव के लिए समस्त उपाय करना सुनिश्चित करेंगे। अग्निकाण्ड से सम्बन्धित हुई क्षति को नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को प्रेषित करते हुए पात्र लाभार्थियो को क्षति की धनराशि का भुगतान कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(कार्यवाही –उपजिलाधिकारी सदर/दादरी/जेवर– गौतमबुद्धनगर)

अतः उपरोक्तानुसार आप को निर्देशित किया जाता है कि समस्त संबंधित विभागाध्यक्ष विभागवार अपनी-अपनी **Standered Operating Procedures (SOP)** तैयार करते हुये हीट वेव से बचाव की कार्य-योजना तैयार कर हार्ड कॉपी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग और साफट कॉपी **ddmagbn@gmail.com** मे एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

14/3/24
(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

[illegible]0प्रा0/हीटवेव/2023–24 दिनांक 15 मार्च, 2024

[illegible] को सूचनार्थ प्रेषित।

[illegible]युक्त महोदय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
[illegible] अधिकारी, महोदय उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण लखनऊ।
[illegible]दय, गौतमबुद्धनगर।
[illegible]धिकारी, महोदय नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेसवे।

[illegible]र्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[illegible]री, गौतमबुद्धनगर।
[illegible] सामाजिक वानिकी प्रभाग, गौतमबुद्धनगर।
[illegible] (वि0/रा0), गौतमबुद्धनगर।
[illegible] (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।
[illegible]री, गौतमबुद्धनगर।
[illegible]एडा, गौतमबुद्धनगर।
[illegible] तहसीलदार, दादरी/सदर/जेवर, गौतमबुद्धनगर।
[illegible]ता, जल निगम, गौतमबुद्धनगर।
[illegible]धिकारी, गौतमबुद्धनगर।
[illegible]धिकारी, गौतमबुद्धनगर।
[illegible]रीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
[illegible] अधिकारी/उप श्रमायुक्त, गौतमबुद्धनगर।
[illegible], विद्युत वितरण खंड, गौतमबुद्धनगर।
[illegible]कारी, गौतमबुद्धनगर।
[illegible]यक, गौतमबुद्धनगर।
[illegible]ज्ञ, गौतमबुद्धनगर।
[illegible] अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
[illegible]धिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत गौतमबुद्धनगर

14/3/24
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

उत्तरप्रदेश-ईमेल-ddmagbn@gmail.com

पत्रांक– 1578/जि0आ0प्र0प्रा0/2023–24 दिनांक–16 मार्च, 2024

01– [illegible] गौतमबुद्धनगर।
02– मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
03– अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय), गौतमबुद्धनगर।
04– समस्त [illegible]/उपजिलाधिकारी–दादरी/सदर/जेवर।
05– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय लोक निर्माण विभाग, [illegible] गौतमबुद्धनगर।
06– मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर।
07– जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर।
08– जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
09– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी गौतमबुद्धनगर।
10– अधिशासी अभियन्ता जल निगम, गौतमबुद्धनगर।
11– समस्त तहसीलदार गौतमबुद्धनगर।
12– समस्त खंड विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
13– अधिशासी अधिकारी नगर पालिका दादरी।
14– समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गौतमबुद्धनगर।
15– अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण [illegible] गौतमबुद्धनगर।
16– अधिशासी अभियन्ता [illegible] निर्माण खण्ड गाजियाबाद।
17– सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज गौतमबुद्धनगर।
18– जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
19– जिला आपदा विशेषज्ञ, गौतमबुद्धनगर।

विषय– हीटवेव/लू से बचाव से सम्बन्धित तैयारी हेतु समस्त सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक कराने के सम्बन्ध में।

कृपया अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण लखनऊ के पत्र सं0–1034/हीटवेव/2023–24 दिनांक–18.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा हीटवेव कार्ययोजना–2023 को [illegible] करते हुए आवश्यक संशोधन के उपरान्त हीटवेव कार्ययोजना–2024 प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित विभाग [illegible] को जिलाधिकारी महोदय के स्तर से दिनांक–14.03.2024 को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। हीटवेव/लू/सूखा से बचाव से सम्बन्धित तैयारी हेतु दिनांक–20.03.2024 को दोपहर 01:30 बजे कलैक्ट्रेट सभागार गौतमबुद्धनगर में बैठक आहूत की गयी है,

अतः हीटवेव/लू/सूखा से बचाव से सम्बन्धित तैयारी हेतु दिनांक–20.03.2024 को दोपहर 01:30 बजे कलैक्ट्रेट सभागार गौतमबुद्धनगर में आहूत बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी (वि/रा)
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपि– 01– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02– पुलिस आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03– जिलाधिकारी महोदय, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी(वि/रा)
गौतमबुद्धनगर।

प्रेषक,

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रवन्धन प्राधिकरण,
लखनऊ।

पत्रांक: 167 /जि0आ0प्र0प्रा0/हीट–वेव/2024 दिनांक–02 अप्रैल 2024
2024

विषयः– हीट–वेव से सुरक्षा एवं बचाव हेतु तैयार की गई योजनाओं/कृत कार्यवाहियों से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–1286/रा0आ0प्र0प्रा0/कृषि/2023–24 दिनांक 19 मार्च, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रवन्धन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में हीट–वेव के प्रति संवेदनशील 23 जनपदों के साथ हीट–वेव से सुरक्षा एवं बचाव हेतु तैयार की गई योजनाओं/कृत कार्यवाहियों की समीक्षा हेतु दिनांक 11 मार्च, 2024 को सम्पन्न प्रथम समीक्षा बैठक के सापेक्ष निर्गत कार्यवृत्त का संदर्भ प्रेषित किया गया है।

उपरोक्तनुसार कार्यवृत्त के प्रस्तर संख्या–04 के अन्तर्गत विन्दु संख्या–09 पर उल्लिखित निर्देश के अनुरूप अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रवन्धन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में हीट–वेव से सुरक्षा एवं बचाव हेतु तैयार की गई योजनाओं/कृत कार्यवाहियों की समीक्षा हेतु आगामी समीक्षा बैठक दिनांक 26 मार्च, 2024 को राष्ट्रीय आपदा प्रवन्धन प्राधिकरण परिसर, नई दिल्ली में आहूत की जानी हैजिसके सन्दर्भ में जनपद स्तर पर अपने–अपने जनपद से सम्बन्धित हीट–वेव से सुरक्षा एवं बचाव हेतु तैयार की गई योजनाओं/कृत कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना राष्ट्रीय आपदा प्रवन्धन प्राधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित किए जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 20 मार्च 2024 तक उ0प्र0 राज्य आपदा प्रवन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अतः उक्त के अनुपालन में उपरोक्तानुसार जनपद गौतमबुद्धनगर की हीट–वेव से सुरक्षा एवं बचाव की सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–यथोपरि।

(अतुल कुमार)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपिः संख्या एवंदिनांकउपरोक्तानुसार।
1– जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

उत्तरप्रदेश-ईमेल-ddmagbn@gmail.com

पत्रांक–168 / जि0आ0प्र0प्रा0 / 2023–24 दिनांक [illegible]

सेवा मे,

जिला सूचना अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर ।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर द्वारा जनहित मे निम्न [illegible]

क्या करे

1. प्रचार माध्यमों पर हीट वेव/लू की चेतावनी पर ध्यान दें।
2. अधिक से अधिक पानी पीयें, यदि प्यास न लगी हो तब भी।
3. हल्के रंग के पसीना शोषित करने वाले सूती वस्त्र पहने।
4. घर से बाहर निकलते समय धूप के चश्मे, छाता, टोपी व चप्पल का प्रयोग करें।
5. अगर आप खुले में कार्य करते है तो सिर, चेहरा, हाथ, पैरो को गीले कपड़े से ढककर रखें तथ[illegible]
6. लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लेटाकर सूती गीले कपड़े से पोंछे अथवा नहलाये तथा चिकि[illegible]
7. यात्रा करते समय पीने का पानी साथ रखें।
8. ओ0आर0एस0, घर में बने पेय पदार्थ जैसे–लस्सी, चावल का पानी, नीबू पानी, छाछ आदि का [illegible] पानी की कमी की भरपाई हो सके।
9. हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट क्रैम्प के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सरदर्द, उबकाई, पसी[illegible] पहचाने।
10. यदि बेहोशी या बीमारी अनुभव करते है तो तुरन्त चिकित्सकीय सलाह लें।
11. अपने घर को ठण्डा रखें। पर्दे, दरवाजे आदि का प्रयोग करें तथा रात व शाम के समय कमरों[illegible] लिए इन्हें खोल दें।
12. पंखे, गीले कपड़े का प्रयोग करें तथा बार-बार स्नान करें।
13. कार्यस्थल पर ठंडे पीने का पानी रखें/उपलब्ध करायें।
14. श्रमिकों को सीधे सूर्य की रोशनी से बचने हेतु सावधान करें।
15. श्रमसाध्य कार्यों को ठंडे समय में करने/कराने का प्रयास करें।
16. घर से बाहर होने की स्थिति में आराम करने की समयावधि तथा आवृत्ति को बढ़ायें।
17. गर्भवती महिला, श्रमिकों तथा रोगग्रस्त श्रमिकों पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिये।

क्या न करें:–

1–जानवरों एवं बच्चों को कभी भी बंद/खड़ी गाड़ियों में अकेला न छोडें।
2–दोपहर 12 से 03 बजे के मध्य सूर्य की रोशनी में जाने से बचें। सूर्य के ताप से बचने के लिये [illegible] निचली मंजिल पर रहें।
3–गहरे रंग के भारी तथा तंग कपड़े न पहने।
4–जब बाहर का तापमान अधिक हो, तब श्रमसाध्य कार्य न करे।
5–अधिक प्रोटीन तथा बासी एवं संक्रमित खाद्य व पेय पदार्थ का सेवन न करें।

(ओन[illegible]
जिला [illegible]
गौत[illegible]

प्रतिलिपि–
1–निदेशक (सूचना) महोदय, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ को सा[illegible]
2–अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) महोदय, गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

उत्तरप्रदेश-ईमेल-ddmagbn@gmail.com

पत्रांक– 184 / जि0आ0प्र0प्रा0 / 2023–24 दिनांक– 18 अप्रैल, 2024

सेवा मे,

जिला सूचना अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर ।

विषयः– जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर द्वारा खेत/खलिहान मे आग की घटनाओ से बचाव के सम्बन्ध में जनहित मे जारी सलाह के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि वर्तमान रबी काल में खेत खलिहान में लगने वाली आग की घटनाओ को न्यून करने के उद्देश्य से आम जनमानस को विशेष सावधानियो का पालन करने की निम्न प्रकार से सलाह दी जाती है जिससे उन्हें अग्निकांड जैसी आपदाओ से बचाने, सहुलाने एवं फसल क्षति आदि का सामना ना करना पड़े जैसे खेतो में लगे हुए ट्रांसफार्मर से निकलने वाली चिंगारी के कारण खेतों में आग लगने की घटनाएं प्रकाश में आती रहती है इसके दृष्टिगत किसानो द्वारा [illegible] किया जाये कि वह ट्रांसफार्मर के नीचे का खेत को न्यूनतम 15×15 वर्ग फीट के अनुपात में खाली छोड़ दें जिससे यदि चिंगारी निकलती है तो किनारे से लगी आग उसके संपूर्ण खेत की फसल को प्रभावित न करें। इसी प्रकार खेतों के पास लगे हुए खंभो के ढीले एवं जर्जर तारो के आसपास फसल को न रखें, खेतो के पास लगे हुए खंभो के ढीले एवं जर्जर तारो को स्थानीय विद्युत उप केन्द्र के अधिकारी को सूचना देकर ठीक कराने का कार्य करें। फसलो की कटाई के दौरान ऐसे स्थलो पर धूम्रपान (विशेष रूप खेतो मे कार्य कर रहे श्रमिकों व मजदूरों के बीड़ी व सिगरेट पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध रहे। फसलो की कटाई के दौरान ऐसे स्थलो पर अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थो के सम्पर्क एवं रख रखाव मे विशेष ध्यान रखा जाये,

कृषकों/जनमानस में जागरूकता लाये जाने हेतु अग्निकांड से बचाव हेतु क्या करें क्या ना करें, कृषकगण अपने-अपनी कटी हुई फसलो के गठ्ठर को एक साथ एक ही स्थान पर न रखकर अलग-अलग गठ्ठर बनाकर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर रखें, जिससे संभावित आग लगने पर संपूर्ण फसल की क्षति ना हो तथा इसी प्रकार अन्य लोगों को भी समझाने का प्रयास करें की वह अपने घरों मे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने के पश्चात आग पर पानी डालकर पूर्ण रूप से बुझाना सुनिश्चित करें। किसी भी तरह की आग लगने की तत्काल अग्निशमन विभाग को 112 नंबर पर सूचना देते हुए प्रभावित क्षेत्र की सही लोकेशन अग्निशमन विभाग को देने का प्रयास करें एवं जिला आपदा/आपातकालिन कन्ट्रोल सेन्टर के दूरभाष नम्बर 0120–2978230,31,32,33 पर भी तत्काल सूचित करें जिससे की समय से सहायता पहुंचाई जा सके।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अनुरोध किया जाता है कि जनमानस एवं कृषकों को जागरूक करने के उद्देश्य से संभावित अग्निकांड से बचाव हेतु क्या करें, क्या ना करें, के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार समस्त दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करें तथा प्रकाशन के उपरान्त समाचार पत्र की कटिंग की प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

(ओनकार चतुर्वेदी)
जिला आपदा विशेषज्ञ,
गौतमबुद्धनगर ।

प्रतिलिपि
1. परियोजना निदेशक (सूचना) महोदय, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) महोदय, गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(जिला आपदा विशेषज्ञ)
गौतमबुद्धनगर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
उत्तरप्रदेश–ईमेल–ddmagbn@gmail.com

पत्रांक– 183 / जि०आ०प्र०प्रा० / 2023–24 दिनांक– 16 अप्रैल, 2024

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

विषय– अग्नि कांड से बचाव हेतु जनमानस में जागरूकता एवं प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

आप अवगत है कि माह अप्रैल से माह जून तक गर्मी का अत्यधिक प्रकोप बढ़ने की सम्भावना बनी रहती है जिससे प्रायः घरों/होटलों/सरकारी व गैर सरकारी भवनों आदि में गैस सिलेण्डर व शार्ट सर्किट व विभिन्न कारणों से आग की घटनायें घटित होती है तथा ऐसी स्थिति में सूखा तथा लू हीट वेव की समस्या, खेतों में खरीफ की फसलों के नुकसान की सम्भावना होती है, जिससे बचाव हेतु आम–जनमानस में जन–जागरूकता अभियान चलाना तथा अग्नि से बचाव हेतु प्रशिक्षण (मॉक ड्रिल) दिया जाना आवश्यक है।

अतः उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गये पम्पलेट/जागरूकता पोस्टर में से 100 पम्पलेट/जागरूकता पोस्टर एवं लघु वीडियो डाक्यूमेंट्री का लिंक https://www.youtube.com/watch?v=AQs0lvQZxxA आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जा रही है कि जनपद के विभिन्न स्कूल, कॉलेज, मॉल/होटल एवं सरकारी विभागों/कार्यालयों में तथा सार्वजनिक स्थलों पर जन–जागरूकता अभियान चलाने एवं अग्नि से बचाव हेतु प्रशिक्षण (मॉक ड्रिल) कराना सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में फोटोग्राफ/वीडियो आदि बनवाकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कार्यालय और साफ्ट कापी श्री ओमकार चतुर्वेदी, जिला आपदा विशेषज्ञ, गौतमबुद्धनगर (8145563077) को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक– 100 पम्पलेट/जागरूकता पोस्टर चस्पा करवाने हेतु

(अतुल कुमार)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपि–
1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
उत्तरप्रदेश–ईमेल–ddmagbn@gmail.com

पत्रांक– 180 / जि०आ०प्र०प्रा० / 2023–24 दिनांक– 16 अप्रैल, 2024

जिला मनोरंजन कर अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

विषय– हीट वेव से बचाव हेतु उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण लखनऊ के द्वारा जारी प्रचार प्रसार सामग्री के चस्पा एवं प्रचार–प्रसार कराये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के द्वारा 01.03.2024 को हीट वेव से बचें और बचाएं' पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हीट वेव से बचाव हेतु उपायों पर चर्चा किया गया। 'लू से बचें और बचाएं' कार्यशाला में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध जागरूकता पोस्टर एवं लघु वीडियो डाक्यूमेंट्री जिसका लिंक है–https://www.youtube.com/watch?v=AQs0lvQZxxA

अतः उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गये पम्पलेट/पोस्टर में से 200 पम्पलेट/जागरूकता पोस्टर एवं लघु वीडियो डाक्यूमेंट्री का लिंक आपको इस आशय से प्रेषित कि जा रही है कि जनपद के सिनेमाघरों/मॉल/शॉपिंग सेन्टर में पम्पलेट/जागरूकता पोस्टर चस्पा करवाना और 'लू से बचें और बचाएं' पर आधारित लघु वीडियो डाक्यूमेंट्री चलवाने तथा अपने स्तर से लोगों को जागरूक करने हेतु पम्पलेट/जागरूकता पोस्टर आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराकर कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में फोटोग्राफ/वीडियो आदि बनवाकर श्री ओमकार चतुर्वेदी, जिला आपदा विशेषज्ञ, गौतमबुद्धनगर (8145563077) को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–200 पम्पलेट/जागरूकता पोस्टर

(अतुल कुमार)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपि– 1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
उत्तरप्रदेश–ईमेल–ddmagbn@gmail.com

पत्रांक– 179 / जि०आ०प्र०प्रा० / 2023–24 दिनांक– 16 अप्रैल, 2024

1. जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
2. जिला पंचायत अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. खण्ड विकास अधिकारी (दादरी, बिसरख, जेवर)

विषय: हीट वेव से बचाव हेतु उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण लखनऊ के द्वारा जारी प्रचार प्रसार सामग्री के चस्पा एवं प्रचार–प्रसार कराये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के द्वारा 01.03.2024 को हीट वेव (लू) से 'लू से बचें और बचाएं' पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हीट वेव से बचाव हेतु उपायों पर चर्चा किया गया।

अतः उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गये पम्पलेट/जागरूकता पोस्टर में से 200–200 पम्पलेट/जागरूकता पोस्टर एवं लघु वीडियो डाक्यूमेंट्री का लिंक https://www.youtube.com/watch?v=AQs0lvQZxxA आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जा रही है कि पम्पलेट/जागरूकता पोस्टर चस्पा करवाकर और डाक्यूमेंट्री के लिंक को जनपद के सभी ग्राम पंचायत/प्राथमिक विद्यालय/विद्यालय/इन्टर कालेज में प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में फोटोग्राफ/वीडियो आदि बनवाकर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, कार्यालय और साफ्ट कापी श्री ओमकार चतुर्वेदी, जिला आपदा विशेषज्ञ, गौतमबुद्धनगर (8145563077) को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: 200×7 पम्पलेट/जागरूकता पोस्टर चस्पा करवाने हेतु

(अतुल कुमार)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपि– 1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
उत्तरप्रदेश–ईमेल–ddmagbn@gmail.com

पत्रांक– 170 / जि०आ०प्र०प्रा० / 2024–25 दिनांक– 16 अप्रैल, 2024

उपजिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
(सदर, दादरी, जेवर)
गौतमबुद्धनगर।

विषयः–लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान सम्भावित भीषण गर्मी/लू के दृष्टिगत – 'क्या करें/क्या न करें' के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० के कार्यालय के पत्र सं० 357/सी०ई०ओ०–2–67/0–2007, दिनांक 22/03/24 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा आगामी गर्मी के मौसम में सामान्य से उच्च तापमान होने कि सम्भावना के कारण लू का तेज और लम्बा दौर, खासकर मार्च और जून –2024 के बीच, रहने का पूर्वानुमान किया गया है। इस सन्दर्भ में सम्भावित भीषण गर्मी/लू के दृष्टिगत 'क्या करें/क्या न करें' के सुझाव को संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गये पम्पलेट/जागरूकता पोस्टर में से सदर–350, दादरी 350, जेवर 350 पम्पलेट/जागरूकता पोस्टर इस निर्देश से प्रेषित कि जा रही है कि पम्पलेट/जागरूकता पोस्टर को अपने अपने तहसील के बूथों पर चस्पा करवाना सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में फोटोग्राफ/वीडियो आदि बनवाकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कार्यालय और साफ्ट कापी श्री ओमकार चतुर्वेदी, जिला आपदा विशेषज्ञ, गौतमबुद्धनगर (8145563077) को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना का कष्ट करें।

संलग्नक–1050 पम्पलेट/जागरूकता पोस्टर

(अतुल कुमार)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपि
1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
उत्तरप्रदेश–ईमेल–ddmagbn@gmail.com

पत्रांक 184 / जि०आ०प्र०प्रा० / 2023–24

सेवा में,
जिला सूचना अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

विषय:– जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर ... सम्बन्ध में जनहित में जारी उपाय के सम्बन्ध में ...

[illegible — text partly covered by the adjacent letter] ... 0120–2978230,31,32,33 ... तत्काल सूचित करें ...

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अनुरोध किया जा ... आप सम्भावित अग्निकांड से बचाव हेतु क्या करें, क्या ना करें ... प्रकाशन कराने का कष्ट करें तथा प्रकाशन के उपरान्त समाचार ...

प्रतिलिपि– 1. परियोजना निदेशक (सूचना) महोदय, उ०प्र० राज्य आ... 2. अपर जिलाधिकारी (वि०रा०) महोदय, गौतमबुद्धनगर ...

4902/STADM 19/4/24

अपर जिलाधिकारी

कार्यालय नगर पालिका परिषद दादरी, (गौतमबुद्धनगर)

संख्या: 197 / न०पा०प०दा० / 2024–25 दिनांक: 29/4/2024

सेवा में,
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
गौतमबुद्धनगर।

विषय:– गर्मी से बचाव और इसके कारण उत्पन्न होने वाले रोगों एवं कुप्रभावों के प्रबंधन एवं प्रभावी तैयारी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महोदय के कार्यालय के पत्रांक– 4075/एस०टी०–ए०डी०एम० दिनांक 10.04.2024 व निदेशालय के पत्र संख्या–1016/नौ 7–2024–32(ज)/22 नगर विकास अनुभाग -7 लखनऊ दिनांक 08.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ०प्र० में तापमान सामान्य से अधिक रहने की आशंकों के दृष्टिगत उष्ण मौसम से सम्बन्धित रोगों के विषय में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त आदेशों के क्रम में नगर पालिका परिषद, दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजना का विवरण निम्नवत् है :–

(1) वर्तमान में नगर पालिका परिषद, दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर की सीमान्तर्गत दादरी पुर्नगठन पेयजल योजना के अन्तर्गत 5 ओवर हैड टैंक एवं 15 नलकूप स्थापित करने का कार्य कार्यदायी संस्था जल निगम, नोएडा द्वारा किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में, जनता की मांग पर स्थान स्थान पर पानी के टैंकरों द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।
(2) पालिका सीमान्तर्गत स्थापित समस्त 312 हैण्डपम्प चालू अवस्था में है तथा खराब होने की स्थिति में उनके मरम्मत की त्वरित कार्यवाही की जाती है।
(3) लू एवं ग्रीष्म ऋतु से बचाव हेतु पालिका सीमान्तर्गत 03 प्याऊ लगवाये गये है, जो चालू अवस्था में, जिससे जन सामान्य को सुलभता से पेयजल प्राप्त हो सके।
(4) पशुओं के पेयजल हेतु नगर के समस्त तालाबों एवं पोखरों का सौन्दर्यकरण नगर पालिका परिषद, दादरी द्वारा कराया गया है, जिनमें पानी की समुचित व्यवस्था है।
(5) नगर पालिका परिषद, दादरी द्वारा नगर में एक शेल्टर होम का निर्माण कराया जा रहा है, जो निर्माणाधीन है।
(6) पालिका सीमान्तर्गत खाली पड़ी भूमि में ग्रीष्म ऋतु एवं लू से बचाव हेतु वृक्ष लगाये गये है।
(7) नगर पालिका परिषद, दादरी के कर्मचारियों को लू से बचाव एवं सरल राहत के लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे जनसामान्य को इस सम्बन्ध में जागरूक कर सकें।
(8) एन०जी०ओ० एवं पालिका कर्मचारियों के सहयोग से लू से बचाव के लिये जनता को जागरूक करने हेतु नगर में जगह–जगह कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
(09) पालिका सीमान्तर्गत लू (Heat Wave) से बचने के लिये पालिका द्वारा टैंकरों से प्रति दिन छिड़काव कराया जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
दादरी, (गौतमबुद्धनगर)

प्रतिलिपि :–
1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०– 1016/नौ–7–2024 32(ज)/22 नगर विकास अनुभाग 7 लखनऊ दिनांक 08.04.2024 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
दादरी, (गौतमबुद्धनगर)

O/C

CRA 4477/ST-ADM(HP) 3-5-24

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
गौतमबुद्धनगर
1-5-2024

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर
कार्यालय ज्ञाप

[illegible]

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
(जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)
उत्तरप्रदेश–ईमेल–ddmagbn@gmail.com

पत्रांक– 193 / जि०आ०प्र०प्रा० / 2024–25 दिनांक– 02 मई, 2024

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

विषय: जनपद के समस्त तहसील कार्यालयों में ओ०आर०एस० कॉर्नर की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001 के पत्र सं०–357/सी०ई०ओ०–2–67/2–2007 दिनांक 22.03.2024 एवं प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग–11, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र ई०–File No.1–11389/31/2021–11–दिनांक 22.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें हीट वेव/लू प्रकोप से बचाव एवं राहत कार्य सुनिश्चित किए जाने तथा हीटवेव से बचाव हेतु विभिन्न उपाय के किए जाने के निर्देश दिए गये है। जैसे की आप अवगत ही है की जनपद में भारतीय मौसम विभाग द्वारा आगामी गर्मी के मौसम में सामान्य से उच्च तापमान होने की सम्भावना के कारण लू का तेज और लम्बा दौर, खासकर मार्च और जून–2024 के बीच, रहने का पूर्वानुमान किया गया है। ... [illegible] ... सभी तहसील कार्यालयों में ओ०आर०एस० कॉर्नर की स्थापना कि जाए जिससे ... ओ०आर०एस० का वितरण हो सके।

अतः उपरोक्तानुसार कृपया प्रत्येक तहसील में एक एक ओ०आर०एस० बॉक्स को तहसील कार्यालयों में ... उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही का फोटोग्राफ/वीडियो ... श्री ओमकार चतुर्वेदी, मो०नं०– 8145563077 एवं ddmagbn@gmail.com को उपलब्ध कराना का कष्ट करें।

(अतुल कुमार)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपि
01) अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02) जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03) उपजिलाधिकारी (सदर, दादरी, जेवर) को इस आशय से प्रेषित की कृपया विशेष वाहक के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से एक ओ०आर०एस० बॉक्स प्रति तहसील प्राप्त कर तहसील कार्यालय में ओ०आर०एस० कॉर्नर स्थापित करते हुए आगामी महीने में भीषण गर्मी के दृष्टिगत आगुन्तकों को निःशुल्क वितरण तथा उक्त कार्य की फोटोज जिला आपदा विशेषज्ञ को उनके दूरभाष नंबर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।

संख्या – 221 / जि०आ०प्र०प्रा० / 2024–25 दिनांक–27 मई, 2024

जिला मनोरंजन कर अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

विषय –ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत मॉल फायर को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत हॉस्पिटल फायर की घटनाओं को रोकने हेतु महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही किए जाने का निर्देश प्राप्त है, जिनका विवरण निम्नवत है:–

- Thorough Inspection:- अग्नि जैसी आपदाओं को रोकने के लिए सभी मॉल का व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट ऑब्लिक/ऑन–साइट निरीक्षण करायें तथा फायर अलार्म, फायर स्मोक डिटेक्टर, फायर एक्सटिंगुइशर, फायर हाइड्रेंट और फायर लिफ्ट सहित अग्निशमन प्रणालियां मौजूद एवं क्रियाशील हो।
- Electrical Load Audits:- सभी मॉल में अत्यधिक इलेक्ट्रिक लोड की समस्या से बचने व नियमित रूप से मॉल में इलेक्ट्रिक लोड ऑडिट अवश्य करायें। किसी भी विद्युत समस्या से बचने हेतु आवश्यक कदम उठायें।
- Fire NOC Compliance:- मॉल का नियामक आवश्यकताओं की सख्ति से पालन करना व अग्निशमन विभाग से फायर एन०ओ०सी० प्राप्त करना।

उक्त के अनुपालन में आपसे अपेक्षित है कि उल्लिखित बिंदुओं पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक: / जि०आ०प्र०प्रा० / 2024 / तद्दिनांकित
प्रतिलिपि :– अपर जिलाधिकारी, (वि०/रा०) गौतमबुद्धनगर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
2. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की संबंधित विभागों में फायर से होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत अपने स्तर से मानक व आवश्यक संसाधनों के गुणवत्ता की जांच कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. अधिक्षण अभियंता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, सेक्टर–16, नोएडा इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।

संख्या 220 / जि०आ०प्र०प्रा० / 2024–25 दिनांक–27 मई, 2024

जिला विद्यालय निरिक्षक,
गौतमबुद्धनगर।

विषय –ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत मॉल फायर को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत हॉस्पिटल फायर की घटनाओं को रोकने हेतु महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही किए जाने का निर्देश प्राप्त है, जिनका विवरण निम्नवत है:–

- Thorough Inspection:- अग्नि जैसी आपदाओं को रोकने के लिए सभी विद्यालयों का व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट ऑब्लिक/ऑन–साइट निरीक्षण करायें तथा फायर अलार्म, फायर स्मोक डिटेक्टर, फायर एक्सटिंगुइशर, फायर हाइड्रेंट और फायर लिफ्ट सहित अग्निशमन प्रणालियां मौजूद एवं क्रियाशील हो।
- Electrical Load Audits:- सभी विद्यालयों में अत्यधिक इलेक्ट्रिक लोड की समस्या से बचने व नियमित रूप से मॉल में इलेक्ट्रिक लोड ऑडिट अवश्य करायें। किसी भी विद्युत समस्या से बचने हेतु आवश्यक कदम उठायें।
- Fire NOC Compliance:- विद्यालयों का नियामक आवश्यकताओं की सख्ति से पालन करना व अग्निशमन विभाग से फायर एन०ओ०सी० प्राप्त करना।

उक्त के अनुपालन में आपसे अपेक्षित है कि उल्लिखित बिंदुओं पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक / जि०आ०प्र०प्रा० / 2024 / तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :– अपर जिलाधिकारी, (वि०/रा०) गौतमबुद्धनगर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
2. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की संबंधित विभागों में फायर से होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत अपने स्तर से मानक व आवश्यक संसाधनों के गुणवत्ता की जांच कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. अधिक्षण अभियंता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, सेक्टर 16, नोएडा इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।

...जि०आ०प्र०प्रा० / 2024–25 दिनांक– 27 मई, 2024
...जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
... अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।

... के दृष्टिगत हॉस्पिटल फायर को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

लू (हीट स्ट्रोक) नियन्त्रण कार्ययोजना
जनपद—गौतमबुद्धनगर
वर्ष—2025

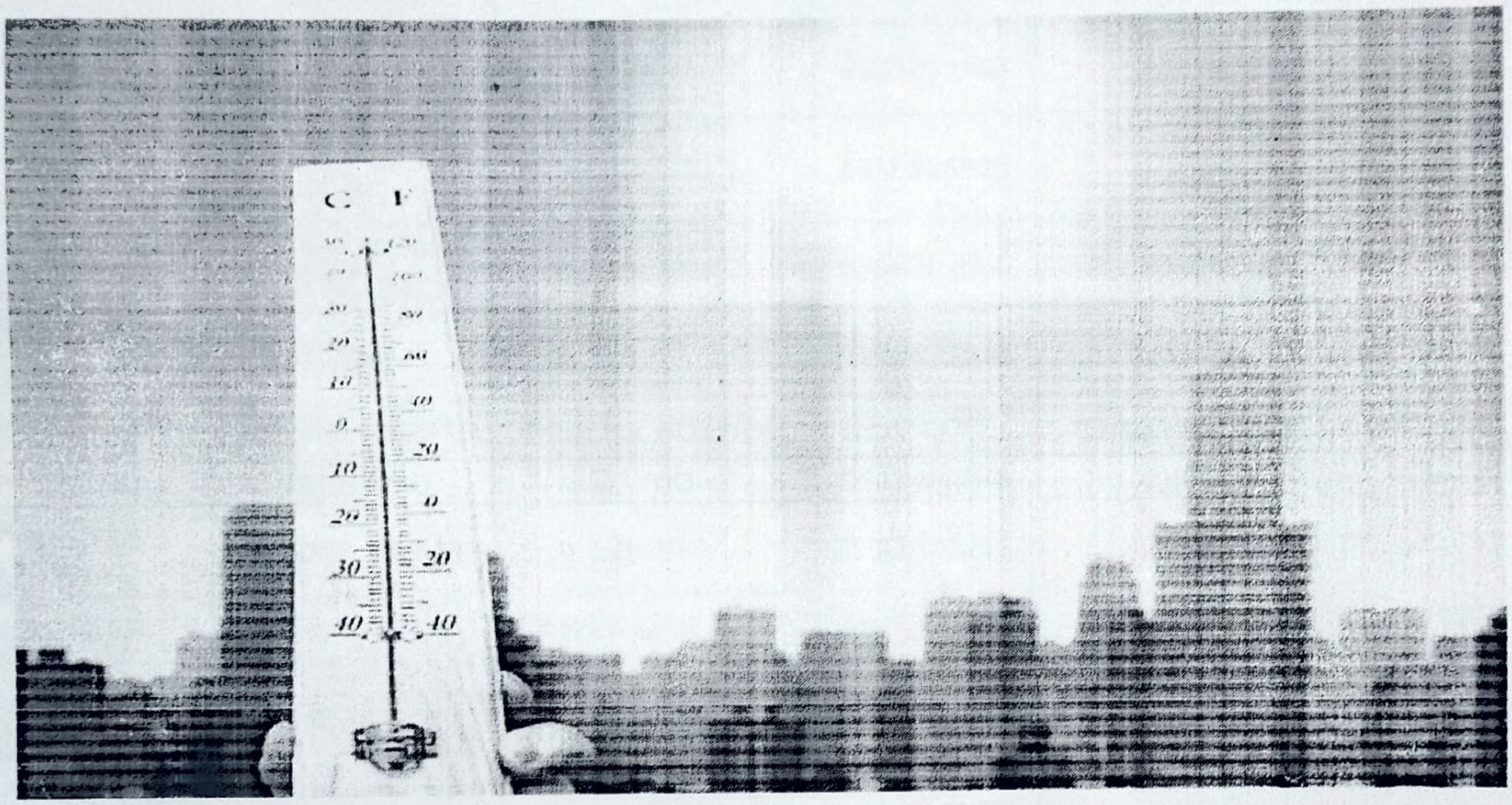

जिला सर्विलॉस अधिकारी गौतमबुद्धनगर	जिला पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट गौतमबुद्धनगर	मुख्य चिकित्सा अधिकारी गौतमबुद्धनगर

रैपिड रिस्पॉन्स टीम
संक्रामक रोग / दैवीय आपदा

जनपद–गौतमबुद्धनगर वर्ष–2025

S.No.	Name of the RRT Members in the District RRT	Designation	Departmant/ Division	Contact No.	Email-id
1	DR NARENDRA KUMAR	CMO	CMO OFFICE	9454455398	cmogbnr@gmail.com
2	DR RENU AGGARWAL	CMS	DISTRICT HOSPITAL	9582793004	hospitalnoida2017@gmail.com
3	DR SHUBHRA MITTAL	NODAL - NCD PROGRAM	CMO OFFICE	7080911111	cmogbnr@gmail.com
4	DR LALIT	ACMO- NODAL RBSK PROGRAM	CMO OFFICE	8433257456	cmogbnr@gmail.com
5	DR TIKAM SINGH	DSO-IDSP (NODAL RRT)	CMO OFFICE	9650826925	cmogbnr@gmail.com
6	DR AMIT KUMAR	DISTRICT PUBLIC HEALTH EXPERT	CMO OFFICE	8766367005	cmogbnr@gmail.com
7	SHRUTI KIRTI VERMA	DMO	DISTRICT MALARIA OFFICER	9818371098	dmogbn05@gmail.com
8	DR MANISHA	PATHOLOGIST	DISTRICT HOSPITAL	9958900483	hospitalnoida2017@gmail.com
9	DR TANVEER	SMO-WHO	WHO	9917468574	cmogbnr@gmail.com
10	DR SANJEEV SARASWAT	NODAL- NUHM	NUHM	9717408356	cmogbnr@gmail.com
11	DR RISHABH	FORENSIC EXPERT	DISTRICT HOSPITAL	9643380978	hospitalnoida2017@gmail.com
12	DR SACHHINDRA MISHRA	MS/MOIC	BLOCK BISRAKH	9911405551	newmoicbisrakh@gmail.com
13	DR NARAYAN KISHOR	MS/MOIC	BLOCK DANKAUR	7011345271	moicdankaur5735@gmail.com
14	DR MOHD SARFEZEYA	MS/MOIC	BLOCK JEWAR	9891422912	moicjewar@gmail.com
15	DR RAVINDRA KUMAR	MS	BLOCK DADRI	8586953574	SUPERINTENDENTDADRI@gmail.com
16	VARTIKA GUPTA	DIST. EPIDEMIOLOGIST	IDSP CMO OFFICE	7599190994	dsu.idsp.gbnagar29@gmail.com
17	DINESH	MI	DISTRICT MALARIA OFFICE, CMO OFFICE	9899965203	dmogbn05@gmail.com

DSO-IDSP
GAUTAM BUDDH NAGAR

CHIEF MEDICAL OFFICER
GAUTAM BUDDH NAGAR

Scanned with OKEN Scanner

हीटवेव का चित्रण।

Framework for preparation of District Level Heat Action plan-2025

पृष्ठ भूमि एवं वस्तु स्थिति(Background and current situation)–

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 77.73 प्रतिशत ग्रामीण एवं 22. 27 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या निवास करती है। प्रदेश की अधिकांश जनता का जीवन–यापन अधिक तापमान, वर्षा, बाढ़, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि, वज्रपात आदि मौसम की विभीषिकाओं से प्रभावित होता है। जनपद में ग्रीष्म ऋतु का अधिक प्रभाव रहता है।21वीं सदी की शुरूआत के बाद से एशिया में तापमान और बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान के औसत में वैश्विक वृद्धि और अधिक होगी, हीट वेव दुनिया भर में मृत्यु और रूग्णता का एक महत्वपूर्ण कारण है, तथा जलवायु परिवर्तन से उष्मा तरंगों की तीव्रता के कारण गर्मी की घटनाओं के प्रभाव में वृद्धि होने की संभावना है। वर्तमान मेंवैश्विक तापमान में वृद्धि जारी है।इस बढ़ते तापमान को मनुष्य द्वारा महसूस भी किया जा रहा है।

➢ **परिचय**(Introduction)–

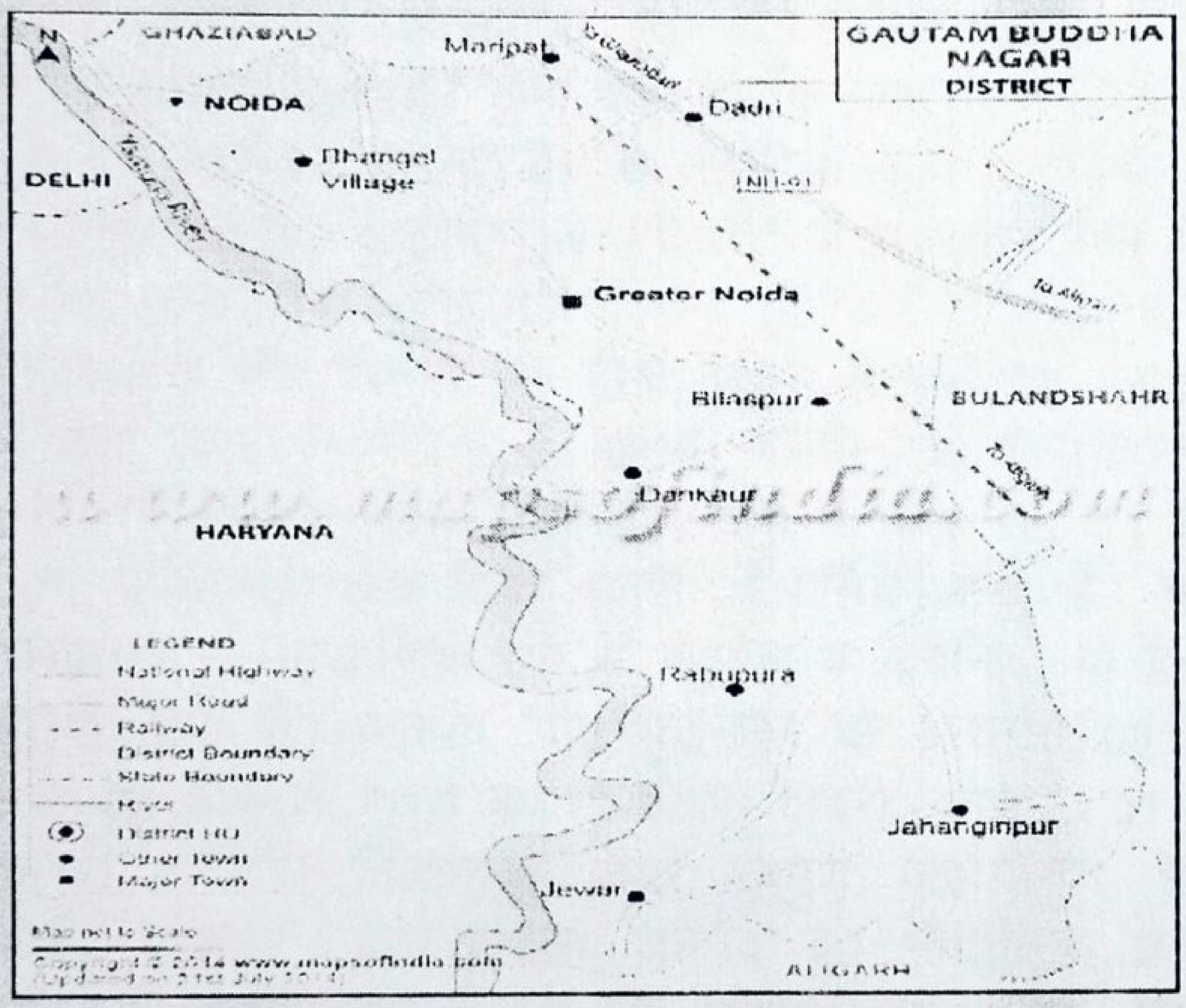

जनपद गौतमबुद्धनगर की स्थापना 9 जुन 1997 को बुलन्दशहर एवं गाजियाबाद जिलों के कुछ ग्रामीण व अर्द्धशहरी क्षेत्रों को काटकर की गयी थी। आज इसमें नोएडा व ग्रेटर नाएडा जैसे व्यावसायिक उप महानगर शामिल हो चुके है। दादरी विधान सभा क्षेत्र भी इसी जिले का एक हिस्सा बन चुका है। वह दादरी जहॉ की जनता ने 1857 के प्रथम स्वात़न्त्रय समर मे काफी योगदान दिया था दादरी के राव उमराव सिह समेत आसपास के 84 लोंगां ने स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।बुलंदशहर से लेकर लालकुंआ तक के बीच के हिस्से में कागंतिकारियों ने अंग्रेजी शासन कीनाक में दाम कर दिया था।जिस पर अंग्रेजो ने राव उमराव सिंह समेत क्षेत्र के 84 क्रांतिकाकारियों को बुलदशहर के काला आम पर फांसी लगाई थी। जिससे चलते आज भी बुलंदशहर का काला आम चार्चितहै।वहीं अग्रेजी हकूमत ने कांतिकारियों के परिवार के संपति को छीन लिया गया था। उनके मकानों को तोड दिया गया था। शहीदो की याद में आज भी दादरी तहसील परिसर में स्थित आज भी शहीद स्तंभ मौजूद है। जिस पर 84 कातिकारियों के नाम अंकित वंहा दादरी के मैन तिराहे पर उमर राव सिंह की प्रतिमा स्थित है। हर साल उनकी याद में 15 अगस्त और 26 जनवरी को विभित्र समाजसेवी संगठनों और

प्रमुख लोगो के द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किए जाते हैं दादरी में स्वन्तत्रता सेनानी राव उमरराव सिंह की मूर्ति आज भी देखी जा सकती है।

ऐतिहासिक दृष्टि से यहाँ का दानकौर, बिसरख ,रामपुर जागीर व नलगढ गॉव कई स्मृतियॉ संजोये हुए है। दानकोर में द्रोणाचार्य तथा बिसरख में रावण के पिता विश्रेश्रवा ऋषि का प्राचीन मन्दिर आज भी स्थित है। ग्रेटर नोएडा स्थित रामपुर जागीर गॉव में स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान सन 1919 में मैनपुरी षडयन्त्र करके फरार हुए सुप्रसिद्व कान्तिकारी राम प्रसाद बिस्मिल भूमिगत होकर कुछ समय के लिये रहे थे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के किनारे स्थित नलगढ गॉव में भगत सिंह ने भूमिगत रहते हुए कई बम – परीक्षण किये थे। वहॉ आज भी एक बहुत बडा पत्थर सूरक्षित रखा हुआ है।4143512 जनसंख्या वाला जनपद है। वर्श 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद गौतमबुद्धनगरके अन्तर्गत **28.8 प्रतिषत नगरीय एवं 71.2 प्रतिषत ग्रामीण** जनसंख्या एनिवास करती है। जनपद की अधिकांष जनता का जीवन यापन अधिक तापमान, कवर्शा, सूखा, तूफान, ओलावृश्टि आदि मौसम की विभीशिकाओं से प्रभावित होता है। ग्रीश्म ऋतु मे जनपद का तापमान 35 डिग्री से 45 डिग्री तक पहुंच जांता है।

जिला प्रोफाइल(District profile)

गौतमबुद्धनगर का भौगोलिक क्षेत्रफल 1442 वर्ग कि०मी० है। **गौतम बुद्ध नगर का अक्षांश और देशांतर क्रमशः** 28.35898000 और 77.55076000 है। जनपद गौतमबुद्धनगर का सृजन दिनांक–06.05.1997 को हुआ था, जो कि जनपद गाजियाबाद से तहसील दादरी का आंशिक भाग तथा जनपद बुलन्दशहर से तहसील जेवर व सिकन्द्राबाद के आंशिक भाग को शामिल कर बनाया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और यह पश्चिमी उ0प्र0 में स्थित है। यह जनपद दो मुख्य नदियों गंगा (हिण्डन) तथा यमुना के मध्य में है। जनपद के उत्तर में गाजियाबाद और दिल्ली की सीमा दक्षिण में अलीगढ, पूरब में बुलन्दशहर तथा पश्चिमी सीमा हरियाणा राज्य से मिलती है। इसकी परिधि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अनतर्गत होने के कारण जनपद में विकास कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। जनपद में नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना प्राधिकरण क्षेत्र विश्व व्यापी औधोगिक केन्द्र है। नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा एवं यमुना प्राधिकरण के औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा बहुत बडे स्तर पर उद्योगों को लगाया गया है। जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत 03 तहसील क्रमशः दादरी, सदर एवं जेवर, 03 विकास खण्ड क्रमशः जेवर, दादरी, कासना, 01 नगर पालिका दादरी एवं 05 नगर पंचायत, दनकौर, बिलासपुर, जेवर, रबूपुरा, जहॉगीरपुर, है। कृषि मण्डी समितियां–4(नोएडा, दादरी, दनकौर, जेवर)। इस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 1442 वर्ग किमी0 है तथा जनसंख्या (जनगणना–2011) के अनुसार 1648115 जिसमें ग्रामीण जनसंख्या–673806, नगरीय जनसंख्या–974309, पुरुषों की जनसंख्या–890873, महिलाओं की जनसंख्या–757242 है। ग्राम पंचायत–88 एवं राजस्व ग्राम–120(आबाद राजस्व ग्राम–108, गैर आबाद राजस्व ग्राम–12)। जनपद में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के संवेदनशील समुदाय कार्यरत है, जोकि हीट वेव/हीट स्ट्रोक से सीधे प्रभावित होते है।

जनता का जीवन यापन अधिक तापमान, वर्षा, बाढ, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि आदि मौसम की विभीषिकाओं से प्रभावित होता है। ग्रीष्म ऋतु में गौतमबुद्धनगर का तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री या ऊपर तक पहुंच जाता है।

लू हीट स्ट्रोक नियन्त्रण कार्ययोजना 2025 जनपद गौतमबुद्धनगर

उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़ जनसंख्या के साथ देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 77.73 प्रतिशत ग्रामीण एवं 22.27 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या निवास करती है। जनता का जीवन यापन अधिक तापमान, वर्षा, बाढ़, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि आदि मौसम की विभीशिकाओं से प्रभावित होता है। ग्रीष्म ऋतु में अयोध्या का तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री या ऊपर तक पहुंच जाता है।

प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ ही *लू (हीट स्ट्रोक)* का प्रसार प्रारम्भ हो जाता है तथा इसका अत्याधिक प्रभाव माह जून से अगस्त के मध्य होता है। जनता को लू से बचने की स्वास्थ्य शिक्षा प्रचार–प्रसार कर तथा रोगियों को त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराकर मृतकों की संख्या में तथा रोग की जटिलता में प्रभावी कमी लाई जा सकती है।

उपर्युक्त व्यवस्थाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु जिले से ग्राम स्तर तक समन्वय, प्रभावी सूचना एंव संचार तंत्र सामग्री आपूर्ति तथा जनजागरण की निम्नलिखित व्यवहारिक, व्यापक तथा प्रभावी योजना के अनुसार कार्यवाही करके *लू (हीट स्ट्रोक)* के प्रभाव पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

लू की परिभाषाः–

भारतीय व अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के निम्नानुसार हैः–

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब किसी जगह का स्थानीय तापमान लगातार 03 दिन तक वहाँ के सामान्य तापमान से 03 डिग्री0 से0 या अधिक बना रहे तो उसे लू या हीट वेव कहते हैं। विश्व मौसम संघ के अनुसार यदि किसी स्थान का तापमान लगातार 05 दिन तक सामान्य स्थानीय तापमान से 5 डिग्री0से0 अधिक बना रहे अथवा लगातार दो दिन तक 45 डिग्री से0 से अधिक का तापमान बना रहे तो उसे हीट वेव या लू कहते हैं।

जब वातावरणीय तापमान 37 डिग्री से0 तक रहता तो मानव शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ही तापमान 37 डिग्री से0 से ऊपर बढता है तो हमारा शरीर वातावरणीय गर्मी को शोषित कर शरीर के तापमान को प्रभावित करने लगता है। अधिक नमी वाले स्थानों पर 37 डिग्री से0 पर भी शरीर पर दुष्प्रभाव होने लगता है, जो कि वायु मण्डल में नमी की मात्रा के साथ–साथ बढ़ने लगता है और अधिक नमी के वातावरण में कम तापमान भी घातक प्रभाव डाल सकता है,।

हीट वेव के प्रभाव के पूर्व अनुभवों के आधार पर हीट वेव के प्रभावों को कम करने हेतु निम्न तथ्य प्राप्त किये जा सकते हैः–

- ☐ हीट वेव एक प्रमुख जन स्वास्थ्य जोखिम है।
- ☐ हाई रिस्क समुदाय वालें स्थानों का चिन्हीकरण।
- ☐ स्थान –स्थान पर जन शीतक (कूलिंग) स्थानों का स्थापित किया जाना।
- ☐ विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा हीट वेव से सम्बन्धित चेतावनी जारी करना।

पूर्व चेतावनी विकसित करना – आई0एम0डी0 द्वारा जारी की जाने वाली मौसम की भविष्यवाणी को प्रचार माध्यमों द्वारा जनता को "क्या करें, क्या न करें" के बारे में जानकारी देना तथा अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करना।

Scanned with OKEN Scanner

हीट वेव से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान।

तालिका – विभिन्न हीट वेव रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्रथमोपचार :– हीट संबंधी रोग (हीट डिस ऑर्डर)	लक्षण	प्रथमोपचार
सन बर्न	त्वचा में लालीमा तथा दर्द, सूजन, फफोले, बुखार तथा सरदर्द	साबुन का उपयोग करते हुये शावर आदि में स्नान कराना ताकि तैल से बन्द रध्र खुल जाए और शरीर प्राकृतिक रूप से शीतल हो सके। यदि फफोले पाये जाते है तो सूखे विसंक्रमिक ड्रेसिंग का उपयोग करें तथा चिकित्सकीय सलाह लें।
हीट कैम्प्स	उदरीय मांश पेशियों तथा हाथ, पैर की तकलीफदेह एंठन (स्पाज्म), ज्यादा पसीना आना।	पीड़ित व्यक्ति को ठण्डे तथा छायादार स्थान पर ले जाए, कैम्पिंग मांसपेशियों पर दबाव डालें तथा ऐंठन से आराम हेतु हल्की मालिश करें। पानी की बूंद बूंद पिलायें। यदि जी मचले तो पानी देना बन्द कर दें।
हीट एक्जाशन	अत्यधिक पसीना आना, कमजोरी; त्वचा ठण्डी पीली तथा चिप–चिपी, सरदर्द। सामान्य तापमान संभव, बेहोशी, उल्टी।	ठण्डे स्थान में मरीज को लेटायें। वस्त्र को ढीला करें। ठण्डे कपड़े का उपयोग करें, मरीज को पंखा करें या वातानुकूलित स्थान में ले जाए। पानी की बूंद बूंद करके पिलायें; यदि जी मचले तो इसे देना बन्द कर दें। यदि उल्टी होती है तो 108 या 102 नम्बर की एम्बुलेंस द्वारा चिकित्सालय में भर्ती करायें।
हीट स्ट्रोक (सन स्ट्रोक)	उच्च शारीरिक तापमान (106 डिग्री फा0 या अधिक) गर्म शुष्क त्वचा। तेज जोरदार नाड़ी (पल्स); बेहोशी आना तथा मरीज को पसीना आना बंद हो जाए।	हीट स्ट्रोक गंभीर चिकित्सकीय स्थिति। 108 तथा 102 नम्बर पर एम्बुलेंस को चिकित्सा सेवा हेतु तत्काल कॉल करना चाहिए, या मरीज को तुरन्त अस्पताल ले जाना चाहिए। विलम्ब प्राण घातक साबित हो सकता है। मरीज को तत्काल ठण्डे वातावरण में ले जाना चाहिए या बर्फीले पानी की स्पंजिंग करते रहना चाहिए।

हीट वेव प्रभावितों की पहचान करना तथा इनसे हुई मृत्यु को दर्ज करना:– हीट वेव प्रभावितों की पहचान करना तथा इनसे हुई मृत्यु/मृतकों को दर्ज करना महत्वपूर्ण है।
जिसके लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते है:–

- विशेष स्थान तथा समय के अधिकतम तापमान को दर्ज किया जाए।
- रोग संबंधी घटनाओं (डिजीज इंसीडेन्स), पंचनामा तथा दूसरें गवाहों या प्रमाणों या वर्बल ऑटोप्सी दर्ज करना।
- कारणों सहित पोस्ट मार्टम, चिकित्सीय जॉच की रिपोर्ट।
- स्थानीय अधिकारी या स्थानीय निकाय द्वारा पूछताछ/सत्यापन रिपोर्ट।

5. निरोधात्मक तथा शमनात्मक उपायों, तैयारी संबंधी स्वास्थ्य विभाग की भूमिका :–

☐ इस हेतु आई0ई0सी0 के माध्यम से जन–जागरूकता अभियान चलाना प्रभावकारी होगा।

☐ हीट वेव रोग में प्रभावी निरोधात्मक एवं प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड ट्रीटमेन्ट) की जानकारी चिकित्सकों द्वारा फार्मासिस्ट हेतु आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है।

☐ भीड़ भाड़ वाले जगहों पर चिकित्सा चौकी स्थापित करना।

☐ चूँकि हीट संबंधी रूग्णता/रोग परिहार्य/परिवर्तनीय है, इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि ससेप्टिबल/संवेदनशील व्यक्तियों द्वारा उपयुक्त निरोधात्मक रणनीति अपनायी जाए।

☐ ओ0आर0एस0 का भण्डार/संचय।

Scanned with OKEN Scanner

6. **जलवायु अनुकूलन (एक्लीमेटाईजेशन):–**

तुलनात्मक रूप से ठण्डी जलवायु वाले देश/प्रदेश से आने वाले लोगों को कम से कम एक सप्ताह तक घर से बाहर खुले में न घुमने हेतु बताया जाए ताकि नये गर्म जलवायु में उनके अन्दर रहने की योग्यता उत्पन्न हो जाए। साथ ही प्रचुर मात्रा में पानी पीने हेतु बताया जाना चाहिए। नये (ऊष्ण) वातावरण में वातावरण का सामना करने से जलवायु अनुकूलन धीरे–धीरे हो जाता है।

7. **आकड़े प्राप्त करना तथा इनका विश्लेषण:–**

राष्ट्रीय स्तर पर हीट वेव (लू) नोटीफाइड आपदा में शामिल नहीं है, इसलिए हीट वेव से सम्बन्धित रोगी तथा मृतकों की सही सूचना तथा आंकडें उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में स्थिति से निपटने तथा शमनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु यह अति आवश्यक है कि हीट वेव से मरने वाले व्यक्तियों की आयु वर्ग, लिंग, व्यवसाय सम्बन्धित आंकडे एकत्र किये जाए। इसके अतिरिक्त मृत्यु घर में या बाहर हुई एवं आर्थिक स्थिति के भी आंकडे एकत्र करना आवश्यक है।

<u>गीष्म ऋतु में लू (*हीट स्ट्रोक*)सें बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश</u>

लू (*हीट स्ट्रोक*)

गर्मी में सबसे बडी समस्या होती है लू लगना । अंग्रेजी में इसें(*हीट स्टोक*) या सन स्टोक कहतें है । गर्मी में उच्च तापमान में ज्यादा देर तक रहनें से या गर्म हवा कें झोंकों सें संपर्क में आनें पर लू लगती हैं ।

<u>कब लगती है लू</u>

गर्मी में शरीर कें द्रव्य वाडी फल्यूड सूखनें लगती हैं। शरीर से पानी नमक की कमी होनें पर लू लगनें का खतरा ज्यादा रहता है।

निम्न स्थितियों में लोगों को लू लगनें की संभावना अधिक रहती हैं –

1– शराब की लत, हदय रोग पुरानी बीमरियॉ, मोटापा पार्किसंस रोग अधिक उम्र अनियंत्रित मधुमेह ।

2–ऐसी कुछ औषधियॉ जैसे एडाययूरेटिक, एंटीहिस्टामिनिक, मानसिक रोग की कुछ औषधियॉ।

<u>3–हीट स्ट्रोक के लक्षण –</u>

1– गर्म, लाल, शुष्क त्वचा का होना, पसीना न आना।

2– तेज पल्स होना

3– उथले श्वास गति में तेजी ।

4– व्यवहार में परिवर्तन, भ्रम की स्थिति ।

5– सिरदर्द, मितली, थकान और कमजोरी होना चक्कर आना ।

6– मूत्र न होना अथवा इसमें कमी ।

<u>उपरोक्त लक्षणों कें चलतें मनुष्यों कें शरीर में निम्नलिखित प्रभाव पडता है –</u>

1– उच्च तापमान सें शरीर कें आतंरिक अंगों, विशेष रुप सें मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता हैतथा शरीर में उच्च रक्तचाप उत्पन्न करता हैं।

2– मनुष्य कें हदय कें कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होता हैं ।

3– जो लोग एक या दों घण्टे सें अधिक समय तक 40.6 डिग्री सेल्सियस 105 डिग्री एफ या अधिक तापमान अथवा गर्म हवा में रहतें है तों उनकें मस्तिष्क में क्षति होनें की संभावना प्रबल हों जाती है।

<u>हीट स्ट्रोक से बचनें कें उपाय</u>

अनुलग्नक:–1 (क्या करें /क्या न करें)

हीट वेव की स्थिति शरीर की कार्य प्रणाली पर प्रभाव डालती है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए निम्न तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए:–

क्या करें:–

1. प्रचार माध्यमों पर हीट वेव/लू की चेतावनी पर ध्यान दें।

2. अधिक से अधिक पानी पियें, यदि प्यास न लगी हो तब भी।

3. हल्के रंग के पसीना शोषित करने वाले हल्के वस्त्र पहनें।

4. धूप के चश्में, छाता, टोपी, व चप्पल का प्रयोग करें।

5. अगर आप खुले में कार्य करते है तो सिर, चेहरा, हाथ पैरों को गीले कपड़ें से ढके रहें तथा छाते का प्रयोग करें।

6. यात्रा करते समय पीने का पानी अपने साथ ले जाएं।

7. ओ0आर0एस0, घर में बने हुये पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी (माड़), नीबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करें, जिससे कि शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सकें।

8. हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट क्रैम्प के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सरदर्द, उबकाई, पसीना आना, मूर्छा आदि को पहचानें।

9. यदि मूर्छा या बीमारी अनुभव करते है तो तुरन्त चिकित्सीय सलाह लें।

10. अपने घरों को ठण्डा रखें, पर्दे दरवाजे आदि का उपयोग करें। तथा शाम/रात के समय घर तथा कमरों को ठण्डा करने हेतु इसे खोल दें।

11. पंखे, गीले कपड़ों का उपयोग करें तथा बारम्बार स्नान करें।

12. कार्य स्थल पर ठण्डे पीने का पानी रखें/उपलब्ध कराये।

13. कर्मियों को सीधी सूर्य की रोशनी से बचने हेतु सावधान करें।

14. श्रमसाध्य कार्यों को ठण्डे समय में करने/कराने का प्रयास करें।

15. घर से बाहर होने की स्थिति में आराम करने की समयावधि तथा आवृत्ति को बढ़ायें।

16. गर्भस्थ महिला कर्मियों तथा रोगग्रस्त कर्मियों पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए।

क्या न करें:-

1. बच्चों को खड़ी गाडियों में न छोंड़े।

2. दोपहर 12 से 03 बजे के मध्य सूर्य की रोशनी में जाने से बचें।

3. गहरे रंग के भारी तथा तंग कपड़ें न पहनें।

4. जब बाहर का तापमान अधिक हो तब श्रमसाध्य कार्य न करें।

स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा जन-जागरण

लू (*हीट स्ट्रोक*)/संकामक रोगों का नियन्त्रण हेतु ' क्या करें, क्या न करें' का प्रचार-प्रसार पूरे वर्ष तक ग्राम स्तर तक किया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल मेरठ।
4. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
5. नोडल अधिकारी, एन0यू0एच0एम0, गौतमबुद्धनगर।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः–मु0चि0अ0 / हीटवेव / 2025 / 1176

दिनांक –20 / 03 / 2025

सेवा में,

1–निदेशक, जिम्स ग्रेटर नौएडा एवं पी0जी0आई0सी0एच0 नौएडा।
2–मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, नौएडा।
3–अधीक्षक / प्रभारी चिकित्साधिकारी, सा0 / प्रा0स्वा0 केन्द्र एवं अर्बन प्रा0स्वा0के0 गौतमबुद्धनगर।

विषयः–गर्मी के प्रभाव और इसके कारण उत्पन्न होने वाले रोगों के प्रबन्धन एवं प्रभावी तैयारी हेतु दिशानिर्देश के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0–जी0आई–19(1) / पाँच–5–2025 दिनांक 18.03.2025 के माध्यम से जनपद गौतमबुद्धनगर में जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत आगामी गर्मी के मौसम में हीटवेव के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों की संवेदनशीलता को देखते हुए जन सामान्य को आकस्मिक / आकस्मिक चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर चिकित्सा वार तैयारियों की समीक्षा नियमित रूप से सुनिश्चित की जाये, संबंधित निर्देश अनुपालनार्थ हेतु निम्नवत है:–

1. समस्त चिकित्सा संस्थानों / अस्पतालों और चिकित्सा इकाईयों पर आवश्यक औषधियों इंट्रावीनस फ्लूइड्स, आइसपैक्स, ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट इत्यादि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता।
2. चिकित्सा इकाईयों में हीट स्ट्रॉक के मरीजों के आने पर त्वरित कूलिंग स्ट्रैटेजीज की व्यवस्था की जाये।
3. आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता एवं कियाशीलता तथा मरीजों के उपचार हेतु बैड आरक्षित किये जायें। जिला स्तरीय चिकित्सालय–06 से 10 बैड, सा0स्वा0के0 / ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालय–04 बैड (गाईड लाईन–**संलग्नक**)
4. चिकित्सा इकाईयों पर पर्याप्त मात्रा में शुद्ध / शीतल पेयजल की उपलब्धता की स्थिति।
5. चिकित्सा इकाईयों के क्रिटिकल क्षेत्रों में शीतलक उपकरणों की निरंतर कियाशीलता की स्थिति।
6. अत्यधिक तापमान की स्थितियों (एक्सट्रीम हीट कंडीशन) का सामना करने के लिए चिकित्सा इकाईयों पर कूलिंग उपकरणों की निरंतर कियाशीलता सुनिश्चित किये जाने हेतु निबार्ध विद्युत आपूर्ति।
7. **चिकित्सा इकाईयों में अग्नि सुरक्षा उपाय**–आग लगने की घटनाओं को रोकने तथा किसी दुर्घटना की स्थिति के त्वरित प्रबंधन किये जायें।
8. राज्य स्तर से प्रेषित की जा रही सूचना, शिक्षा तथा संवाद सामग्री का प्रयोग जन सामान्य के संवेदीकरण हेतु किया जाये तथा जनमानस को उष्ण लहर (हीट वेव) से बचाव हेतु सभी आवश्यक उपायों के विषय में जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।
9. IHIP Portal पर Heat Wave-HRI से संबंधित दैनिक रिपोर्ट प्रतिदिन अनवार्य रूप से अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार (गाईड लाईन)।

जिला सर्विलांस अधिकारी
गौतमबुद्धनगर.

20/03/25

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर.

20/03/25

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल मेरठ।
4. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
5. नोडल अधिकारी, एन0यू0एच0एम0, गौतमबुद्धनगर।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

Desired Hospital Preparedness for Heat Wave

PARAMETER	Divisional/ DH	CHC	PHC
Availability of cold room	6-10 Beds	4 Beds	NA
Functional AC/ Functional Cooler	Required	Required	
Sufficient number of fans available in the Cold room	1 Fan for every 2 beds	1 Fan for every 2 beds	
Cold packs	Minimum 20	Minimum 10	Minimum 4
Routine thermometer available in the Cold room	Required	Required	Required
Rectal thermometer available in the Cold room	Required	Required	NA
Poster Displaying Signs and symptoms of Serious HRIs available in the cold room/Emergency	Posters 1 and 2 - P HRI		
Poster displaying Treatment protocol for Serious HRIs available	Secondary care Hospital level Treatment protocol	Primary care Hospital level Treatment protocol	
Poster/ Banners/ Hoarding for General Public in OPD, Emergency, cold room and other prominent areas of the Hospital	5 types of content – Similar for all levels of Hospitals		

Desired Hospital Preparedness for Heat Wave

LOGISTICS (Minimum inventory to be maintained)	Divisional/ DH	CHC	PHC
Minimum Number of ORS Packets	1000	500	200
Minimum Number of Tab. Paracetamol	10000	5000	2000
Minimum Number of RL bottles	200	100	
Minimum Number of NS bottles	200	100	
Minimum Number of DNS bottles	200	100	
Minimum Number of Isolyte -P bottles	200	100	

प्रेषक, संख्याः–जी0आई0–19 / पाँच–5–2025

पार्थ सारथी सेन शर्मा
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।**
3. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।**
4. **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय / संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।**
5. **वी0सी0, के0जी0एम0यू0 / सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय।**
6. **निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 / आर0एम0एल0 / जिम्स ग्रेटर नोयडा / पी0जी0आई0 सी0एच0, नोएडा।**
7. **समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय / स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।**

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 18 मार्च, 2025

विषय–गर्मी के प्रभाव और इसके कारण उत्पन्न होने वाले रोगो के प्रबंधन एवं प्रभावी तैयारी हेतु दिशा–निर्देश।

महोदया / महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि देश के कुछ स्थानों पर तापमान असामान्य रूप से उच्च स्तर पर पहुँच गया है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश भागों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना व्यक्त की गई है।

2– भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार द्वारा माह मार्च से मई, 2025 के मध्य गर्मी के मौसम के सम्बन्ध में निम्नवत् संभावना व्यक्त की गयी है–

1. मार्च से मई 2025 के मध्य देश के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।
2. इस अवधि में उत्तर प्रदेश के मध्य एवं उत्तर पश्चिम भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।
3. इसी के साथ देश के अधिकांश भागों में इस अवधि में मासिक न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।
4. देश के मध्य तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मार्च से मई 2025 के मध्य उष्ण लहर (हीट वेव) के प्रचलन की अधिक संभावना है।

Scanned with OKEN Scanner

3— देश के अधिकांश क्षेत्रों मे माह मार्च मे तापमान सामान्य से अधिक रहने की आशंका के दृष्टिगत उष्ण मौसम से संबधित रोगों (हीट रिलेटेड इलनेसेज) के विषय में अंर्तविभागीय समन्वय स्थापित करते हुए निम्न गतिविधियाँ प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है:—

अंतर्विभागीय गतिविधियाँ

उष्ण मौसम से संबधित रोगों (हीट रिलेटेड इलनेसेज) के विषय में अंर्तविभागीय समन्वय स्थापित करते हुए निम्नलिखित गतिविधियाँ प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है —

- भीड भाड वाले स्थानो पर जनमानस हेतु शीतल एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था।
- गर्मी से बचाव हेतु आश्रय—गृह (शेलटर्स) की व्यवस्था।
- व्यस्त स्थानों पर मौसम के पूर्वानुमान तथा तापमान का डिस्प्ले।
- हीट वेव से बचाव हेतु उपायों का जनमानस में व्यापक प्रचार प्रसार।
- विद्यालयों में हीट वेव से बचाव हेतु उपायों का जनमानस में व्यापक प्रचार प्रसार।

स्वास्थ्य विभाग से संबंधित गतिविधियाँ

1. राष्ट्रीय कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों मे गर्मी से सम्बन्धित रोगों की दैनिक निगरानी करते हुए उक्त की सूचना एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफार्म(आई0एच0आई0पी0) पर अंकित की जाय। अपने जनपद में यह सुनिश्चित करें कि सभी स्वास्थ्य इकाईयों पर पी—फार्म पर सूचना अंकित करने के लिये लॉगिन क्रेडेंशियल्स उपलब्ध हो तथा निर्धारित प्रारूपों के अनुसार गर्मी से प्रभावित चिन्हित समस्त रोगियों एवं गर्मी के प्रभाव के कारण होने वाली किसी मृत्यु की लाइन लिस्टस उपलब्ध हों। साथ ही रिपोर्टिंग प्रपत्र(संलग्नक—1) पर दैनिक रिपोर्ट प्रतिदिन सायं 04.00 बजे तक ई—मेल idspup@gmail.com पर नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चिकित्साधिकारियों, पैरामेडिकल कर्मचारियो एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स का प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है जिसमे इन रोगों की शीघ्रतापूर्वक पहचान तथा उपचार के विषय मे भी बताया जाये।
3. **चिकित्सा इकाइयों में प्रबन्धन**: निम्न बिंदुओं पर तैयारियों की स्थिति हेतु चिकित्सा इकाइयों की समीक्षा भी नियमित रूप से की जाये —

   3.1 चिकित्सा इकाइयों मे पर्याप्त मात्रा मे शुद्ध व शीतल पेयजल की उपलब्धता।

   3.2 चिकित्सा इकाइयों के क्रिटिकल क्षेत्रों (ओ0पी0डी0, वार्ड्स, रोगियो तथा तीमारदारों के प्रतीक्षा स्थल, रैन—बसेरा इत्यादि) में शीतलक उपकरणों (पंखे, एयर कूलर / कंडीशनर) की निरन्तर क्रियाशीलता की स्थिति।

   3.3 आवश्यक औषधियों, इंट्रावीनस फ्लूड्स, आइसपैक्स, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट इत्यादि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता।

Scanned with OKEN Scanner

3.4. चिकित्सा इकाइयों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के आने पर त्वरित कूलिंग स्ट्रैटेजीज़ (Rapid Cooling Strategies) की व्यवस्था।

3.5. आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता।

3.6. ब्लॉक स्तर तक के समस्त चिकित्सालयों में हीट स्ट्रोक रोगियों के प्रबंधन हेतु समस्त आवश्यक सामग्री के साथ हीट स्ट्रोक कक्ष की व्यवस्था।

3.7. इसी के साथ अत्यधिक तापमान की स्थितियों (Extreme Heat Conditions) का सामना करने के लिए चिकित्सा इकाइयों पर कूलिंग उपकरणों की निरंतर क्रियाशीलता सुनिश्चित किए जाने हेतु अबाधित विद्युत आपूर्ति, शीतल अथवा हरित छत (Cool/Green roof) के माध्यम से इंडोर तापमान कम करने के उपाय, खिड़कियों पर तथा खुले क्षेत्रों में शेड लगाना इत्यादि गतिविधियाँ भी यथासंभव संपादित की जायें। वर्षा जल के संरक्षण एवं पुनर्प्रयोग हेतु संयत्र लगाने पर भी विचार किया जाए ताकि जल की उपलब्धता के क्षेत्र में चिकित्सा इकाइयाँ आत्मनिर्भर हो सकें।

4. <u>चिकित्सा इकाइयों में अग्नि सुरक्षा उपायः</u> आग लगने की घटनाओं को रोकने तथा किसी दुर्घटना की स्थिति के त्वरित प्रबंधन हेतु नियमित रूप से चिकित्सा इकाइयों का निरीक्षण, फायर सेफ्टी तथा इलेक्ट्रिकल लोड के ऑडिट सम्पादित कर आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जायें।

5. <u>प्रचार–प्रसार</u> : राज्य स्तर से प्रेषित की जा रही सूचना, शिक्षा तथा संवाद सामग्री का प्रयोग जन सामान्य के संवेदीकरण हेतु किया जाए तथा जनमानस को उष्ण लहर (हीट वेव) से बचाव हेतु सभी आवश्यक उपायों के विषय में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। आम जनता के संवेदीकरण हेतु "क्या करें क्या ना करें (Dos and Donts)" संलग्नक–2 के माध्यम से प्रेषित हैं।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त जनपदों में उपरोक्त निर्देशों में उल्लिखित अंतर्विभागीय गतिविधियों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। जनपद के समस्त चिकित्सालयों में आवश्यक प्रशिक्षण तथा लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए हीट वेव की स्थिति में परामर्श एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाए।

<u>संलग्नकःयथोक्त।</u>

भवदीय,

18/03/25

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)

प्रमुख सचिव।

संख्याः— जी0आई0—19 (1)/पाँच—5—2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास/पंचायतीराज/बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग/ग्राम्य विकास/चिकित्सा शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
2. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
7. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
8. राज्य नोडल अधिकारी, एन0पी0सी0सी0एच0एच0, उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

Annexure-1

CASES & DEATHS DUE TO HEAT RELATED ILLNESS - Uttar Pradesh 2023						Date
Sl.No.	Name of the District	New cases reported due to Heat Related Illness in the State today	Cumulative no of cases reported due to Heat Related Illness in the State since March 2023	New deaths reported due to Heat Related Illness in the State today	Cumulative no of deaths reported due to Heat Related Illness in the State since March 2023	Remarks

Scanned with OKEN Scanner

अनुलग्नकः–2 (Annexure-2)

हीट वेव : क्या करें / क्या न करें

हीट वेव की स्थिति शरीर की कार्य प्रणाली पर प्रभाव डालती है, तत्काल उचित उपचार उपलब्ध ना होने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। हीट वेव के प्रभावों को कम करने के लिए निम्न तथ्यों पर ध्यान देना चाहिये :

क्या करें

1. सावधान रहें

1.1. हीट वेव/लू के सम्बन्ध में प्रचार माध्यमों से जारी की जा रही चेतावनी पर ध्यान दें।

1.2. हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट क्रैम्प के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सरदर्द, उबकाई, पसीना आना, मूर्छा आदि को पहचानें।

1.3. कमजोरी अथवा मूर्छा जैसी स्थिति का अनुभव होने पर तत्काल चिकित्सीय सलाह लें।

2. हाइड्रेटेड रहें (शरीर में जल की कमी से बचाव)

2.1. अधिक से अधिक पानी पियें, यदि प्यास न लगी हो तब भी।

2.2. यात्रा करते समय पीने का पानी अपने साथ अवश्य ले जाएं।

2.3. ओ0आर0एस0, घर में बने हुये पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी (माड), नीबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करें, जिससे कि शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके।

2.4. जल की अधिक मात्रा वाले मौसमी फल एवं सब्जियों का प्रयोग करें यथा तरबूज, खरबूज संतरे अंगूर अन्नास खीरा ककड़ी, सलाद पत्ता (लेट्यूस)

3. शरीर को ढक कर रखें

3.1. हल्के रंग के पसीना शोषित करने वाले हल्के वस्त्र पहनें।

3.2. धूप के चश्में, छाता, टोपी, व चप्पल का प्रयोग करें।

3.3. अगर आप खुले में कार्य करते है तो सिर, चेहरा, हाथ पैरों को गीले कपड़े से ढके रहें तथा छाते का प्रयोग करें।

Scanned with OKEN Scanner

4. यथासंभव अधिक से अधिक अवधि के लिए घर कार्यालय इत्यादि के अंदर रहें

4.1. उचित वायु संचरण वाले शीतल स्थानों पर रहें।

4.2. सूर्य की सीधी रोशनी तथा ऊष्ण हवा को रोकने हेतु उचित प्रबंध करें – अपने घरों को ठण्डा रखें, दिन मे खिडकियां, पर्दे तथा दरवाजे बंद रखें विशेषकर घर तथा कार्यालय के उन क्षेत्रों में जहाँ सूरज की सीधी रौशनी पड़ती हो। शाम/रात के समय घर तथा कमरों को ठण्डा करने हेतु इन्हें खोल दें।

4.3. घर से बाहर होने की स्थिति में आराम करने की समयावधि तथा आवृत्ति को बढायें।

4.4. पंखे, गीले कपड़ों का उपयोग करें।

4.5. जानवरों को छायादार स्थानों पर रखें तथा उन्हें पर्याप्त पानी पीने को दें।

5. **उच्च जोखिम समूहों हेतु निर्देश** : निम्न उच्च जोखिम समूह सामान्य आबादी की तुलना में हीट वेव के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं, इन समूहों के बचाव पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है

5.1. एक वर्ष से कम आयु के शिशु तथा अन्य छोटे बच्चे

5.2. गर्भवती महिलायें

5.3. बाह्य वातावरण में (outdoor) कार्य करने वाले व्यक्ति

5.4. बीमार व्यक्ति, विशेषकर हृदय रोगी अथवा उच्च रक्तचाप से ग्रस्त व्यक्ति

5.5. ऐसे व्यक्ति जो ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों में जा रहे हों

6. अन्य सावधानियां

6.1. ऐसे बुजुर्ग तथा बीमार व्यक्ति जो एकांतवास करते हों, के स्वास्थ्य की नियमित रूप से देखभाल नियमित रूप से देखभाल तथा समीक्षा की जानी चाहिए।

6.2. घरों को ठंडा रखें दिन के समय पर्दे, खिड़कियां, दरवाजे इत्यादि बंद रखें तथा रात को खिड़कियाँ खोलकर रखें।

6.3. दिन के समय में अपने घर के निचले तल पर प्रवास का प्रयास करें

6.4. शरीर के तापमान को कम रखने के लिए पंखे, गीले कपड़े इत्यादि का प्रयोग करें।

Scanned with OKEN Scanner

क्या न करें

1. अधिक गर्मी, वाले समय में, विशेषकर दोपहर 12 से 03 बजे के मध्य, सूर्य की सीधी रोशनी में जाने से बचें।
2. नंगे पैर बाहर ना निकलें।
3. अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों के प्रयोग से यथासंभव बचें तथा बासी भोजन का प्रयोग ना करें
4. बच्चों तथा पालतू जानवरों को खड़ी गाडियों में न छोंड़े।
5. गहरे रंग के भारी तथा तंग कपड़ें न पहनें।
6. जब बाहर का तापमान अधिक हो तब श्रमसाध्य कार्य न करें।
7. अधिक गर्मी, वाले समय में खाना बनाने से बचें, रसोई वाले स्थान को ठण्डा करने के लिये दरवाजे तथा खिड़कियॉ खोल दें।
8. शराब, चाय, काफी, कार्बोनेटेड साफ्ट ड्रिंक आदि के उपयोग करने से बचें, क्योंकि यह शरीर में निर्जलीकरण करते हैं।

नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों हेतु निर्देश

1. कार्यस्थल पर शीतल पेयजल की व्यवस्था करें तथा कर्मियों को प्रत्येक 20 मिनट की अवधि पर जल का सेवन करने हेतु कहें ताकि उनके शरीर में जल की कमी न हो।
2. कर्मियों को सीधी सूर्य की रोशनी से बचने हेतु सावधान करें।
3. कर्मियों हेतु छायादार कार्यस्थलों का प्रबंध करें, इस हेतु कार्य स्थल पर अस्थाई शेल्टर का निर्माण किया जा सकता है।
4. अधिक श्रमसाध्य तथा बाह्य वातावरण में (Outddors) किए जाने वाले कार्यो को दिन के ठंडे समय पर किए जाने हेतु प्रबंध करें, जैसे सुबह अथवा शाम के समय। बाह्य वातावरण में किये जाने वाले कार्य हेतु विश्राम की अवधि तथा आवृति को बढ़ाएं – प्रत्येक घंटे के श्रमसाध्य कार्य के उपरान्त न्यूनतम 5 मिनट का विश्राम दिया जा सकता है।
5. तापमान के अधिक होने पर कर्मियों की संख्या बढ़ायें अथवा कार्य की गति को धीमा करें।
6. अधिक तापमान के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य स्थितियों के लक्षणों तथा अधिक तापमान से संबंधित रोगों के खतरों को बढ़ाने वाले कारकों को पहचानने हेतु कर्मियों को प्रशिक्षित करें। इसी के साथ हीट स्ट्रेस के लक्षणों को पहचानने हेतु सहयोगी तंत्र "Buddy

System" प्रारंभ करें क्योंकि अनेक बार प्रभावित व्यक्ति अपने लक्षणों को स्वयं नहीं पहचान पाते हैं।

7. कार्यस्थल पर प्रशिक्षित प्राथमिक सहायता कर्मी (फर्स्ट ऐड वर्कर्स) उपलब्ध होने चाहिए तथा उष्णता संबंधी बीमारियों की स्थिति के लिए **'इमर्जेंसी रिस्पॉन्स प्लान'** तैयार होना चाहिए।
8. गर्भवती महिलाओं तथा पहले से बीमार व्यक्तियों को अधिक तापमान की स्थिति में कार्य करने के विषय में अपने चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए।
9. यदि कर्मी बाह्य वातावरण में काम कर रहे हों तो हल्के रंग के कपड़ों का प्रयोग करें। उचित होगा कि पूरी बाजू की कमीज तथा पूरी लंबाई की पेंट का प्रयोग किया जाए एवं सिर को ढक कर रखा जाए ताकि सूर्य की रौशनी के सीधे प्रभाव से बचा जा सके।
10. कर्मियों के संवेदीकरण एवं जागरुकता उत्पन्न किए जाने हेतु आवश्यक गतिविधियाँ सुनियोजित रूप से संपादित की जायें।
11. कार्यस्थल पर तापमान तथा पुनर्अनुमान बताने वाली डिस्प्ले लगाए जाए जाने चाहिए।
12. अत्यधिक तापमान के प्रभाव तथा इनसे बचाव के विषय में सूचना देने वाले पंफलेट्स का वितरण कर्मियो में किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में प्रशिक्षण हेतु नियोक्ताओं एवं कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु सत्र आयोजित किए जाने चाहिए।
13. गर्भवती महिला कर्मियों तथा रोगग्रस्त कर्मियों पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए।

हीटवैव (लू) से निपटने हेतु विद्युत विभाग का प्लान

आगामी ग्रीष्म ऋतु मे चलने वाली लू के दृष्टिगत निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु पॉवर परिवर्तकों की लोड बैलेंसिग अर्थिग ,उचित क्षमता के फ्युज वायर का प्रयोग व तेल चैक करने का कार्य किया जा रहा है तथा जर्जर पोल व लाईनों को बदलने का कार्य वर्तमान में संचालित अनुरक्षण माह अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता पर कराया जा रहा है तथा क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को बदलने का कार्य उच्च प्राथमिकता पर करा लिया जाता है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
नोडल अधिकारी, विद्युत विभाग, गौतमबुद्धनगर

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

अपर श्रम आयुक्त,
गौतमबुद्धनगर

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 8028 - 30 /गौ0प्रवर्तन–2025 दिनांक – 29/3/25

विषय–जिलाधिकारी, (जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण) गौतमबुद्धनगर द्वारा हीट वेव की आशंका पर तैयारी/उपायों के सम्बन्ध में।

महोदय,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 राज्य आपदा प्रवन्धन प्राधिकरण लखनऊ द्वारा निर्गत पत्र संख्या 1465/हीट वेव/2024–25 दिनांक 19.02.2025, श्रमायुक्त उ0प्र0 कानपुर के पत्रांक 4030–34/सं0अनु0–हीट वेव–2025 दिनांक 26.03.2005, कार्यालय जिलाधिकारी (जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण) के पत्रांक 630/जि0आ0प्र0प्रा0/2024–25 दिनांक 05 मार्च 2025 के माध्यम से हीट वेव एक्शन प्लान–2025 तैयार किए जाने हेतु निर्देश दिए गये है।

उक्त के कम में जनपद गौतमबुद्धनगर में विभिन्न औद्योगिक/व्यावसायिक/निर्माण प्रतिष्ठानों एवं ईट भट्ठों में कार्यरत कार्मिकों के लिए भीषण लू/तापघात के महीनों में लू/तापघात (हीट वेव) से बचाव हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी दिशानिर्देश प्रस्तावित हैं–

1. क्षेत्रीय/जनपदीय कार्यालयों में संचालित कारखाना/प्रतिष्ठानों/कोल्ड स्टोरेज के सेवायोजकों एवं श्रमिक पक्ष से समय–समय पर बैठक आयोजित कर उनके द्वारा अपने कारखानों/प्रतिष्ठानों में लू से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी, समीक्षा, समस्या एवं समाधान पर विचार विमर्श व निर्णय लिए जाने एवं लू–प्रकोप से बचने के लिए यथासम्भव आवश्यक सहयोग लेने एवं जागरूकता कैम्प का आयोजन किये जाने हेतु प्रेरित किया जाए।
2. सहायक श्रमायुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के माध्यम से उपरोक्त इकाईयों के नियोकाओं से अनुरोध किए जाने तथा श्रमिकों द्वारा किसी भी समय गर्मी से परेशानी बचायी जाये तो यथासम्भव वेतन सहित अवकाश प्रदान किए जाने एवं उन्हें चिकित्सीय सलाह एवं चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने एवं मुख्य चिकित्साधिकारी इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन (आई0आई0ए0) तथा एसोसिएट चौम्बर्स ऑफ कार्म्स तथा इण्डस्ट्री ऑफ इण्डिया (एसौचैंग), व्यापार मण्डल, ईट भटटा एसोसिएशन, फैडरेशन एवं श्रमिक संघ कार्यदायी संस्थाओं एवं ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष/मंत्री से भी अनुरोध किए जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये है।
3. औद्योगिक इकाइयों, ईंट भटठों, कशर एवं निर्माण कार्यो जहाँ वाहय एवं खुले परिसर में श्रमिकों से कार्य कराया जाता है, के सेवायोजकों को हीट वैव से बचाव हेतु श्रमिकों के कार्य हेतु पर्याप्त छाया की व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे है एवं श्रमिकों को बचाव हेतु जागरूक किए जाने हेतु प्रचार–प्रसार किया जाए।
4. दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठानों तथा स्थानीय व्यापार मण्डल के माध्यम से निर्माण इकाईयों पर कार्यरत कर्मचारियों को हीट वेव से बचाने के लिए नियोजक को निर्देशित करते हुए श्रमिकों को हीट वेव से बचाव किया जायेगा।
5. ऐसे प्रतिष्ठान जहाँ महिलाओं के नियोजन की संख्या अधिक है तथा ज्वैलरी शॉप, वर्कशॉप इत्यादि उन्हें भी हीट वेव से बचाव हेतु जागरूक किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

6. निर्माण कामगारों हेतु समस्त स्थानों पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हेतु भी प्रतिष्ठानों को पॉटेबल पेय जल की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित कराया जाएगा।
7. वाहय कार्यो हेतु कार्य घण्टों से परिवर्तन किए जाने नियोक्ता को निर्देशित किया जाना।
8. स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए श्रमिकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना।

अतः उपरोक्तानुसार कार्य योजना आपकी सेवा में प्रेषित है। कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सरजू राम)
अपर श्रम आयुक्त
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 2028–30 / प्रवर्तन / 2025 दिनांक 29/3/25

प्रतिलिपिः– 1. श्रमायुक्त उ0प्र0 कानपुर के पत्रांक 4030–34 / सं0अनु0–हीट वेव–2025 दिनांक 26.03.2005 सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप निदेशक कारखाना, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से भी कार्य योजना भेजने का कष्ट करें।

29.3.25
(सरजू राम)
अपर श्रम आयुक्त
गौतमबुद्धनगर

प्रेषक,

जिला पंचायत राज अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 1274 /7/पं0/2024–25 दिनांक 26/03/2025

विषय– हीटवेव एक्शन प्लान–2025 तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 630/जि0आ0प्र0प्रा/ 2024–25 दिनांक 05 मार्च, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा हीटवेव एक्शन प्लान–2025 तैयार करने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में पंचायती राज विभाग गौतमबुद्धनगर द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना का विवरण निम्नवत है–

1. ग्राम पंचायतों में स्थापित समस्त हैण्डपम्पों चालू/सक्रिय अवस्था में है। तथा खराब होने की स्थिति में उनको तत्काल ठीक कराया जाता है।
2. हीट वेव/लू से बचने के लिए ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवों व पंचायत सहायको द्वारा ग्राम पंचायतों में ग्रामवासियों को हीट वेव/लू से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
3. आवश्यकतानुसार विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों/स्थलों पर (जहां छाया हो/लोगों का ठहराव होता हो) आदि का चिन्हाकन करते हुए विभिन्न स्थलों पर प्याउ (गिलास सहित) आदि की व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है।
4. ग्रामीण क्षेत्रो के सार्वजनिक स्थलों, चौराहो व आवश्यकतानुसार ग्रामों में पानी की टंकी/टैंकरो आदि की व्यवस्था कार्य किया जा रहा है।
5. समस्त पंचायत सचिवों तथा पंचायत सहायको द्वारा ग्राम पंचायतों में लू से बचने के लिए प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।
6. ग्राम पंचायतों में संचालित स्वच्छता वाहन के माध्य से समस्त ग्राम पंचायतों में प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

भवदीय,

(वीरेन्द्र सिंह)
जिला पंचायत राज अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 1274 /7/पं0/2024–25 दिनांक 26/03/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. अपर जिलाधिकारी, (वि0/राज0) गौतमबुद्धनगर।
3. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग, गौतमबुद्धनगर।

26/3/25

जिला पंचायत राज अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर पालिका परिषद दादरी, (गौतमबुद्धनगर)

संख्या : 2913 /न0पा0परि0दा0/2024–25 दिनांक : 20/3/2025

2105/ST ADM 24/3/25 OCICRA

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व)

विषय :– जनपद गौतमबुद्धनगर में लू–प्रकोप (Heat Wave) से बचाव एवं राहत के लिए तैयारी/कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर (जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण) के पत्रांक– 630/जि0आ0प्र0प्रा0/2024–25 दिनांक 05.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर में लू–प्रकोप (Heat Wave) से बचाव एवं राहत के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त आदेशों के क्रम में नगर पालिका परिषद, दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजना का विवरण निम्नवत् है :–

(1) नगर पालिका परिषद, दादरी सीमान्तर्गत मंदिरों/लोक भवन/मॉल में कुलिंग सेन्टर व पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है।

(2) नगर पालिका परिषद, दादरी सीमान्तर्गत स्थित सब्जी मण्डी/मुख्य चौराहों व सार्वजनिक स्थलों पर शीतल जल की समुचित व्यवस्था है तथा दूर–दराज के क्षेत्रों में पानी के टैंकरों द्वारा पानी की व्यवस्था की जाती है।

(3) नगर पालिका परिषद, दादरी सीमान्तर्गत लू एवं ग्रीष्म ऋतु से बचाव हेतु 04 प्याऊ लगवाये गये है तथा पालिका सीमान्तर्गत 40 स्थलों पर वाटर कूलर लगाये जाने प्रस्तावित है, जिनमें से 28 स्थलों पर वाटर कूलर स्थापित कराये जा चुके है।

(4) वर्तमान में नगर पालिका परिषद, दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर की सीमान्तर्गत दादरी पुर्नगठन पेयजल योजना के अन्तर्गत 5 ओवर हैड टेंक एवं 15 नलकूप स्थापित करने का कार्य कार्यदायी संस्था जल निगम, नोएडा द्वारा किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में, जनता की मांग पर समय–समय पर पानी के टैंकरों द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

(5) पालिका सीमान्तगर्त स्थापित समस्त 312 हैण्डपम्प चालू अवस्था में है तथा खराब होने की स्थिति में उनके मरम्मत की त्वरित कार्यवाही की जाती है।

(6) नगर पालिका परिषद, दादरी सीमान्तर्गत 04 तालाबों के सौन्दर्यकरण का कार्य प्रस्तावित है, जिसमें 01 तालाब के सौन्दर्यकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त तालाब में पशुओं को पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है।

Scanned with OKEN Scanner

(7) नगर पालिका परिषद, दादरी द्वारा नगर में 100 बेड का एक सेल्टर होम है।

(8) पालिका सीमान्तर्गत खाली पड़ी भूमि में ग्रीष्म ऋतु एवं लू से बचाव हेतु वृक्ष लगाये गये है।

(09) पालिका सीमान्तर्गत लू (Heat Wave) से बचने के लिये पालिका द्वारा टेंकरो से प्रति दिन छिडकाव कराया जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

॥ सादर ॥

भवदीय

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, दादरी
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

प्रेषक,

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत दनकौर
गौतमबुद्धनगर

संख्या– 224 / न0पं0द0 / 2025

सेवा में

अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0) /
प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0),
गौतमबुद्धनगर।

नगर पंचायत, अनुभाग–02

दनकौर दिनांकः 24 मार्च 2025

विषय–हीटवेव एक्शन प्लान–2025 तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के पत्रांक–630 / जि0आ0प्र0प्रा0 / 2024–25, दिनांक 05.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा हीटवेव एक्शन प्लान–2025 तैयार करने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में नगर पंचायत दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना का विवरण निम्नवत् है :–

(1) वर्तमान में नगर पंचायत दनकौर, जनपद गौतमबुद्धनगर की सीमान्तर्गत 01 ओवर हेड टैंक एवं 02 नलकूप के द्वारा निकाय में जलापूर्ति की जा रही है।

(2) निकाय द्वारा कस्बे में शुद्धपेय जल की आपूर्ति की जाती है। तथा कस्बे में जनता द्वारा शुद्ध पेयजल की मॉग के अनुसार 03 पानी के टेंकरों द्वारा भी जलापूर्ति कराई जाती है।

(3) निकाय में विभिन्न 16 स्थानों पर आर0 ओ0 लगावाये गये है जिनके द्वारा आने–जाने वाले लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति की जाती है।

(4) निकाय सीमान्तर्गत 215 हैण्डपम्प स्थापित हैं। सभी हैण्डपम्प चालू अवस्था में हैं तथा खराब होने की स्थिति में उनको तत्काल ठीक कराया जाता है।

(5) नगर पंचायत दनकौर द्वारा निकाय में एक अस्थाई सेल्टर होम का निर्माण कराया गया है।

(6) निकाय सीमान्तर्गत खाली भूमि में ग्रीष्म ऋतु एवं लू से बचाव हेतु वृक्षारोपण कराये जाने हेतु स्थलों का चिन्हांकन किया जा रहा है।

(7) नगर पंचायत दनकौर के समस्त कर्मचारियों को लू से बचाव एवं उपाय के लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे जनसामान्य को इस सम्बन्ध में जागरूक कर सकें।

(8) निकाय में 01 स्प्रे टैंकर तथा 03 पानी के टैंकर हैं जिनसे निकाय के मुख्य मार्गों पर पानी का छिड़काव किया जाता है।

(9) चिकित्सा विभाग से समन्वय स्थापित कर निकाय के कर्मचारियों द्वारा लू से बचाव के लिये जनता को जागरूक करने हेतु निकाय के समस्त वार्डों में जगह–जगह कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

(10) निकाय की गाडियों पर लगे पी0 ए0 सिस्टम द्वारा निकाय के समस्त वार्डों में लू से बचाव हेतु प्रचार–प्रसार कराया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत दनकौर
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर प्रेषित–
1–जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण विभाग महोदय गौतमबुद्धनगर।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत दनकौर
गौतमबुद्धनगर

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर पंचायत रबूपुरा, जनपद– गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 623 /न0पं0रबू0/ 2024–25 दिनांक 25 मार्च 2025

सेवा में

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0),
गौतमबुद्धनगर।

विषय– हीटवेव एक्शन प्लान–2025 तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के पत्रांक–630/जि0आ0प्र0प्रा0/2024–25, दिनांक 05.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा हीटवेव एक्षन प्लान–2025 तैयार करने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में नगर पंचायत रबूपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना का विवरण निम्नवत् है :–

(1) वर्तमान में नगर पंचायत रबूपुरा, जनपद गौतमबुद्धनगर की सीमान्तर्गत 01 ओवर हेड टैंक एवं 02 नलकूप के द्वारा निकाय में जलापूर्ति की जा रही है।

(2) निकाय द्वारा कस्बे में शुद्धपेय जल की आपूर्ति की जाती है। तथा कस्बे में जनता द्वारा शुद्ध पेयजल की मॉग के अनुसार 02 पानी के टेंकरों द्वारा भी जलापूर्ति कराई जाती है।

(3) निकाय में विभिन्न 06 स्थानों पर आर0 ओ0 लगावाये गये है जिनके द्वारा आने–जाने वाले लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति की जाती है।

(4) निकाय सीमान्तर्गत 250 हैण्डपम्प स्थापित हैं। सभी हैण्डपम्प चालू अवस्था में हैं तथा खराब होने की स्थिति में उनको तत्काल ठीक कराया जाता है।

(5) नगर पंचायत रबूपुरा द्वारा निकाय में एक अस्थाई सेल्टर होम का निर्माण कराया गया है।

(6) निकाय सीमान्तर्गत खाली भूमि में ग्रीष्म ऋतु एवं लू से बचाव हेतु वृक्षारोपण कराये जाने हेतु स्थलों का चिन्हांकन किया जा रहा है।

(7) नगर पंचायत रबूपुरा के समस्त कर्मचारियों को लू से बचाव एवं उपाय के लिये प्रषिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे जनसामान्य को इस सम्बन्ध में जागरूक कर सकें।

(8) निकाय में 01 स्प्रे टैंकर तथा 01 पानी के टैंकर हैं जिनसे निकाय के मुख्य मार्गों पर पानी का छिडकाव किया जाता है।

(9) चिकित्सा विभाग से समन्वय स्थापित कर निकाय के कर्मचारियों द्वारा लू से बचाव के लिये जनता को जागरूक करने हेतु निकाय के समस्त वार्डों में जगह–जगह कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।

Scanned with OKEN Scanner

(10) निकाय की गाडियों पर लगे पी0 ए0 सिस्टम द्वारा निकाय के समस्त वार्डों में लू से बचाव हेतु प्रचार–प्रसार कराया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रबूपुरा
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर प्रेषित–

1– जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण विभाग महोदय गौतमबुद्धनगर।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रबूपुरा
गौतमबुद्धनगर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी गौतमबुद्धनगर

पत्रांक / गोवंश / 2024--25 दिनॉक

1- समस्त खण्ड विकास अधिकारी गौतमबुद्धनर।
2- समस्त अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत/नगर पालिका गौतमबुद्धनगर।
3- समस्त प्रबन्धक, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना औद्यौगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
4- समस्त उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी / पशु चिकित्साधिकारी गौतमबुद्धनगर।

विषय- जनपद में निराश्रित / वेसहारा गोवंश की सुरक्षा हेतु संस्थापित गो आश्रय स्थलो पर ग्रीष्म ऋतु एवं उ० प्र० राज्य प्रबन्धन प्रधिकरण के दिशा निर्देशानुसार लू प्रकोप के दृष्टिगत मूल भूत आवश्यकताओं की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।

जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो चुका है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा वर्तमान वर्ष में माध्य सामान्य से अधिक तापमान होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ० प्र० राज्य प्रबंधन प्रधिकरण के पत्र सं0 1465 /हीट वेव/2024-25 दिनांक 19-02-2025 में की गयी अपेक्षानुसार प्रदेश में विभिन्न गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश को ग्रीष्म ऋतु एवं लू प्रकोप से बचाव हेतु समयबद्ध कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है। जिसके द्वारा ग्रीष्म ऋतु में गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश की मूल भूत आवश्यकताओं एवं उ० प्र० राज्य प्रबन्धन प्रधिकरण के दिशानिर्देशानुसार लू प्रकोप के दृष्टिगत मूल भूत आवश्यकताओं की व्यवस्थाओं के लिए कार्ययोजना निम्नानुसार हैं।

1- ग्रीष्म ऋतु में गर्मी व हीट वेव से गोवंश को बचाने हेतु समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित कराये जाये।
2- प्रत्येक गो आश्रय स्थल पर विशेष प्रभावी निगरानी कराते हुए गोवंश को धूप एवं गर्मी बचाने के लिए शेड को टाट/बोरो इत्यादि से ढकने की व्यवस्था कराई जाय।
3-गो आश्रय स्थलों में पर्याप्त मात्रा में भूसा /अन्य आवश्यक फीड यथा हरा चारा, दाना इत्यादि की व्यवस्था कराई जाये तथा संरक्षित गोवंश के भरण पोषण पर विशेष ध्यान दिया जायें।
4-गोवंश को पीने हेतु स्वच्छ एवं ताजे जल की व्यवस्था कराई जाये।
5- पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा बीमार व अशक्त गोवंश को छायादार सुरक्षित स्थान पर रखकर उपचार की व्यवस्था की जाये।
6-गोवंश को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को बनाये रखने के साथ-साथ अत्यधिक गर्मी के कारण होने वाली गोवंश हानि को रोका जाये। यदि किन्हो कारणोबंश गो आश्रय स्थलो पर गोवश की मृत्यु होती है तो गोवंश के शव का निस्तारण यथाशीघ्र सुरक्षित एवं सम्मान जनक ढंग से किया जाय. जिससे गर्मी के कारण शव का पुट्रीफैक्शन (विघटन) न होने पाये और बीमारी के फैलने का खतरा उत्पन्न न हो।
7-गो आश्रय स्थलों पर रात्रि कालीन चौकीदार की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये।
8-गो आश्रय स्थलों पर ग्रीष्म ऋतु में आगजनी की घटना न हो उसकी समुचित व्यवस्था की जाये। साथ ही फायर स्टेशन का सम्पर्क सूत्र गोशालाओं में अंकित किया जाये।
9-गो आश्रय स्थलों पर निर्वाध विद्युत आपूर्ति तथा पीने हेतु स्वच्छ एव ताजे जल की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाये।
10-दिन के समय पशुओं को शेड के अन्दर रखा जाएं। यथा सम्भव पंखा, स्प्रिंकलर,कूलर की व्यवस्था कर ली जाए।
11–.सूखे हुए खेत से सोरघम/चरी को पशुओं को कदापि न खिलाएं।
12.नगरीय क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर पशु पक्षियों हेतु पानी के पात्र रखवाये जायें।
13–इसके अतिरिक्त ग्रामो में तालावों/पोखरों में भी पानी की उपलब्धता बनी रही है।

अतः उपरोक्त कार्ययोजना के अनुसार सम्बन्धित विभाग/अधिकारी समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ताकि ग्रीष्म ऋतु में गोवंश के स्वास्थ्य को बनाये रखने के साथ-साथ गर्मी से होने वाली किसी भी सम्भावित गोवंश की हानि को कम किया जा सके।

(डा0 अरूण कुमार)
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 1467 / गो०आ०स्थ०/ /2024-25 दिनांक - 24/03/25

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- प्रमुख सचिव, पशुधन उ० प्र० शासन को सादर सूचनार्थ।
2-मुख्य कार्यकारी अधिकारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना प्राधिकरण को सादर सूचनार्थ।
3-निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उ० प्र० लखनऊ।
4-आयुक्त महोदया, मेरठ मण्डल मेरठ।
5-अपर निदेशक, ग्रेड-2 पशुपालन विभाग, मेरठ मण्डल मेरठ।
6-जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
7-मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8-रामूरत उप जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
9- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर

पत्र सख्यांः आपदा/सीएफओ/जीबीएन–25 दिनांक14–02–2025

सेवा मे ,

अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व)
गौतमबुद्धनगर

विषयः– **आपदाओ से निपटने के लिए संसाधनों को IDRN पोर्टल पर अपलोड/अपडेट किये जाने के सम्बन्ध मे ।**

महोदय,

उक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 602/आपदा /2024–25 दिनांक 07–02–2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **आपदाओ से निपटने के लिए संसाधनों को IDRN पोर्टल पर अपलोड/अपडेट किये जाने के सम्बन्ध** में निर्देशित किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य मे अवगत कराना है कि जनपद गौतमबुद्धनगर मे किसी भी आपदा से निपटने हेतु जनपद –गौतमबुद्धनगर मे 09 फायर स्टेशन संचालित है। जिनका विवरण निम्नवत हैः–

1– फायर स्टेशन फेज प्रथम

2– फायर स्टेशन फेज–द्वितीय

3– फायर स्टेशन फेज तृतीय ,

4– फायर स्टेशन सेक्टर–58,

5–फायर स्टेशन इकोटेक–प्रथम,

6– फायर स्टेशन इकोटेक–तृतीय ,

7– फायर स्टेशन नॉलेज पार्क,

8–फायर स्टेशन एक्सप्रेस वे ,

9– फायर स्टेशन सूरजपुर ग्रेटर नोएडा

इसके अतिरिक्त गौर सिटी मे एक फायर टेण्डर मय कर्मचारीगण एवं तहसील मुख्यालय दादरी एवं जेवर मे एक–एक फायर टेण्डर मय कर्मचारीगण तैनात किये गये है तथा स्थायी अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु तहसील मुख्यालय दादरी एवं जेवर मे भूमि आदि अधिग्रहण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

Scanned with OKEN Scanner

अग्निशमन विभाग के पास निम्नलिखित स्टाफ/वाहन/उपलब्ध हैः–

क0स0	पदनाम	उपलब्धता
1	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	01
2	अग्निशमन अधिकारी	05
3	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	03
5	लीडिंग फायरमैन	26
6	चालक	43
7	फायरमैन	168
8	फालवर	08
9	स्वीपर	01

क0स0	वाहन	उपलब्धता
1	हाइड्रोलिक प्लेटफार्म	04
2	फायर टेण्डर (बडा 5000 लीटर)	13
3	वाटर वाउजर	05
4	फायर टेण्डर (छोटा 2500 लीटर)	02
5	फोम टेण्डर	01
6	एम्बुलेंस	02
7	जीप टोइंग व्हीकल	10
8	अर्टिकुलेटिड वाटर टावर	01
9	एफक्यूआरवी	02
10	बुलेट मोटरसाइकिल	04

उपरोक्त के अतिरिक्त निजी संस्थानो के पास अपने फायर सर्विस यूनिट उपलब्ध है जिनका विवरण निम्नानुसार है–

क0सं0	फर्म का नाम व पता	उपलब्ध वाहन/मशीन	प्रभारी यूनिट का नाम	मोबाईल नम्बर

Scanned with OKEN Scanner

1	यामाहा सूरजपुर	फायर टेण्डर–1	संजीव कुमार	9599594983
2	मैसर्स मोबेस	फायर टेण्डर–1	संदीप	9891525867
3	मैसर्स हल्दीराम स्नेक ,सैक्टर–63,	फोम टेण्डर–1	बबूराम	9899302268
4	मैसर्स हल्दीराम,सैक्टर–67	फोम टेण्डर–1	डी0के0राय	8405000505
5	मैसर्स हल्दीराम, सैक्टर–68	फायर टेण्डर–1	डी0के0राय	8405000505
6	डी0एल0एफ0,सैक्टर–18,नोएडा	फायर टेण्डर–1	धीरज सिंह	9999091500
7	एल0जी0उद्योग विहार सूरजपुर	फायर टेण्डर–1	कॉलरा	09811334484
8	एन0टी0पी0सी0दादरी(सीआईएसएफ)	फायर टेण्डर–2		–
9	जे0पी0ग्रुप	हाइड्रोलिक प्लेटफार्म–1 फायर टेण्डर–2	सन्तोष	9810219212
10	जे0पी0ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा	फायर टेण्डर–01 हाइड्रोलिक प्लेटफार्म–01	गगन देवगन	9871988090

संचार व्यवस्था :– जनपद गौतमबुद्धनगर मे कार्यरत अग्निशमन केन्द्रो पर सूचनाओ के आदान प्रदान हेतु वायलैस सैट एवं टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है। किसी भी सूचना पर त्वरित कार्यवाही की जाती है जनपद मे कार्यरत मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारियो के मोबाईल नम्बर एवं सीयूजी नम्बर निम्नवत है।

1– मुख्य अग्निशमन अधिकारी– श्री प्रदीप कुमार– मोबाईल नम्बर– 7016489475
2– अग्निशमन अधिकारी फेज प्रथम–श्री श्रीनारायण सिंह–मोबाईल नम्बर – 8423723485
3– अग्निशमन अधिकारी फेज द्वितीय–श्री योगेन्द्र चौरसिया मोबाईल नम्बर –9935174061
4– अग्निशमन अधिकारी इकोटेक–प्रथम श्री जितेन्द्र कुमार मोबाईल नम्बर– 8299491313
5– अग्निशमन अधिकारी इकोटेक– तृतीय श्री अजय कुमार मोबाईल नम्बर – 7906080469
6– अग्निशमन अधिकारी नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा श्री विनोद कुमार पाण्डेय मोबाईल नम्बर– 9451310153
7– अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एक्सप्रेस वे नोएडा श्री विश्वास गर्ग मोबाईल नम्बर – 8791509442
8– अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, सैक्टर–58, नोएडा श्री राहुल कुमार मोबाईल नम्बर 8574952355
9– अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, फेज तृतीय, नोएडा श्री योगेन्द्र प्रसाद मोबाईल नम्बर 9411955543

Scanned with OKEN Scanner

अग्निशमन केन्द्रो पर उपलब्ध टेलीफोन के नम्बर निम्नवत हैः–
अग्निशमन केन्द्र फेज प्रथम– 2521111,101
अग्निशमन केन्द्र फेज द्वितीय– 2562999,101
अग्निशमन केन्द्र फेज तृतीय– 8505998691
अग्निशमन केन्द्र सैक्टर– 58,–4356491
अग्निशमन केन्द्र, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा– 2569109
अग्निशमन केन्द्र, इकोटेक प्रथम, ग्रेटर नोएडा –7839861621
अग्निशमन केन्द्र, इकोटेक तृतीय, ग्रेंटर नोएडा –2397101
अग्निशमन केन्द्र, एक्सप्रेसवे– 7042482328
अग्निशमन केन्द्र, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा–9454418762

किसी भी अल्पकालीन सूचना पर जनपद गौतबुद्धनगर स्थित 09 फायर स्टेशनो पर उपलब्ध स्टाफ किसी भी आपदा से निपटने हेतु तत्काल रवाना किया जायेगा ।

आख्या सादर सेवा मे प्रेषित है।

14/11/25

(प्रदीप कुमार)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपिः पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

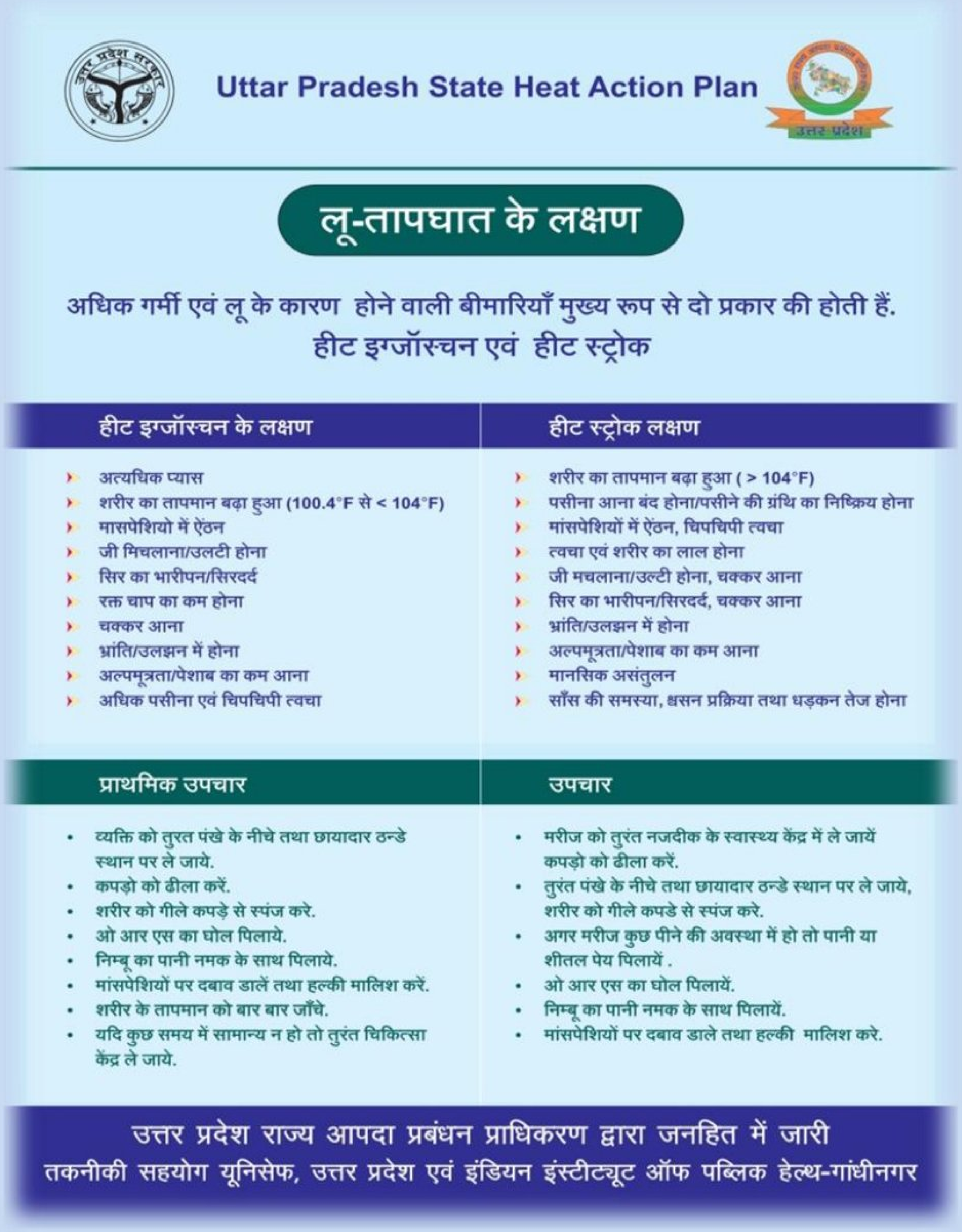

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जनपद– गौतमबुद्धनगर

Thank You

Scanned with OKEN Scanner